VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

जुलाई - 2016

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. राजव्यवस्था......6

1.1. एक साथ चुनाव......6

1.2. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016......7

1.3. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016......8

1.4. कैम्पा विधेयक......9

1.5. अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक......9

1.6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)......10

1.7. भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ASCI)......11

1.8. अरुणाचल प्रदेश सरकार की पुनर्बहाली......12

1.9. सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की अध्यक्ष की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय......13

1.10. क्षमादान की शक्ति: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय......13

1.11. अनुसूचित जातियों के लिए बने फंड का पूर्ण उपयोग न किया जाना......14

1.12. सुप्रीम कोर्ट ने क्रमागत आजीवन कारावास को खारिज किया......14

1.13. उच्चतम न्यायलय ने बीसीसीआई में ढांचागत सुधारों को स्वीकार किया......15

1.14 उच्चतम न्यायलय का न्यायिक अतिक्रमण के खिलाफ न्यायाधीशों को चेतावनी......16

1.15. सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) पर उच्चतम न्यायालय का आदेशः......17

1.16. विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन......19

1.17. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: मुरुगन की पुस्तक पर लगाया गया प्रतिबंध हटा......20

1.18 सिविल सेवकों द्वारा भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए नियम......20

1.19. शरण चाहने वालों के लिए लाभ......21

1.20. राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण 2016 (NERP 2016)......22

1.21. मध्य प्रदेश हैप्पीनेस डिपार्टमेंट (प्रसन्नता विभाग) का गठन करने वाला पहला राज्य बना......23

2. अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व......25

2.1. दक्षिण चीन सागर विवाद......25

2.2. भारत-कंबोडिया......26

2.3.भारत-अफ्रीका......26

2.4. भारत-पाकिस्तान नदी विवाद 29
2.5. एसेम सम्मेलन 30
2.6. तुर्की में तख्तापलट का प्रयास असफल 31
2.7. अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन संगठन 32
2.8. कोलंबियाई क्रांतिकारी सशस्त्र बल 32
2.9. दक्षिण सूडान में सशस्त्र संघर्ष 33
2.10. ऑपरेशन संकट मोचन 34
2.11. 'फीड द फ्यूचर' पहल 34
3. अर्थव्यवस्था 36
3.1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 36
3.2. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना 37
3.3. भुगतान और निपटान प्रणाली - भारतीय रिजर्व बैंक 38
3.4. एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस 39
3.5. भारत में श्री जॉब डेफिसिट 41
3.6. नियामकों की भूमिका पर पुनर्विचार 42
3.7. किसानों के लिए ब्याज छूट योजना 43
3.8. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने पहला हरित/ग्रीन बांड जारी किया 43
3.9. आंध्र प्रदेश में परमाणु बिजली उत्पादन 44
3.10. परमाणु संयंत्रों का बीमा 45
3.11. स्टार्ट-अप इंडिया: नए मानक 46
3.12. विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (FCNR) पर आरबीआई के कदम को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की मंजूरी....46
3.13. भारत का 13वां प्रमुख पत्तन 47
3.14. सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह-रेल संपर्क परियोजनाएं 50
3.15. विश्व बैंक का लाजिस्टिक्स कार्य-निष्पादन सूचकांक 50
3.16. कौशल बैंक द्वारा वैश्विक बाजारों के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण 51
3.17. नेटवर्क तैयारी सूचकांक 52
3.18. मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक 2016 52
3.19. पनामा: बहुपक्षीय कर सूचना साझा कन्वेंशन 53
3.20. दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल 54

VISION IAS

3.21. भारतीय निर्यात रूझान 54

3.22. वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर (WTOI) 55

3.23. एंट्रिक्स-देवास मामला 55

3.24. 51 कंपनियों में हिस्सेदारी की बिक्री 56

3.25. पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना 57

3.26. NATRIP परियोजना 58

3.27. हिंद महासागर में प्राकृतिक गैस की खोज 58

3.28. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 59

4. सामाजिक मुद्दे 61

4.1 यूनिसेफ: स्टेट ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्ट 61

4.2 भारत में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या पर डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट 62

4.3 राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) 63

4.4 वैश्विक पोषण रिपोर्ट 64

4.5. सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑनलाइन लिंग चयन संबंधी विज्ञापनों पर पूर्ण पाबंदी हेतु अंतिम तिथि का निर्धारण 65

4.6. केरल में फैट टैक्स 65

4.7. अल्पसंख्यक विद्यालयों के साथ शिक्षा के अधिकार (आरटीई) की सुसंगति 66

4.8. MTPA 1971 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 66

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 69

5.1. LUCA 69

5.2. इन्सपायर पुरस्कार 70

5.3. अक्विला 71

5.4. न्यू होराइजन मिशन 72

5.5. नासा के जूनो ने बृहस्पति ग्रह (जूपीटर) की परिक्रमा प्रारंभ की 72

5.6. बौना ग्रह सीरीस 73

5.7. भारत को याज मुक्त देश का दर्जा प्राप्त 74

5.8. सोलर पावर ट्री 74

5.9. चार्ज सिंड्रोम 75

6. सुरक्षा 77

6.1. रेड कॉरिडोर (लाल गलियारा) 77

VISION IAS

6.2. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय 78
6.3. गैरन्यायिक हत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 78
6.4. रक्षा संचार नेटवर्क 80
7. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 82
7.1. तेल क्षरणकारी बैक्टीरिया का फील्ड परीक्षण 82
7.2. वायु प्रदूषण रिपोर्ट: IEA 83
7.3. गंगोत्री ग्लेशियर और गंगा नदी का प्रवाह 84
7.4. केरल बर्ड एटलस प्रोजेक्ट 84
7.5. गंगा की सफाई 85
7.6. अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत 86
7.7. जंतु एवं पादप खोज रिपोर्ट 2015 87
7.8. एनडीआरएफ द्वारा सामुदायिक जागरूकता 88
7.9. हरित राष्ट्रीय राजमार्ग नीति 88
7.10. राज्यों द्वारा ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के लिए निविदा की पेशकश 89
7.11. अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत के सुधरने के संकेत 89
7.12. केंद्रपाड़ा भेड़ 90
8. संस्कृति 92
8.1. तीन भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल 92
8.2. सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 93
8.3. मेघालय की खासी जनजाति 94
8.4 महाश्वेता देवी 95
8.5. ज्ञानपीठ पुरस्कार 95
8.6 मैग्सेसे पुरस्कार 96

VISION IAS

1. राजव्यवस्था

(POLITY)

1.1. एक साथ चुनाव

(Simultaneous Elections)

सुर्खियों में क्यों?

प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार पर फिर से जोर दिया है।

आवश्यकता क्यों?

- **गवर्नेंस**
  - ✓ इससे विभिन्न सरकारों को शासन के लिए लगभग पांच वर्षों तक समर्पित रूप से कार्य करने की सुविधा प्राप्त होगी। क्योंकि लगातार आयोजित होने वाले चुनावों के कारण चुनाव जीतना प्रायः सभी नेताओं की पहली प्राथमिकता बन जाती है।
  - ✓ परिणामस्वरूप, शासन के संचालन और लोगों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में नेताओं की भूमिका गौण हो जाती है तथा नौकरशाही प्रधान हो जाती है।
- **विधायी कामकाज**
  - ✓ विधानसभाओं / लोकसभा में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि हरेक दल सुर्खियों में रहना चाहता है।
  - ✓ निरंतर चुनावों के दुष्चक्र ने विधायी स्थिरता को प्रभावित किया है। यदि स्थानीय चुनावों को भी शामिल कर लिया जाए तो हमारे देश में हमेशा कोई न कोई चुनाव कार्य चलता रहता है।
- **अर्थव्यवस्था**
  - ✓ इससे लगातार होने वाले चुनावों का भारी आर्थिक बोझ कम होगा।
  - ✓ आदर्श आचार संहिता के लागू होने से नई कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सरकारी उपायों की घोषणा आम तौर पर नहीं हो पाती है जिससे आर्थिक विकास की गति में बाधा उत्पन्न होती है।

चुनौतियाँ

- इस व्यवस्था को व्यवहार में प्राप्त करना लगभग असंभव है क्योंकि राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण एक विधानसभा असामयिक ढंग से भंग होते रहती है। समय पूर्व विघटन, जो एक साथ चुनाव के सिद्धांत उल्लंघन है, कई तरीकों से संभव हो सकता है यथा:
  - ✓ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल को, जैसा भी सन्दर्भ हो, चुनावी लाभ हासिल करने के लिए समयपूर्व विघटन की सलाह दे सकते हैं।
  - ✓ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके या सरकार के विश्वास प्रस्ताव को गिराकर।
  - ✓ केंद्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर कई बार विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता रहा है तथा समय से पहले विधानसभाओं को भंग कर चुनावी स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है।
- अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 174 के अनुसार लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव इनके विघटन से छह महीने के भीतर आयोजित किया जाना अनिवार्य है। यदि चुनाव तय अवधियों में ही आयोजित किये जाते हैं तो इस प्रावधान का अनुपालन नहीं हो पायेगा। इसके अलावा, अगर चुनाव विघटन के छह महीने के भीतर आयोजित नहीं किये जाते हैं तो यह लोकतंत्र का मखौल उड़ाने जैसा होगा।
- संविधान निर्माताओं के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार की संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गयी है। अतः बहुदलीय प्रणाली के साथ चुनावी व्यवस्था लोकप्रिय संप्रभुता की इच्छा की सर्वाधिक मौलिक अभिव्यक्ति है।
- लगातार होने वाले चुनाव राजनेताओं को मतदाताओं के पास आने तथा जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं।

VISION IAS

- विभिन्न स्तरों पर चुनावों के परिणाम 'जनता की नब्ज' टटोलने में सहायक होते हैं तथा राजनेताओं को बदली हुई परिस्थितियों में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में बदलाव करने में सहायता करते हैं।
- मतदाताओं के समक्ष स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के मिश्रण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा इन परिस्थितियों में मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों की अपेक्षा क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को अधिक महत्त्व दे सकते हैं।
- एक ही बार में पूरे देश में एक साथ चुनाव का संचालन करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की कमी, चुनावी और प्रशासनिक मशीनरियों तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता भी इस सन्दर्भ में एक बड़ा मुद्दा है।

विश्व से उदाहरण:

विधि आयोग ने जर्मनी के संविधान के तर्ज पर अविश्वास प्रस्ताव (लोक सभा के कार्य संचालन नियमों के नियम 198), के नियम में संशोधन करने की सिफारिश की है:

- इस प्रणाली में विपक्षी दल का नेता अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों लाता है, और यदि ये दोनों प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो वह नया नेता बन जाता है।
- इस प्रकार लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत को कमजोर किए बगैर समय से पहले इसके भंग होने की प्रथा को रोका जाएगा। यह सदन में सरकार की सामूहिक उत्तरदायित्व की धारणा के साथ संगत भी है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 75 (3) में उल्लेख किया गया है।
- एक साथ चुनाव **दक्षिण अफ्रीका** और **स्वीडन** में भी सफलतापूर्वक आयोजित किये जा रहे हैं।

1.2. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

[Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2016]

सुर्खियों में क्यों?

लोकसभा ने बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 पारित कर दिया। यह राज्य सभा द्वारा पहले हीं पारित किया जा चूका है।

मुख्य विशेषताएं

- यह विधेयक बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन प्रस्तावित करता है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को 83 प्रकार के खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है।
- **प्रमुख संशोधन:**
  - ✓ विधेयक में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के रोजगार में नियोजन पर लगे हुए प्रतिबंध का सभी क्षेत्रों में विस्तार किया गया है।
  - ✓ 14-18 वर्ष के किशोरों के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है और
  - ✓ इन प्रावधानों के उल्लंघन पर अधिक कठोर सजा; छह महीने से दो वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान।
- विधेयक पहले निर्धारित किये गए 83 खतरनाक व्यवसायों की सूची को सिर्फ तीन तक सीमित करता है। इनके तहत खनन, ज्वलनशील पदार्थ तथा कारखाना अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित खतरनाक प्रक्रियाएँ शामिल होंगी जिन्हें केंद्र द्वारा चिन्हित किया जायेगा।
- विधेयक में बच्चों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास कोष निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसे पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

सकारात्मक पहलू

- विधेयक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुरूप है।

VISION IAS

- चूंकि इसमें 14 साल से कम उम्र के बालकों के बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध है अतः वे नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के द्वारा प्रदत अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं।
- विधेयक में पारिवारिक उद्यमों की प्रकृति का विशेष ध्यान रखा गया है जहां बच्चे विविध तरीकों से अपने माता-पिता की मदद करते हैं। लेकिन इस सन्दर्भ में यूनिसेफ इंडिया की टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि, यह अधिक बच्चों को अविनियमित परिस्थितियों में काम करने के लिए विवश कर सकता है।
- 2001 से 2011 की जनगणना के बीच (5-14 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के) बाल श्रमिकों की संख्या में 65% की कमी हुई है तथा यह संख्या 1.26 करोड़ से घटकर 82.2 लाख हो गयी है। यह कमी आरटीई, मनरेगा, मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रमों के कारण हुई है। अतः समग्र विकास तथा सर्वसम्मत दृष्टिकोण के निर्माण के माध्यम से ही बाल श्रम की इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। बाल श्रम विधेयक और जुर्माना तो केवल कुछ उपाय मात्र हैं।
- कुल बाल श्रमिकों का लगभग 50% केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कार्यरत हैं। 20% से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में है। इसलिए इन राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

नकारात्मक पहलू

- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को विद्यालयी अध्ययन के घंटों तथा मनोरंजन और खेल के उपरांत एवं छुट्टियों के दौरान परिवार के कारोबार में काम करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रावधान का अप्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।
- 'परिवार' की परिभाषा को परिभाषित नहीं किया गया है।
- यहां तक कि पारिवारिक उद्यमों में कौशल विकास संबंधी क्रियाकलापों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यह ज्यादातर बालकों की इच्छा के विरुद्ध है। अतः इस बात का ध्यान रखना होगा कि कानून को लागू करने के दौरान कानून की भावना का उल्लंघन न हो।
- माता-पिता और अभिभावक, जो बाल श्रम के लिए बालकों को विवश करते हैं, के खिलाफ दंड संबंधी प्रावधानों को नरम बनाना कानून की भावना के विपरीत जा सकता है।

2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु वाले 12.6 मिलियन बाल श्रमिक थे। वर्ष 2011 में यह संख्या घटकर 4.35 मिलियन हो गयी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के 2009-10 के सर्वेक्षण व आंकलन के अनुसार यह संख्या 4.98 मिलियन थी।

1.3. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016

(The Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Bill, 2016)

- संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में एक संशोधन को मंजूरी दी गयी।
- **संशोधन:** यह सरकारी कर्मचारियों और न्यासियों एवं गैर-सरकारी संगठनों के बोर्ड के सदस्यों, जो 1 करोड़ या उससे अधिक सरकारी धन प्राप्त करते हैं अथवा 10 लाख रुपये से अधिक की विदेशी फंडिंग प्राप्त करते हैं, को उनकी और उनके जीवन साथी की संपत्ति की घोषणा करने हेतु कानूनी रूप से स्वीकृत समय सीमा में विस्तार करेगा।
- **प्रभाव:** यह उन सरकारी कर्मचारियों को, जिनके लिए अपनी संपत्ति की घोषणा करने के लिए 31 जुलाई की समय सीमा निर्धारित की गयी थी, तत्काल राहत प्रदान करेगा।

पृष्ठभूमि

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार, हर लोक सेवक के लिए 31 मार्च तक या उसी वर्ष में 31 जुलाई तक अपनी संपत्ति और देनदारियों से संबंधित घोषणा, सूचना और वार्षिक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य किया गया था। दृष्टव्य है कि ऐसा जीवनसाथी तथा आश्रित बच्चों की संपत्ति के संबंध में भी अनिवार्य किया गया था ।

- इस समय सीमा में विस्तार,अधिनियम के जनवरी 2014 में अस्तित्व में आने के बाद से पांचवी बार दिया गया है।

1.4. कैम्पा विधेयक

(CAMPA Bill)

सुर्खियों में क्यों?

- राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाने के आठ वर्षों के उपरांत "प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण विधेयक" (कम्पेन्सटॉरी अफ्फोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बिल), को पारित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह विधेयक लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चूका है।

आलोचना

- वनीकरण का अर्थ सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं है अपितु इसके साथ ही किस प्रकार के वृक्षों को रोपा जाए, यह भी निर्दिष्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कर्नाटक का भद्रा पारिस्थितिकी तंत्र वस्तुतः विदेशज प्रजातियों के वृक्षों के रोपण से नष्टप्राय अवस्था में पहुँच गया है।
- सिविल सोसायटी समूहों के अनुसार, अपने मौजूदा स्वरूप में यह विधयेक वन अधिकार अधिनियम, 2006 के मूल भावना के विरुद्ध है तथा इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन वासियों (अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेल्लेर्स-OTFDs) के कानूनी अधिकारों को संबोधित नहीं किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की वन भूमि में फैले लगभग 1,77,000 गांवों के अनुसूचित जनजातियों और OTFDs के निहित वन अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गयी है। अतः इन सभी लाभार्थियों से संबंधित प्रावधानों को कैम्पा विधेयक में भी शामिल किया जाना चाहिए।
- विधेयक के मौजूदा प्रारूप के तहत, वन व्यवस्था से संबंधित नौकरशाही का राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कैम्पा प्राधिकरण में वर्चस्व बना रहेगा, जबकि आदिवासियों और वनवासियों को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया गया है।
- विधेयक में स्थानीय समुदायों के अधिकारों और मुआवजे के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- वनों एवं अवक्रमित भूमि को फिर से पूर्ववत अवस्था में लाने के लिए उपलब्ध कोष को स्थानीय लोगों के अधिकारों को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- कैम्पा कोष का उपयोग समुदाय आधारित वनीकरण हेतु करने से प्रमुख सकारात्मक सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभावों को बढ़ावा मिलेगा।

नोट: विधेयक के प्रावधानों के संबंध में विस्तुत जानकारी हेतु अप्रैल 2016 विजन करंट अफेयर्स देखें। यहाँ विधेयक के आलोचनात्मक हिस्से को प्रस्तुत किया गया है।

1.5. अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक

(Inter-State Council Meeting)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में 10 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राज्यीय परिषद (ISC) की ग्यारहवीं बैठक आयोजित की गयी।

ISC क्या है?

- **अनुच्छेद 263** राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है।

VISION IAS

- यह संघ और राज्यों के बीच समन्वय के लिए कोई **स्थायी संवैधानिक संस्था नहीं** है। वस्तुतः इसे किसी भी समय गठित किया जा सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति को जनता के हितों के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो।
- पहली बार सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 28 मई, 1990 को राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा ISC का गठन किया गया था।
- ISC की प्रति वर्ष तीन बैठकें निर्धारित की गयीं हैं लेकिन 26 वर्षों में इसकी केवल 11 बार बैठक हो पायी है।

संरचना

- प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- **सदस्य:**
  - ✓ प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के केंद्रीय मंत्री।
  - ✓ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।
  - ✓ विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा गैर विधान सभा वाले केद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक।

बैठक के दौरान चर्चित मुद्दे

- केन्द्र-राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की सिफारिशों पर विचार।
- एक पहचानकर्ता के रूप में आधार कार्ड के प्रयोग तथा सब्सिडी, लाभ और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के उपयोग पर चर्चा।
- सीखने के परिणामों में सुधार, बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहन देने के साथ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने पर चर्चा।
- आंतरिक सुरक्षा।

महत्व

- यह केंद्र-राज्य और अंतर्राज्यीय संबंधों को मजबूत बनाने और नीतियों पर चर्चा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच है।
- यह सहयोग, समन्वय और समान नीतियों के विकास के लिए एक साधन के रूप में काम करता है।
- यह केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास की कमी को दूर करता है।

1.6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

[National Human Rights Commission (NHRC)]

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू ने इसे "दंतविहीन बाघ" की संज्ञा दी।
- इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने भी NHRC की उन शिकायतों पर भी विचार-विमर्श करने का सुझाव दिया है, जिनके चलते आयोग को अपने कार्यों के संचालन में बाधाएं आती हैं।

NHRC के समक्ष विभिन्न मुद्दे

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करता है, तथा उपचारात्मक उपायों व मापदंडों की अनुशंसा करता है। हालांकि आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है, अतः राज्य अधिकरण इन्हें अधिक गंभीरता से नहीं लेते हैं, परिणामस्वरूप या तो ये सिफारिशें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, या फिर इनका अनुपालन लंबे समय तक टाले जाने के बाद होता है।
- आयोग के समक्ष समस्त प्रकार के संसाधनों का अभाव है, चाहे वह मानव संसाधन हो या फिर वित्तीय या अन्य संसाधन, जिसके परिणामस्वरूप अकुशल व अप्रभावी कार्यशैली को प्रश्रय मिलता है।
- अगर घटना के एक वर्ष पश्चात् कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो आयोग संबंधित घटना की जाँच नहीं कर सकता है।

VISION IAS

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जाँच के दायरे में जम्मू-कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है, अतः वहां मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर आयोग जाँच नहीं कर सकता है।
- सशस्त्र बलों द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जाँच के संबंध में आयोग के अधिकार अत्यधिक सीमित हैं।
- मानवाधिकार संरक्षण कानून (1993) NHRC को स्पष्ट रूप से निजी पक्षों द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में सशक्त नहीं करता है।
- आयोग के पास किसी भी प्रकार की अवमानना शक्तियाँ नहीं हैं, अतः इसकी सिफारिशों को समयबद्ध प्रक्रिया से लागू नहीं करने के बावजूद यह आयोग संबंधित प्राधिकरणों को दंडित नहीं कर सकता।
- आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु जो स्टाफ उपलब्ध कराए जाते हैं, वे अधिकांशतः मानवाधिकारों के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होते हैं। ये स्टाफ अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए हुए होते हैं।
- गैर-न्यायिक पदों को अक्सर संबंधित विशेषज्ञों के स्थान पर सेवानिवृत नौकरशाहों द्वारा भरा जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

- यह एक सांविधिक संस्था है, जिसका गठन वर्ष 1993 में 'मानवाधिकार संरक्षण क़ानून,1993' के तहत किया गया था। मानवाधिकार के क्षेत्र में यह सर्वोच्च संस्था जीवन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा जैसे मानवाधिकारों, जो कि संविधान और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों पर आधारित हैं, के संरक्षण और प्रसार का कार्य करती है।
- मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा चार अन्य सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा एक सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अलावा 2 सदस्यों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या कार्यानुभव होने चाहिए।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' के पदेन सदस्य होते हैं।

आगे की राह

- ''मानवाधिकार संरक्षण कानून'' को संशोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे काफी वर्ष पूर्व पारित किया गया था, अतः वर्तमान चुनौतियों और मांगों को भी इस कानून में समाहित किए जाने की आवश्यकता है।
- NHRC की कार्यप्रणाली को अधिक कुशल व प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न संरचनात्मक व क्रियात्मक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।
- आयोग का सुदृढ़ीकरण करना चाहिए तथा इसकी सिफारिशों का पालन समयबद्ध प्रक्रिया से करवाए जाने की आवश्यकता है।
- आयोग के लिए स्वतंत्र स्टाफ का चयन व प्रबंधन किया जाए।
- आयोग को सशस्त्र बलों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के संबंध में स्वतंत्र जाँच की अनुमति प्रदान की जाए।
- मानवाधिकार उल्लंघन के ऐसे मामलों में जहाँ पुलिस शामिल हो, उनकी जाँच एक स्वतंत्र व पृथक संस्था को दी जाए।

1.7. भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ASCI)

[Advertising Standards Council of India (ASCI)]

- विज्ञापन के क्षेत्र में ASCI नामक स्व-नियामक संस्था का गठन 1985 में किया गया था।
- विज्ञापन उद्योग के तीन प्रमुख घटकों विज्ञापन दाता, विज्ञापन एजेंसियों तथा मीडिया ने संयुक्त रूप से इस स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था का गठन किया।

- इस संस्था का प्रमुख लक्ष्य विज्ञापनों के प्रति आम लोगों के विश्वास को बनाये रखना तथा उसे और अधिक बढ़ाना है। ASCI के अधिदेश के अंतर्गत इसे यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विज्ञापन सामग्री सत्यपरक, कानूनी रूप से मान्य तथा अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार हो व भ्रामक ना हो। इसके अलावा यह संस्था यह भी सुनिश्चित करती है कि विज्ञापन मर्यादित हों, महिलाओं को वस्तुपरक नजरिये से प्रस्तुत ना करता हो तथा उपभोक्ताओं विशेषत: बच्चों के लिए उपयुक्त हो व इसके साथ ही अपने प्रतिद्वन्दी के प्रति भी उदार हो।
- यह संस्था किसी विज्ञापन के विरुद्ध की गई किसी भी प्रकार की शिकायत को ASCI के मानकों तथा अन्य कानूनों के प्रकाश में विचार करती है।

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ASCI) तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुआ। यह समझौता ज्ञापन वस्तुतः खाद्य तथा पेय पदार्थों के क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की जाँच से संबंधित है।

समझौता ज्ञापन (MoU) के मुख्य बिंदु

- ASCI को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से यह स्वप्रेरित (*suo moto*) अधिदेश प्राप्त हुआ कि वह खाद्य व पेय पदार्थों के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में मिली शिकायतों तथा FSSAI की शिकायतों की भी जाँच करे।
- यह भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक कानून, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों का भी निरीक्षण करेगा, साथ ही भ्रामक तथा अप्रमाणित या गलत दावे करने वाले विज्ञापनों का भी विनियमन करेगा।
- इसके अलावा यह भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक क़ानून, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन ना होने की स्थिति में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

1.8. अरुणाचल प्रदेश सरकार की पुनर्बहाली

(Arunachal Pradesh Government Restored)

सुर्खियों में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को पुनर्बहाल कर राज्यपाल के द्वारा पूर्व में लिए गए सभी निर्णयों को "असंवैधानिक" घोषित कर दिया।
- उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश में वहां के राज्यपाल के फैसले के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तथा बाद में नई सरकार का गठन भी किया गया था।

विवरण

- **यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा वहां के सरकार को बर्खास्त करने और नयी सरकार के शपथ ले लेने के बाद भी पुरानी सरकार को बहाल किया गया।**
- सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि राज्यपाल को यह निर्धारित करने की स्वतंत्रता नहीं है कि कब और किन परिस्थितियों में वह बिना मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के स्वयं अपने विवेक के आधार पर कोई फैसला ले सकता है।
- अदालत ने कहा कि राज्यपाल एक निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है अपितु उसे केवल एक कार्यकारी प्रतिनिधि के रूप में पद पर नियुक्त किया जाता है जिसकी शक्तियाँ मंत्रिमंडल की सलाह से निर्धारित होती हैं।
- फैसले के अनुसार, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना केवल तब कार्य कर सकते हैं जब संबधित राज्य की सरकार विश्वास मत परीक्षण में अपना बहुमत खो देती है।
- न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि **राज्यपाल "विधान सभा" का कोई स्वयंभू संरक्षक नहीं** है, अतः राज्यपाल को विधानसभा की कार्यवाही से स्वयं को पृथक रखना चाहिए।

VISION IAS

- अदालत ने कहा कि **विधान सभा के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए राज्यपाल की कोई भी भूमिका संविधान में परिकल्पित नहीं की गयी है।**
- इसलिए विधानसभा सत्र के लिए तारीख तय करना अथवा यह कैसे कार्य करेगी, यह निर्धारित करना राज्यपाल का अपनी शक्तियों के क्षेत्र से बाहर जाना होगा।

प्रभाव

- इस फैसले का मुख्य महत्व यह है कि यह राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट करता है।
- राज्यपाल को एक राजनीतिक पार्टी के भीतर विवादों को हल करने का कोई अधिकार नहीं है।
- इसके पास मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना एक विधानसभा सत्र की अवधि को बढ़ाने अथवा इसके एजेंडे को निर्धारित करने का विवेकाधिकार नहीं है।
- भविष्य में, यह निर्णय अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में मददगार होगा।

(नोट: इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी के लिए, कृपया विजन फरवरी, 2016 करंट अफेयर्स देखें।)

1.9. सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की अध्यक्ष की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

(SC Ruling on Speaker's Power to Disqualify Members)

सुर्खियों में क्यों?

- अरुणाचल प्रदेश संकट पर फैसले के हिस्से के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के लिए विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का निर्णय लेने से उस स्थिति में बचना चाहिए जबकि स्वयं उसके विरुद्ध पद से हटाए जाने के लिए संकल्प का नोटिस लंबित है।

प्रभाव

- अध्यक्ष अपना पद खोने के भय से सदन की संरचना में परिवर्तन करने हेतु विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रयास कर सकते हैं।
- इसलिए यह फैसला अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अध्यक्ष के द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही के खिलाफ संरक्षण प्रदान करेगा।

1.10. क्षमादान की शक्ति: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

(SC Ruling: Power of Pardon)

- सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया कि कार्यपालिका की क्षमादान की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तब तक प्रश्नगत नहीं किया जा सकता जब तक कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।
- सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जहाँ व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार प्राप्त कर सकता है) को केवल तभी प्रयोग में लाया जा सकता है जब किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो या जहां कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत मामला जनहित याचिका की परिभाषा के दायरे में आता हो।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां:

- अनुच्छेद 72 में उल्लिखित राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को दी गई क्षमादान की शक्तियों से भिन्न है। राष्ट्रपति को राज्यपाल की तुलना में अनुच्छेद 72 के तहत व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- ऐसे मामले में जहां दोषी को मौत की सजा की सजा सुनाई है, केवल राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को मौत की सजा माफ करने का अधिकार नहीं है, हालाँकि वे मृत्युदंड की स्थिति में निलंबन, लघुकरण या परिहार की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

VISION IAS

- राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के तहत दिए गए दंड को भी माफ कर सकते हैं जबकि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है।
- राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही मृत्युदंड के मामले में निलंबन, लघुकरण और परिहार की शक्ति के संबंध में समवर्ती अधिकार प्राप्त हैं।

1.11. अनुसूचित जातियों के लिए बने फंड का पूर्ण उपयोग न किया जाना

(Funds Meant for Scheduled Castes Underutilized)

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग सभी राज्य अनुसूचित जाति समुदाय के संबंध में अपनी बजटीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में नाकाम रहे हैं।
- केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिए गए दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल उन्हीं योजनाओं को अनुसूचित जाति उप-योजना (Scheduled Caste Sub-Plan -SCSP) के तहत शामिल किया जाना चाहिए जिनसे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों या उनसे संबंधित परिवारों को सीधा लाभ सुनिश्चित हो।
- कई राज्यों के द्वारा आम तौर पर अनुसूचित जाति उप-योजना (Scheduled Caste Sub-Plan -SCSP) के लिए धन अनुसूचित जाति की आबादी के अनुसार आवंटित किया गया है।
- हालांकि, आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर अधिकांश राज्यों में, SCSP के तहत आवंटित राशि का वास्तविक व्यय केवल 2% से 8% के बीच किया गया है।
- दूसरी तरफ राज्य के अधिकारियों के द्वारा "दोषपूर्ण लेखा परीक्षा" के लिए आयोग को दोषी ठहराया गया है। उनका दावा है कि अनुसूचित जाति के लिए धन को पृथक करना जटिल कार्य है क्योंकि सड़क, शौचालय, स्कूलों और पीने के पानी के रूप में बुनियादी संरचना योजनाओं के रूप में भी समुदाय के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होता है।

1.12. सुप्रीम कोर्ट ने क्रमागत आजीवन कारावास को खारिज किया

(Supreme Court Rules Out Consecutive Life Terms)

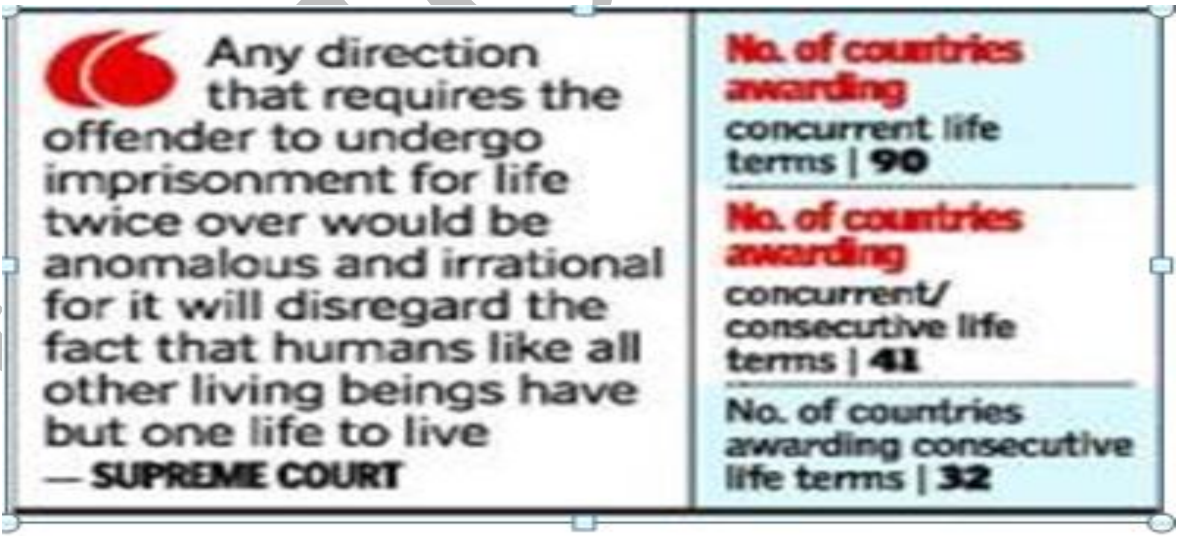

- सुप्रीम कोर्ट की एक पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी है कि जघन्य अपराधों में दोषी पाए जाने वाले को दो बार या तीन बार आजीवन कारावास की सजा देने का कोई अर्थ नहीं है।
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-31 (एक मुकदमे में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के मामलों में सजा) की व्याख्या करते हुए, संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को या एक अपराधी को भी केवल एक ही जीवन प्राप्त है और उसे लगातार कई आजीवन कारावास की सजा नहीं दी सकती।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जिनमें एक व्यक्ति दो बार आजीवन कारावास की सजा का अभियुक्त है और उसकी पहली आजीवन कारावास की सजा माफ़ कर दी जाती है या उसकी सजा को कम कर दी जाती है,लेकिन दूसरी आजीवन कारावास की सजा तुरंत शुरू हो जाती है तो वह पहली सजा में प्राप्त परिहार या लघुकरण के लाभ से वंचित हो जाएगा।
- अन्य मामले में, अगर एक अपराधी को नियत वर्ष के लिए 'सावधि' सजा ('term' sentences) के साथ आजीवन कारावास दिया जाता है, जैसे कि सात या 10 वर्ष, तो इस तरह के मामलों में दोषी को उसकी उम्रकैद की सजा में प्रवेश से पहले अपनी सावधि सजा पूरी करनी होगी।
- न्यायलय ने अंत में कहा है कि सावधि सजाओं का एक के बाद दूसरे की चलने की अपेक्षा उन्हें साथ-साथ चलना चाहिए ताकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी एक मामले में दी गई परिहार या लघुकरण का प्रभाव स्वतः (ipso facto) ही दूसरी सजा पर ना पड़े।

1.13. उच्चतम न्यायलय ने बीसीसीआई में ढांचागत सुधारों को स्वीकार किया

(SC Accepts Structural Reforms in BCCI)

पृष्ठभूमि

- उच्चतम न्यायलय ने 4 जनवरी 2016 को लोढ़ा समिति को नियुक्त किया था।
- समिति ने व्यापक सुधारों और उथल-पुथल से प्रभावित बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों में फेर-बदल की सिफारिश की। इसके लिए कुछ पूर्व खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रशासकों ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
- अदालत ने बीसीसीआई की याचिका को खारिज कर दिया और समिति के प्रमुख प्रस्तावों को बरकरार रखा।

स्वीकृत शिफारिशें

- उच्चतम न्यायलय ने बीसीसीआई की एक राज्य-एक वोट की सिफारिश के खिलाफ आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि जिन राज्यों में एक से अधिक क्रिकेट संघ है उन्हें अपने राज्य में "आवर्ती आधार" (rotational basis) पर मतदान का अधिकार होगा।
- इसका अर्थ यह है कि एक से अधिक क्रिकेट संघ वाले राज्यों जैसे- गुजरात (सौराष्ट्र, गुजरात और बड़ौदा) और महाराष्ट्र (मुंबई, महाराष्ट्र और विदर्भ) के मामले में, आवर्ती आधार पर एक बार में किसी एक संघ को मतदान का अधिकार होगा।
- उच्चतम न्यायलय ने अपने आदेश में बीसीसीआई के बोर्ड या संबंधित राज्य संघों में सेवारत सिविल सेवकों और मंत्रियों की सेवा पर रोक लगा दी है।
- उच्चतम न्यायलय ने इस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया जिसके तहत यह निर्धारित की गयी है कि बीसीसीआई के पदाधिकारियों की उम्र 70 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यह सिफारिश भी स्वीकार कर ली गयी है कि क्रिकेट प्रशासन में एक व्यक्ति को एक पद धारण करना चाहिए ताकि हितों के टकराव से बचा जा सके और बीसीसीआई में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) कार्यालय से एक नामांकित व्यक्ति के आने के बाद अन्य सभी प्रशासनिक समितियों को रद्द किया जाए।
- अदालत ने समिति द्वारा सिफारिश की गई कार्यकाल की अवधि को सही ठहराया है। प्रत्येक पदाधिकारी का कार्यकाल तीन साल का होगा और प्रत्येक कार्यकाल के बाद एक अनिवार्य उपशमन अवधि (cooling-off period) होगी तथा वह अधिकतम तीन बार चुनाव लड़ सकता है।
- उच्चतम न्यायलय ने यह सिफारिश भी स्वीकार कर ली है कि बीसीसीआई में एक प्लेयर्स एसोसिएशन (खिलाड़ी संघ) होना चाहिए। उच्चतम न्यायलय प्लेयर्स एसोसिएशन की स्थापना और उसके लिए निधि की व्यवस्था का आदेश बीसीसीआई को दिया।
- उच्चतम न्यायलय ने समिति के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के कार्यालय से नामांकित एक व्यक्ति बीसीसीआई की प्रबंध समिति का हिस्सा हो।

सिफारिशें जिन्हें संसद के निर्णय के लिए छोड़ा गया

- उच्चतम न्यायलय ने लोढ़ा पैनल की उस सिफारिश के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार संसद पर छोड़ दिया है, जिसमें बीसीसीआई के कामकाज को आरटीआई के तहत लाए जाने का प्रस्ताव है।
- उच्चतम न्यायलय इसे भी संसद के निर्णय के लिए छोड़ दिया कि क्रिकेट में सट्टेबाजी वैध हो या नहीं।

सिफारिशें जो बोर्ड के निर्णय के लिए छोड़ा गया

- यह बोर्ड को तय करने के लिए छोड़ दिया गया कि प्रसारण अधिकारों से संबंधित मौजूदा समझौते में किसी भी बदलाव की जरूरत है या नहीं।
- यह भी बोर्ड को तय करना होगा कि हितों के किसी भी टकराव की स्थिति से बचने के लिए बोर्ड में किसी फ्रेंचाइजी सदस्य को होना चाहिए या नहीं।
- बीसीसीआई में प्लेयर्स एसोसिएशन के वित्त पोषण की सीमा को बोर्ड द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया गया है।

उच्चतम न्यायलय ने तीन सदस्यीय लोढ़ा पैनल से अनुरोध किया कि वह अगले छह महीने में बीसीसीआई की प्रशासनिक संरचना में होने वाले संक्रमण की देखरेख करे।

आगे की राह

- उच्चतम न्यायलय का आदेश निश्चित हीं बीसीसीआई के संगठनात्मक ढाँचे, सदस्यता और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने और इसे प्रभावी रूप से परिवर्तित करने में सक्षम है।
- प्रथम दृष्टया यह न्यायिक सक्रियता की तरह दिखता है, लेकिन बीसीसीआई की दुखद स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए उच्चतम न्यायलय का यह कदम समय की आवश्यकता थी।
- इस फैसले का प्रभाव सामान्य रूप से सभी खेलों पर पड़ेगा। बीसीसीआई देश में खेलों के लिए सबसे अच्छे निकायों में से एक है और स्वयं अपने लिए धन जुटाता है। फिर भी इसमें यथोचित बदलाव किये जाने की जरूरत है।
- सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अन्य खेल निकायों पर भी लागू करने की माँग होनी चाहिए जो सरकार पर निर्भर हैं और जिन्हें व्यक्तिगत जागीर के रूप में राजनीतिज्ञों द्वारा चलाया जाता है।

[नोट- अधिक जानकारी के लिए जनवरी -2016, का करेंट अफेयर्स देखें।]

1.14 उच्चतम न्यायलय का न्यायिक अतिक्रमण के खिलाफ न्यायाधीशों को चेतावनी

(Supreme Court Warns Judges Against Judicial Overreach)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में उच्चतम न्यायलय ने न्यायिक अतिक्रमण (जूडिशल ओवरींच) के खिलाफ न्यायाधीशों को आगाह किया और कहा कि न्यायाधीशों को कानून की सीमाओं के भीतर ही रहना चाहिए और व्यक्तिगत धारणाओं और विचारधारा से न्याय को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए।

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच क्या अंतर है?

- हमारी संवैधानिक योजना के तहत, न्यायपालिका को विधायिका द्वारा बनाए गए संविधान सम्मत कानूनों के प्रवर्तन का दायित्व दिया गया है जिसके लिए उसे कुछ विशेष प्रकृति की रिट जारी करने की शक्ति से लेकर विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पेटीशन) जारी करने जैसे व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।
- इसके अलावा, हाल के दिनों में जनहित याचिका जैसे नवाचारों ने न्यायपालिका की शक्ति को काफी विस्तृत कर दिया है।
- इस प्रकार, राज्य के विभिन्न अंगों और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों की पुनर्व्याख्या के लिए न्यायपालिका द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग ही न्यायिक सक्रियता कहलाता है।
- हालांकि, न्यायिक सक्रियता का यह मतलब नहीं है कि न्यायपालिका अपनी शक्तियों को विस्तृत करने के लिए इच्छुक है बल्कि इसमें उत्तरदायी सरकारों के पतन से उत्पन्न विधायी शून्यता को भरकर न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बहाल करना शामिल है।

- शासन के दो अन्य महत्वपूर्ण अंगों अर्थात कार्यपालिका अथवा विधायिका की शक्तियों को न्यायिक सक्रियता के नाम पर छीन कर कर जब उनका बेहिचक प्रयोग किया जाता है तो इसे न्यायिक अतिक्रमण कहा जाता है।
- संविधान द्वारा कानून बनाने की शक्ति विधायिका को प्रदान की गई है। ऐसी कोई विधायी शक्ति संविधान द्वारा न्यायपालिका को नहीं दी गई है। न्यायिक सक्रियता का प्रयोग विधायिका की खामियों को भरने के लिए या अधिकार प्रदान करने के लिए अथवा ऐसे उत्तरदायित्वों का सृजन करने के लिए जो विधायिका को प्रदत नहीं हैं, के लिए नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के फैसले में क्या कहा?

- शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायाधीशों को व्यक्तिगत धारणाओं और विचारों से न्याय को संकीर्ण नहीं करना चाहिए। एक न्यायाधीश की पवित्र प्रतिज्ञा संविधान और कानूनों में सन्निहित होनी चाहए।
- शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कोई न्यायधीश खुद को "आशा की किरण" समझता है और इस तरह की धारणा से प्रभावित होकर निर्णय लेता है तो यह समाज के लिए अच्छा होने की अपेक्षा अधिक नुकसानदायक हो सकता है।
- शीर्ष अदालत के अनुसार अपनी शक्तियों का उपयोग करते समय यह ध्यान में रखना है कि 'अनुशासन' और 'नियम' वस्तुतः दो बुनियादी स्वर्णिम गुण हैं, जिनके अंदर रहते हुए न्यायाधीशों को कार्य करना है।

आगे की राह

- न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच एक बहुत पतली रेखा विद्यमान है। यह हमारे देश के सर्वोत्तम हित में होगा यदि न्यायाधीश इसे समझें और स्वयं को इस रेखा को पार करने से रोकें।
- न्यायपालिका विधान बना कर या अपने निर्णयों के क्रियान्वयन के माध्यम से देश पर शासन नहीं कर सकती। पुनः इसका निर्माण भी इसके के लिए नहीं हुआ है। एक वैध न्यायिक हस्तक्षेप वह है जो स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के अनुमत दायरे के भीतर होता है।
- विशुद्ध राजनीतिक सवाल और नीतिगत मामले में मूल कानूनी मुद्दे के निर्णय को शामिल नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहना चाहिए।

1.15. सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) पर उच्चतम न्यायालय का आदेशः

(Supreme Court Ruling on AFSPA)

- उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया कि 'देश के संवेदनशील इलाकों में सशस्त्र बलों की वजह से हुई प्रत्येक हत्या की गहन जाँच की जाएगी। इस जाँच से यह सुनिश्चित किया जाएगा किसी की **'न्यायेतर हत्या'** ना हो।
- उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के पश्चात अब सुरक्षा बलों द्वारा संवदेनशील इलाकों में भी मनमानी करने की पूरी छूट नहीं होगी। इन इलाकों में भी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गैरकानूनी कार्यवाहियों की जाँच की जाएगी।
- 'सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून' (AFSPA) के अंतर्गत की गई सैन्य कार्रवाइयों में अकेले मणिपुर में 1528 नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। इन्हीं पीड़ित परिवारों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश सुनाया।

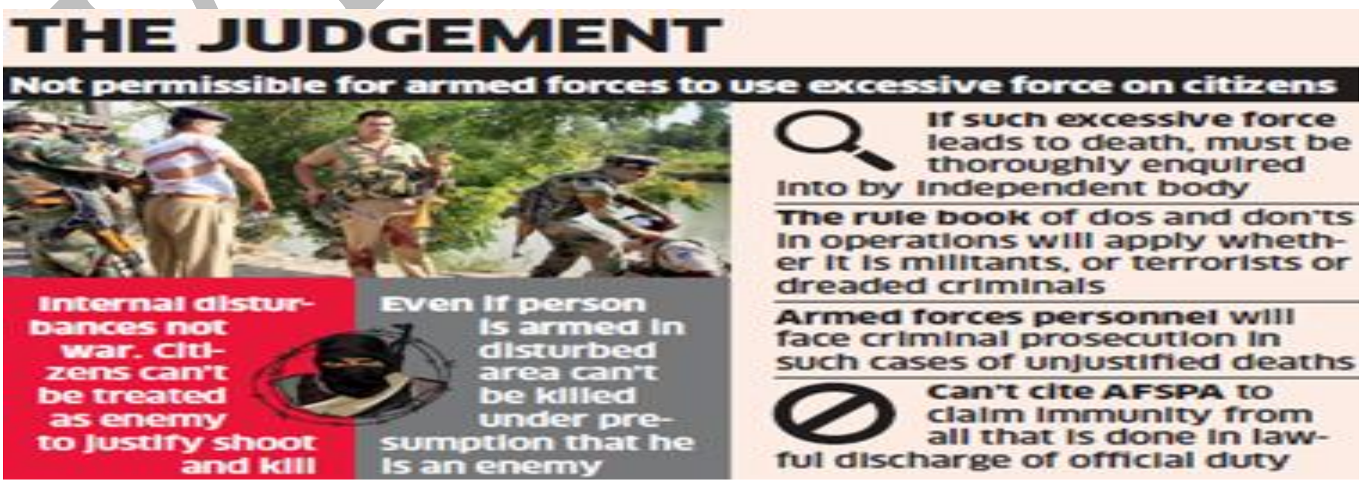

AFSPA क्या है?

- 'सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून' (AFSPA) को 1958 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य संवदेनशील तथा अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की बहाली के लिए सैन्य बलों को विशिष्ट शक्तियाँ देना व उन्हें कानूनी कार्रवाई से उन्मुक्तियां प्रदान करना था।
- कुछ विशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित हैं-
    - अशांत क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के विरुद्ध कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति को एक बार चेतावनी दिए जाने के पश्चात उस पर गोली चलाने की शक्ति।
    - किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति।
    - किसी भी वाहन को रोकने तथा उसकी तलाशी लेने की शक्ति।
    - सुरक्षा बल के सैनिकों को उनके कृत्यों के लिए प्रतिरक्षा का मिलना।
- वर्तमान में उत्तर-पूर्व के छह राज्यों में AFSPA लागू है, तथा इनके अलावा जम्मू व कश्मीर में भी यह लागू है। त्रिपुरा में हाल ही में इसे हटाने का फैसला किया गया है।

AFSPA के विपक्ष में तर्क

- अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि सशस्त्र बल 'AFSPA' से मिली शक्तियों व प्रतिरक्षा के अधिकार का दुरूपयोग करते हैं। सशस्त्र बलों पर प्रायः फर्जी एनकाउंटर तथा यौन उत्पीड़न के आरोप लगते रहते हैं।
- इस तरह के कानून से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जो कि लोकतंत्र में नागरिकों की आस्था को चोट पहुंचाता है, तथा हिंसा के दुष्चक्र का प्रसार करता है।
- यह नागरिकों की स्वतंत्रता तथा मूल अधिकारों का निलंबन करता है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती है।
- यह आरोप लगाया जाता है कि बिना उत्तरदायित्व के प्रदान की गयी अत्यधिक शक्तियों ने सशस्त्र बलों को असंवेदनशील तथा गैर-पेशेवर बना दिया है।
- आलोचकों का कहना है कि लागू होने के 50 वर्षों के बाद भी AFSPA अशांत क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बहाल करने में सफल नहीं हो पाया है, जो साबित करता है कि यह कानून असफल है।
- त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में इस विवादास्पद कानून को हटाने का फैसला किया है, हालांकि इस कानून को हटाने की शक्ति राज्यपाल या केंद्र के पास है।

AFSPA के पक्ष में तर्क

- आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों तथा राज-द्रोह के मामलों में सशस्त्र बलों के सख्ती से व प्रभावशाली तरीकों से कार्य करने के लिए यह कानून आवश्यक है।
- अशांत क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में इस कानून के प्रावधानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार यह कानून देश की एकता व अखंडता की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहा है।
- प्रति वर्ष सैकड़ों सैनिक अपनी जान आतंकवादियों व विद्रोहियों के हाथों गंवा देते है, इसलिए सैनिकों को शक्तिशाली बनाया जाना आवश्यक है। इस कानून को हटाए जाने से सैनिकों के मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा।

आगे की राह

- AFSPA की समीक्षा करने के लिए 2004 में बनी समिति ने इस कानून को निरस्त किए जाने की अनुशंसा की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में AFSPA को 'दमन का प्रतीक, घृणा की वस्तु तथा भेदभाव व मनमानी करने का औजार' बताया।
- इस कानून को बने 50 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी यह अपने वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाया है।
- आतंकवाद तथा अशांति से ग्रसित क्षेत्रों में जहां स्थानीय लोग इसमें सक्रिय भागीदारी रखते हैं, वहां इन मुद्दों से निपटने की रणनीति के पुनरावलोकन की आवश्यकता है।

VISION IAS

न्यायालय का निर्णय

- नागरिकों पर अत्यधिक सैन्य बल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं।
- अगर अत्यधिक बल प्रयोग से कोई मृत्यु हो जाती है, तो कोई स्वतंत्र संस्था उसकी जाँच करेगी।
- सैन्य बलों की कार्य प्रणाली के नियम हर परिस्थिति में लागू होंगे, चाहे मुठभेड़ में शामिल व्यक्ति आतंकवादी हो या दुर्दांत अपराधी।
- अगर कोई भी मृत्यु असंगत या अतार्किक पाई जाएगी तो संबंधित सैनिकों को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
- AFSPA की आड़ में गैर कानूनी तरीके से किए गए कृत्यों के लिए प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी।
- आंतरिक अशांति को युद्ध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। किसी मृत्यु को तर्कसंगत ठहराने के लिए किसी नागरिक को दुश्मन करार नहीं दिया जा सकता है।
- इसके साथ ही अशांत क्षेत्र में किसी शस्त्रधारी व्यक्ति को भी दुश्मन या शत्रु घोषित कर गोली नहीं मारी जा सकती।

1.16. विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

(World Bank : International Solar Alliance)

- विश्व बैंक समूह ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन परियोजना के तहत विकसित की जाने वाली सस्ती तथा वहनीय सौर ऊर्जा के विकास और प्रसार हेतु सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अंतर्गत विश्व बैंक इस प्रकार सहायता प्रदान करेगा-
    - ✓ वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की राशि जुटाना।
    - ✓ परियोजना के लिए धनराशि जुटाने हेतु रूपरेखा का निर्माण करना।
    - ✓ वित्तीय संस्थानों तथा अन्य बहुपक्षीय बैंकों के साथ मिलकर कार्य करना ताकि सौर ऊर्जा के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था व विकास किया जा सके।
    - ✓ विश्व बैंक भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 1 अरब डॉलर का ऋण प्रदान करेगा, जिसमें ग्रिड से जुड़े रूफ-टॉप सौर ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम के लिए भी 625 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे।

समझौते का महत्व

- सौर ऊर्जा की इतनी विशाल व महत्वाकांक्षी परियोजना के समक्ष सबसे प्रमुख चुनौती वित्तीय संसाधनों की रहती है। विश्व बैंक के इससे जुड़ने के पश्चात इस परियोजना को बल मिलेगा।
- इसके साथ ही अन्य वित्तीय संस्थानों और बहुपक्षीय बैंकों के शामिल होने से सौर ऊर्जा कार्यक्रम को लाभ मिलेगा।
- इस समझौते से सौर ऊर्जा कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्वरुप तथा नई पहचान मिलेगी।

ISA के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के विकास के उद्देश्य से विकसित और विकासशील देशों को एक साथ कार्य करने का एक मंच उपलब्ध करवाता है।
- यह कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित देशों की सौर ऊर्जा संभाव्यता का प्रयोग करने की दिशा में कार्य करेगा, जहाँ वर्ष में लगभग 300 दिन प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है।
- इसका शुभारंभ भारत तथा फ्रांस के द्वारा वर्ष 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किया गया था।
- इसका प्रधान कार्यालय भारत में स्थित होगा जिसके लिए भारत सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा इसके सचिवालय के निर्माण के लिए 3 करोड़ डॉलर तथा संचालन हेतु 5 वर्षों तक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- ISA के प्रमुख कार्य प्रशिक्षण में सहयोग करना, संस्थानों का निर्माण, नियामक संबंधी मामलों को देखना, सामान्य मानकों का निर्धारण करना तथा सामूहिक सहयोग के माध्यम से निवेश करना है।

VISION IAS

1.17. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: मुरुगन की पुस्तक पर लगाया गया प्रतिबंध हटा

(Freedom of Speech: Ban on Murugan's Book Reversed)

पृष्ठभूमि

- तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन के काल्पनिक उपन्यास 'मथोरुभागान' (अंग्रेजी में 'वन पार्ट वुमन') के विरोध में तमिलनाडु में अत्यधिक विरोध प्रदर्शन हुए। मुरुगन को अपने उपन्यास के लिए स्थानीय जातीय समूह के आक्रोश का शिकार होना पड़ा, जिनका दावा था कि इस उपन्यास की विषय-वस्तु से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है।
- मुरुगन को प्रदर्शनकारियों, पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों ने बिना शर्त इस मामले पर माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। मुरुगन ने बाद में लेखन कार्य छोड़ने की सार्वजनिक तौर पर घोषणा की।
- मद्रास न्यायालय ने इस पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाने व लेखक पर मुकदमा दायर करने से इंकार कर दिया।

मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला

- मद्रास उच्च न्यायालय ने एक प्रगतिशील व उदार फैसला किया, जो कि लेखन की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को महत्व देता है।
- न्यायालय ने समाज में स्वघोषित निर्णायकों को भी कड़ी फटकार सुनाई जो कि अनधिकृत रूप से यह तय करने का प्रयास करते हैं कि समाज के लिए कोई सामग्री पढ़े या देखे जाने योग्य है या नहीं। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिन्हें ऐसी पुस्तकों से अपनी भावनाओं को ठेस पहुँचने का अंदेशा रहता है, ऐसे लोग उन पुस्तकों को ना पढ़ें। न्यायालय का यह फैसला अन्य मामलों में भी उदाहरण प्रस्तुत करेगा।
- उच्च न्यायालय ने पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का संज्ञान कराते हुए यह कहा कि उनका प्राथमिक कर्तव्य अभिव्यक्ति की स्वतंन्त्रता की रक्षा करना है, ना कि भीड़ के दबाव के आगे घुटने टेक कर कानून व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर इसका गला घोंटना है।

न्यायिक सेंसरशिप का मामला

- भारतीय आपराधिक संहिता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा किसी पुस्तक पर प्रतिबंध को द्विस्तरीय संरक्षण प्रदान करती है।
  - ✓ CrPC की धारा 95 और 96 के अंतर्गत किसी पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व सरकार अपने सामान्य विवेक का प्रयोग करेगी।
  - ✓ सरकार द्वारा किये गए ऐसे फैसले का न्यायिक पुनरीक्षण किसी याचिका के माध्यम से किया जा सकता है।
- वर्तमान समय में यह समस्या दृष्टिगत हुई है कि अक्सर लोग किसी पुस्तक को प्रतिबंधित करवाने के लिए सीधे ही न्यायालय की शरण लेने लगे हैं, तथा न्यायपालिका भी इनका संज्ञान लेती है। इससे सरकार के स्तर पर बनाये गए द्विस्तरीय संरक्षण की अवहेलना होती है।
- किसी पुस्तक की विवेचना का यह स्वरुप पूर्णतः न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है, पीठासीन न्यायाधीश किसी पुस्तक के बारे में कैसी धारणा रखता है, इस पर सम्बंधित पुस्तक का भविष्य निर्भर करता है। इस प्रकार एकल निर्णय पर आधारित यह फैसला संविधान तथा कानून के सिद्धांत पर खरा नहीं उतरता है।
- अत: न्यायालय को इस मुद्दे को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए आगे की राह तय करनी होगी, अन्यथा अभिव्यक्ति की स्वतंन्त्रता और पुस्तकों पर प्रतिबंधों जैसे संवेदनशील मामलों में अनिश्चितता का वातावरण बनेगा।

1.18 सिविल सेवकों द्वारा भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए नियम

(Rules to Check Nepotism by Civil Servants)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिविल सेवक अपने परिवार के सदस्यों या खून के सम्बन्ध वाले व्यक्तियों को अथवा वैवाहिक संबंधों के कारण जुड़े व्यक्तियों को अपनी स्थिति का उपयोग कर लाभ प्रदान नहीं करेंगे।

VISION IAS

आवश्यकता

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम,1964 के तहत "परिवार के सदस्यों " की परिभाषा के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई दुविधा के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण (DoPT) विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

भाई-भतीजावाद को रोकने के लाभ

- **निष्पक्षता, निष्पक्षतावाद और गैर-पक्षपात के लिए:** केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम के उपनियम 4(1) के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी स्थिति या प्रभाव का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर किसी कंपनी या फर्म में अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए नहीं करेगा।
- **शासन में सत्यनिष्ठा और शुचिता के लिए:** नियम 4 (3) के अनुसार, कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसी किसी भी कंपनी या फर्म से जिसमें उसके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत है, के साथ किसी भी प्रकार का सौदा नहीं कर सकता या किसी भी प्रकार के अनुबंध की अनुमति प्रदान नहीं कर सकता है।
- **दक्षता और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए :** 50-55 आयु वर्ग तक पहुँचने और सेवा में 30 वर्ष पूर्ण करने पर प्रत्येक अधिकारी के प्रदर्शन की समीक्षा।
- **भ्रष्टाचार कम करने के लिए:** केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष एक नियम बनाया, जिसमें यह प्रावधान है कि जनता के हित में सिविल सेवकों को उनके पद से हटाया जा सकता है भले ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत न हो।

1.19. शरण चाहने वालों के लिए लाभ

(Benefits to Asylum Seekers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से "सताए" गए अल्पसंख्यकों के लिए कई लाभों को विस्तृत करने से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
- वे अब स्व-रोजगार से जुड़ सकते हैं, संपत्ति खरीद सकतें हैं, बैंक में खाता खुलवा सकतें हैं और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड व आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

शरण (असाइलम) क्या है?

- अपने जीवन की सुरक्षा या युद्ध कारणों से मूल देश को छोड़ने के लिए मजबूर किए गए लोगों को प्रदत सुरक्षा या संरक्षण, विशेष रूप से सरकार द्वारा प्रदत इस प्रकार के सुरक्षा या संरक्षण, को असाइलम की संज्ञा दी जाती है।
- भारत काफी संख्या में शरणार्थियों को शरण दे रहा है, हालांकि भारत संयुक्त राष्ट्र के 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र नहीं है।
- भारत में शरण की मांग कर रहे लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। भारत में राष्ट्रीय शरण कानून नहीं है। भारत में विदेशियों के साथ सामान्यतः निम्नलिखित विधानों के अन्तर्गत व्यवहार किया जाता है–
  1. रजिट्रेशन ऑफ़ फॉरिनर्स एक्ट, 1939
  2. द फॉरिनर्स एक्ट, 1946
  3. द फॉरिनर्स ऑर्डर, 1948

प्रस्तावित परिवर्तन

- अपने मूल देशों में उत्पीड़न के डर से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के कई सदस्य भारत आए हैं।
- नागरिकता संबंधी पंजीकरण शुल्क को 3,000-15,000 रुपया से घटाकर 100 रुपया किया जाएगा।
- ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त कराने में मदद करने के लिए जल्द ही नागरिकता अधिनियम, 2009 में संशोधन किया जाएगा।

VISION IAS

- लाभार्थी स्वयं के व्यवसाय या स्व-रोजगार में उपयोग के लिए संपत्ति खरीद सकते हैं।
- लाभार्थियों को उनके प्रवास वाले राज्य के भीतर मुक्त आवाजाही की अनुमति है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरित अपनी लंबी अवधि के वीजा कागजात को भी वे प्राप्त कर सकते हैं।
- सरकार ने उन्हें अनुमति दी है कि वे अपने वर्तमान निवास स्थान से ही लंबी अवधि की वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही वे बिना अनुमति के वर्तमान स्थान पर आ गए हों।
- सरकार ने उनकी अल्प या लंबी अवधि की वीजा विस्तार के लिए आवेदन करने में देरी पर जुर्माने को माफ कर दिया है।
- आवेदकों के निष्ठा की शपथ संबंधी प्रकार्यों को संपन्न करने के लिए कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या उससे ऊंचे रैंक के अधिकारी को उक्त प्राधिकार प्रदान करें।
- भारत के नागरिक के रूप में उनका पंजीकरण कराने के लिए ऐसी शक्तियां दो वर्षों के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के कलेक्टरों को दे दी जाएगी।

आगे की राह

केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों के सताए गए अल्पसंख्यकों की समस्याओं को दूर करने के लिए पिछले दो साल में कई कदम उठाए हैं, जो यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं। प्रस्तावित परिवर्तन का शोषण के शिकार और हिंसा के अधीन जीवन व्यतीत करने वाले शरणार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उक्त परिवर्तन को धर्म की परवाह किए बगैर सभी समुदायों के लोगों के लिए लागू किया जाना चाहिए।

UPSC 2002

निम्नलिखित प्राधिकारियों में से कौन भारत की संचित निधि से राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान को प्रसाशित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है?

(a) वित्त आयोग (b) अंतर्राज्यीय परिषद

(c) केंद्रीय वित्त मंत्रालय (d) लोक लेखा समिति

1.20. राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण 2016 (NERP 2016)

(National Electoral Roll Purification 2016 (NERP 2016)

- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य बातों के अलावा मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों के नामांकन में त्रुटियों को सही करने के लिए देश भर में राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण (NERP) कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- यह हरेक पात्र मतदाता की एक अद्वितीय निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) संख्या के साथ चुनावी रजिस्टर में प्रविष्टि सुनिश्चित करेगा। सभी अनुपस्थित या मृत, स्थानांतरित लोगों की प्रविष्टियों तथा दोहरी मतदाता प्रविष्टियों को हटाया जाएगा।
- विभिन्न अनुभागों, मतदान केंद्र सीमाओं और उनकी अवस्थितियों के मानकीकरण के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र (ज्योग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम-GIS) का इस्तेमाल किया जाएगा।
- आयोग ने NERP 2016 हेतु गहन क्षेत्र कार्यान्वयन चरण का शुभारंभ किया है। यह चरण अगले वार्षिक सारांश पुनरीक्षण हेतु मतदाता सूची के ड्राफ्ट के प्रकाशन (जिसकी नियत तिथि 1 जनवरी, 2017 है) के पहले ही समाप्त हो जाएगा।
- राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है।

VISION IAS

NERP 2016 वस्तुतः प्रौद्योगिकी और SVEEP (Systematic Voters' Education and Electoral Participation) रणनीतियों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से मतदाता सूची की विश्वसनीयता में सुधार करने का एक प्रयास है।

- सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर सूचना संग्रह, प्रसंस्करण, साझा करने और कुशल निर्णय लेने में इस्तेमाल किया जा रहा है।
- NERP के लिए बूथ लेवल अधिकारी को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया और बूथ जागरूकता समूह के सदस्यों को SVEEP अभियान के प्रभावी संचालन करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा।

1.21. मध्य प्रदेश हैप्पीनेस डिपार्टमेंट (प्रसन्नता विभाग) का गठन करने वाला पहला राज्य बना

(Madhya Pradesh becomes first State to have 'Happiness Department' in Madhya Pradesh)

- मध्य प्रदेश ने पड़ोसी देश भूटान की तर्ज पर हाल ही में **'हैप्पीनेस डिपार्टमेंट'** का गठन किया है और यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- नव-गठित विभाग में विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया जाएगा जो लोगों के जीवन में प्रसन्नता सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देगा।

भूटान की सकल राष्ट्रीय (ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस-GNH)

- भूटान द्वारा 1971 में GNH सूचकांक प्रस्तावित किया गया था जिसमें अपने पर्यावरण और नागरिकों के आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्य को मापने के लिए एक अद्वितीय उपागम को अपनाया गया था।
- GNH के चार स्तंभ हैं :
  - ✓ सतत और न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक विकास,
  - ✓ पर्यावरण संरक्षण,
  - ✓ संस्कृति का संरक्षण और उसे बढ़ावा देना एवं
  - ✓ सुशासन।
- द सेंटर फॉर भूटान स्टडीज ने नौ संकेतकों की पहचान की है जिनका प्रयोग सर्वेक्षण में किया जाता है-
  - ✓ जीवन स्तर,
  - ✓ जनसंख्या का स्वास्थ्य
  - ✓ शिक्षा
  - ✓ पारिस्थितिकी तंत्र जीवनक्षमता और विविधता
  - ✓ सांस्कृतिक उत्साह और विविधता
  - ✓ समय का उपयोग और संतुलन
  - ✓ सुशासन
  - ✓ समुदायिक जीवनक्षमता
  - ✓ भावनात्मक स्वास्थ्य

VISION IAS

- Specific content targeted towards Mains exam
- Complete coverage of current affairs of One Year
- Doubt clearing sessions with regular assignments on Current Affairs
- Support sessions by faculty on topics like test taking strategy and stress management.
- LIVE and ONLINE recorded classes for anytime anywhere access by students.

2. अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व

(INTERNATIONAL / INDIA AND WORLD)

2.1. दक्षिण चीन सागर विवाद

(South China Sea (SCS) Dispute)

नीदरलैंड के द हेग स्थित स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) ने फैसला दिया है कि दक्षिण चीन सागर पर ऐतिहासिक अधिकार के चीन के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। फिलीपींस द्वारा मामले को 2013 में न्यायालय में लाया गया था, जो **स्कारबोरो शोल** (Scarborough Shoal) पर केंद्रित है। हालाँकि बीजिंग के द्वारा कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया गया।

मध्यस्थता पैनल ने क्या निर्णय दिया?

- हेग स्थित न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सागर में तथाकथित " nine-dash line " का चीन का दावा व्यापक आर्थिक हितों के साथ सागरीय विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) का उल्लंघन था।
- अत्यधिक मत्स्यन और कृत्रिम द्वीपों के विकास के कारण न्यायालय ने स्प्रैटली आइलैंड्स जोकि एक विवादास्पद द्वीप समूह है, में पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुँचाने के लिए चीन की खिंचाई की।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि चीन ने फिलीपींस के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन किया। यह भी कहा कि चीन के द्वारा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण "कोरल रीफ पर्यावरण को गंभीर नुकसान" का कारण है।

'नाइन-डैश' लाइन क्या है?

'नाइन-डैश' लाइन दक्षिणी हैनान द्वीप के दक्षिण और पूर्व में सैकड़ों किलीमीटर में फैला क्षेत्र है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पार्सेल और स्प्रैटली द्वीप श्रृंखला को कवर करता है। चीन ने अपने दावे की पुष्टि हेतु 2000 वर्षों के इतिहास का हवाला दिया जिसमें इन दो द्वीप श्रृंखलाओं को इसके अभिन्न हिस्से के रूप में माना गया था।

PCA के निर्णय पर चीन की प्रतिक्रिया

- **चीन द्वारा** दक्षिण चीन सागर पर एक अंतरराष्ट्रीय निर्णय को "अकृत और शून्य" कहकर ख़ारिज कर दिया गया और किसी भी "बाध्यकारी तत्व" से रहित बताया गया।
- चीन दक्षिण चीन सागर में एक सैन्य वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (Air Defence Identification Zone-ADIZ) स्थापित करने पर विचार कर रहा है। ADIZ बनाये जाने से इसके ऊपर से उड़ने वाले विमानों को पहले चीन को सूचित करना होगा।
- कई चीनी विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि यह पूरा प्रकरण चीन को घेरने के उद्देश्य से अमेरिका के "पाइवोट टू एशिया" अथवा रेबैलेन्सिंगपु रणनीति को लागू करने के लिए निर्मित किया गया एक छद्म आवरण है ।

भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने इसे मान्यता प्रदान करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि न्यायाधिकरण को UNCLOS के क्षेत्राधिकार के भीतर गठित किया गया था है इसलिए इसके फैसले का पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए ।

दक्षिण चीन सागर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

- दक्षिणी चीन सागर एक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख समुद्री मार्ग और व्यापार की मुख्य धमनियों में से एक है। लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर का विश्व व्यापार जहाजों के द्वारा प्रतिवर्ष दक्षिण चीन सागर से होता है।
- दक्षिणी चीन सागर कई अपतटीय तेल और गैस ब्लॉक के साथ संसाधनों से भी समृद्ध है।

2.2. भारत-कंबोडिया

(India-Cambodia)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंबोडिया के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी-BIT) पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है।

- यह दिसंबर 2015 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इंडियन मॉडल वाले BIT के प्रारूप के तहत होने वाला प्रथम द्विपक्षीय निवेश संधि है।
- संधि का उद्देश्य द्विपक्षीय निवेश प्रवाह में वृद्धि करने के साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी निवेश को प्रोत्साहित करना और उसे संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करना है।

द्विपक्षीय निवेश संधियां (BITs) वस्तुतः एक देश के निवासियों या कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए जाने वाले निजी निवेश के लिए स्थापित नियम और शर्तें होती हैं।

2.3.भारत-अफ्रीका

(India-Africa)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार अफ्रीकी देशों मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या की ऐतिहासिक यात्रा की। इस यात्रा का केंद्रबिंदु हाइड्रोकार्बन, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, कृषि और खाद्य के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाना था।

A. भारत-मोजाम्बिक

यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्नलिखित समझौतों पर हताक्षर किए गए:-

- दवाओं की मांग में कमी और मादक दवाओं, मादक पदार्थों और पूर्ववर्ती रसायनों (precursor chemicals) और संबंधित सामग्री के अवैध व्यापार के रोकथाम पर समझौता ज्ञापन।
- युवा मामले और खेल के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।
- मोजांबिक से दाल की खरीद के लिए लंबी अवधि के करार।
- भारत इस अफ्रीकी देश से दालों की खरीद इसकी आवर्ती कमी को पूरा करने और इसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए करेगा।

VISION IAS

सहयोग के अन्य क्षेत्र

ऊर्जा

- प्रधानमंत्री की मोजाम्बिक यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश भारत के अफ्रीका केन्द्रित भारी निवेश के लिए बेहतर गंतव्य स्थल है।
- इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट के बाद दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा वार्ता की गति तीव्र हुई है।

सुरक्षा और रक्षा

- भारत मोजाम्बिक के सुरक्षा बलों की क्षमता निर्माण में मदद करेगा।
- भारत और मोजाम्बिक अफ्रीकी मुख्य भूमि और हिंद महासागर क्षेत्र में उभरते "रणनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों" को पूरा करने में सहयोग करने के लिए सहमत हुए।

B. भारत-दक्षिण अफ्रीका

भारत और दक्षिण अफ्रीका रक्षा उत्पादन, विनिर्माण, खनन और खनिज के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुए तथा आतंकवाद का मुकाबला करने और बहुपक्षीय मंचों पर मुद्दों से निपटने में "सक्रिय" सहयोग के लिए वचनबद्धता दिखायी।

यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों और समझौता ज्ञापनों पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए:

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन,
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर नवाचार की स्थापना पर समझौता ज्ञापन,
- पर्यटन पर समझौता ज्ञापन; तथा
- सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम।

यात्रा का मुख्य आकर्षण

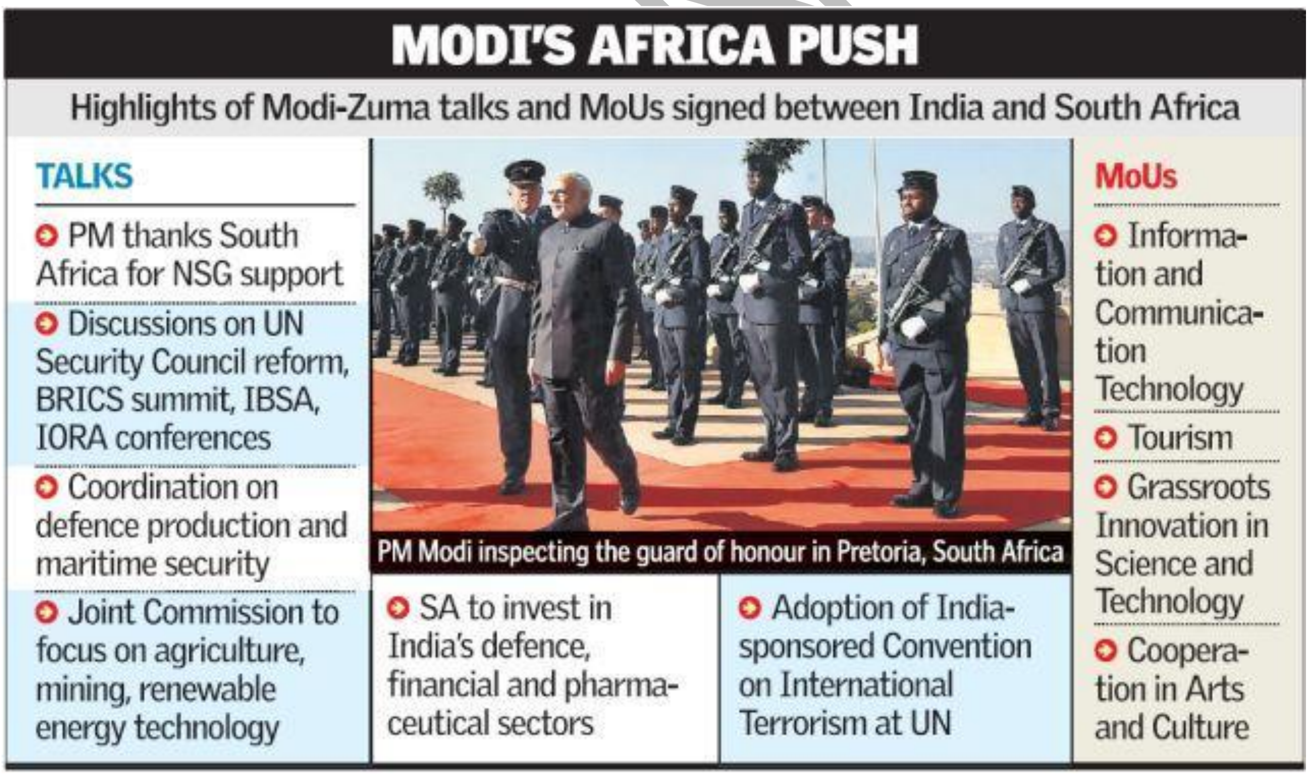

- **मेक इन इंडिया के लिए अभियान:** प्रधानमंत्री ने रक्षा उद्यमियों को भारत में एक विनिर्माण आधार स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जिसे भारत और दक्षिण अफ्रीका के घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही किसी तीसरे देश को निर्यात हेतु भी प्रयुक्त किया जा सकेगा।
- प्रधानमंत्री ने 1893 की घटना की स्मृति में पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन के लिए एक ट्रेन यात्रा की। इसी स्टेशन पर महात्मा गांधी को उनकी त्वचा के रंग के कारण ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था।

दक्षिण अफ्रीका का महत्व

- भारतीय डायस्पोरा: दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के 12 लाख लोग रहते हैं।
- दक्षिण अफ्रीका NSG का सदस्य है। इसका सहयोग NSG में भारत के प्रवेश के लिए आवश्यक है।
- दोनों देश प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समूहों यथा G-20, ब्रिक्स, ISBA और IORA के सदस्य हैं।
- दोनों देश सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं।

C. भारत-तंजानिया

भारत और तंजानिया आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के दो महत्वपूर्ण खतरों का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु सहमत हुए।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों/समझौतों की सूची:-

- जल संसाधन प्रबंधन और विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन।
- दोनों देशों के बीच राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौते पर समझौता ज्ञापन।
- भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) और लघु उद्योग विकास संगठन तंजानिया (SIDO) के बीच संयुक्त कार्य योजना (JAP) पर समझौता।
- तंजानिया की सरकार और भारत सरकार के बीच जंजीबार में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।
- जंजीबार में पुनर्वास और पानी की आपूर्ति प्रणाली में सुधार के लिए $92 मिलियन की क्रेडिट लाइन।

'Solar Mamas'

'सौर माँ', (Solar Mamas) वस्तुतः अफ्रीका के ग्रामीण महिलाओं सौर इंजीनियरों का एक समूह है, जो भारत सरकार-समर्थित कार्यक्रम के तहत अपने गांवों में सौर लालटेन और घरेलू सौर प्रकाश प्रणाली का निर्माण करने, उन्हें स्थापित करने, उपयोग, मरम्मत और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किए गये हैं।

D. भारत-केन्या

भारत और केन्या ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने का निर्णय लिया। दोनों देशों ने प्रतिरक्षा, सुरक्षा एवं दोहरे कराधान से बचाव (DTAA) सहित सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौतों की सूची निम्नलिखित हैं:

- संशोधित DTAA,
- राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर द्विपक्षीय समझौता,
- रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन: यह जलराशि विज्ञान और उपकरणों की आपूर्ति में कर्मचारियों के आदान-प्रदान, विशेषज्ञता साझा करने, प्रशिक्षण एवं सहयोग से संबंधित समझौता है,
- मानकीकरण, विशेषज्ञता और साझा व्यापार के क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो और केन्याई मानक ब्यूरो के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन,
- राष्ट्रीय आवास नीति विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन,
- केन्या में विभिन्न छोटे और मध्यम उद्यमों को विकासित करने के लिए केन्या के IDB कैपिटल लिमिटेड को 15 मिलियन डॉलर (30 लाख डॉलर की पहली किश्त) का लाइन ऑफ क्रेडिट,
- केन्या सरकार को केन्या स्थित रिफ्ट वैली टेक्सटाइल्स लिमिटेड [RIVATEX East Africa Limited] के उन्नयन के लिए 29.95 डॉलर मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट।

VISION IAS

अफ्रीका में भारत की पहुँच

भारत तेजी से उभरते अफ्रीकी सामरिक परिदृश्य में प्रासंगिकता हासिल करने के लिए नए सिरे से पूरी कोशिश कर रहा है।

- पिछले कुछ दशकों से भारत ने अपना ध्यान इस महाद्वीप में क्षमता निर्माण पर केन्द्रित किया है। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITES) कार्यक्रम के तहत 1 मिलियन डॉलर से अधिक का सहयोग तकनीकी सहायता और कर्मियों को प्रशिक्षण हेतु प्रदान किया गया है।
- भारत अफ्रीकी बुनियादी अवसंरचना के लिए 7.5 बिलियन डॉलर देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो 40 से अधिक देशों में 137 परियोजनाओं को कवर करता है।
- इसने अफ्रीका के अल्प विकसित देशों को शुल्क मुक्त बाजार पहुंच की पेशकश की है।
- लेकिन भारत का अफ्रीका के साथ व्यापार 72 बिलियन डॉलर के लगभग है जोकि इसकी क्षमता से काफी कम है। दृष्टव्य है कि अफ्रीका के साथ चीन का व्यापार 200 बिलियन डॉलर का है।

चीन की तुलना में भारत को लाभ:

भारत के द्वारा अफ्रीका के साथ संबंधों को उन्नत करने के लिए उचित प्रयास नहीं किया गया है, अतः इसे महाद्वीप में चीन की व्यापक उपस्थिति के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट या प्रतिस्पर्धा के अपना रास्ता खुद तैयार करना होगा।

- भारत की लोकतांत्रिक परम्पराएँ अफ्रीका से संबंधित मुद्दों पर सहयोग करने के सन्दर्भ में चीन की तुलना में भारत को पश्चिम के लिए सहज और स्वाभाविक भागीदार बनाते हैं।
- भारत, अफ्रीका में कई देशों द्वारा अधिक सार्थक भागीदार के रूप में देखा जाता है क्योंकि भारतीय कंपनियां अफ्रीकी समाज से अधिक बेहतर रूप से एकीकृत हैं तथा भारतीय कंपनियां अपने अफ्रीकी भागीदारों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देती हैं।

समुद्री सुरक्षा

प्रधानमंत्री ने, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के भाग के रूप में समुद्री संबंधों को मजबूत बनाने का विचार अभिव्यक्त किया। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर के द्वीपों तक पहुँच के लिए भारत की “सागर-माला” परियोजना की दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रारंभ “ऑपरेशन फाकिसा (Phakisa)” से तुलना की। दृष्टव्य है कि ऑपरेशन फाकिसा (Phakisa) भी ब्लू इकॉनोमी और महासागरीय शासन में अफ्रीका की संयुक्त शक्ति पर केन्द्रित है।

2.4. भारत-पाकिस्तान नदी विवाद

(India-Pakistan River Dispute)

पाकिस्तान ने किशनगंगा और रतले नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भारत के साथ विवाद के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में पुनः अपील करने का निर्णय लिया है।

पाकिस्तान की नई रणनीति: पाकिस्तान में विशेषज्ञों द्वारा इस ओर संकेत किया गया है कि पूर्व आर्बिट्रेशन से इतर इस बार पाकिस्तान जम्मू एवं कश्मीर में किशनगंगा व रतले नदी परियोजनाओं की “डिजाईन” का मुद्दा उठाएगा।

किशनगंगा पनबिजली संयंत्र विवाद: घटनाक्रम

किशनगंगा पनबिजली संयंत्र वस्तुतः एक बांध है, जो कि झेलम नदी बेसिन में स्थित बिजली संयंत्र तक किशनगंगा नदी के पानी के प्रवाह को मोड़कर पहुँचाने के लिए बनाए जाने वाले रन ऑफ़ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का एक अंग है।

- 2010 में, पाकिस्तान के द्वारा हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन में अपील की गयी थी। उसकी शिकायत यह थी कि भारत किशनगंगा पनबिजली संयंत्र के माध्यम से झेलम नदी का जलग्रहण क्षेत्र बढ़ाकर और पाकिस्तान को उसके पानी के अधिकार से वंचित करके सिंधु नदी संधि का उल्लंघन कर रहा है।

VISION IAS

- भारत का कहना है कि रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं को सिंधु नदी संधि द्वारा परिभाषित सीमा के भीतर अनुमति दी जाती है।
- इस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन ने 20 दिसंबर 2013 को अपने "अंतिम निर्णय" में भारत को किशनगंगा बांध के निर्माण को जारी रखने की अनुमति दी थी।
  - ✓ इस "अंतिम निर्णय" में यह स्पष्ट किया गया था कि परिवेशी अनुप्रवाह को बनाए रखने के लिए किशनगंगा नदी में हर समय **9 m^3/s** पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखा जाना चाहिए।
  - ✓ बांध में अवसादों के प्रबंधन के लिए, भारत ने आधुनिक जलावतलन प्रक्षालन तकनीक (drawdown flushing technique) के प्रयोग की योजना बनाई थी, जिसमें जल को गहरे संग्रहण स्तर (Dead Storage Level) से नीचे लाने की आवश्यकता होती है। इस तकनीक को पाकिस्तान के साथ बगलिहार विवाद से जुड़े तटस्थ विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गयी थी, लेकिन कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया।

1960 के सिंधु जल संधि बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण से संबंधित एक संधि है, जो विश्व बैंक (तब अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक) द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से संपन्न की गयी है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा 19 सितंबर, 1960 को करांची में इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था।

- इस समझौते के अनुसार, तीन "पूर्वी" नदियों - व्यास, रावी और सतलुज पर भारत को और तीन "पश्चिमी" नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर पाकिस्तान को नियंत्रण दिया गया था।
- **स्थायी सिंधु नदी आयोग:** सिंधु नदी संधि के अंतर्गत संधि के प्रावधानों से संबंधित मामलों में आंकड़ों और सहयोग के आदान-प्रदान का प्रावधान है। इसके लिए, यह संधि स्थायी सिंधु नदी आयोग का गठन करती है, जिसमें प्रत्येक देश से एक आयुक्त होगा।

विवाद समाधान तंत्र

इस संधि में किसी भी विवाद/भटकाव या इनके समाधान के लिए स्थापित तंत्र के संबंध में **तीन श्रेणियों** की पहचान की गयी है:

- संधि से जुड़े **'प्रश्नों'** पर चर्चा और उनका समाधान वस्तुतः सिंधु नदी आयोग के स्तर पर, या दोनों देशों के सरकारों के स्तर पर किया जाएगा;
- कुछ विशेष प्रकार के **मतभेद** (अर्थात मोटे तौर पर तकनीकी प्रकृति वाले मतभेद) की स्थिति में ऐसे **'मतभेदों'** (अर्थात अनसुलझे **'प्रश्न'**) को एक **तटस्थ विशेषज्ञ (न्यूट्रल एक्सपर्ट-NE)** को संदर्भित किया जाएगा; तथा
- कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन को संदर्भित किए जाने वाले **'विवाद'** (जो **'मतभेदों'** से परे हैं और जिनमें प्रायः संधि के प्रावधानों की व्याख्या का प्रश्न संलग्न है)।

2.5. एसेम सम्मेलन

(ASEM Summit)

- 11वीं एशिया-यूरोप शिखर सम्मेलन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में संपन्न हुयी।
- उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- ASEM एक अनौपचारिक अंतर-क्षेत्रीय संवाद है जोकि राजनीतिक, सुरक्षा, वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करता है।

ASEM के बारे में

इसे आधिकारिक तौर पर 1 मार्च 1996 को हुए इसके प्रथम शिखर सम्मेलन के दौरान बैंकॉक (थाईलैंड) में स्थापित किया गया।

- इसका उद्देश्य आपसी सम्मान और समान भागीदारी की भावना से दोनों क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।
- ASEM के 53 भागीदार हैं। भारत भी ASEM का हिस्सा है।

VISION IAS

ASEM प्रक्रिया के मुख्य घटक निम्नलिखित 3 स्तंभों पर आधारित हैं:

- राजनीतिक स्तंभ
- आर्थिक स्तंभ
- सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तंभ

2.6. तुर्की में तख्तापलट का प्रयास असफल

(Failed Coup in Turkey)

हाल ही में तुर्की सेना के एक वर्ग द्वारा राष्ट्रपति तईप एरडोगन (जो वर्ष 2003 से सत्ता में है) की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश की गयी। सरकार ने अमेरिका में निवास करने वाले एक शक्तिशाली, एकांतप्रिय मुस्लिम मौलवी फेथुल्लाह गुलेन पर अशांति भड़काने का आरोप लगाते हुए उसे दोषी ठहराया है।

तुर्की सेना ने विद्रोह क्यों किया?

2003 में एरडोगन के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने से सेना को वैचारिक और संस्थागत दोनों आधारों पर चुनौती मिली।

- वैचारिक संदर्भ में, एरडोगन की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (AKP) की इस्लामिक राजनीति वस्तुतः सेना की **केमलिस्ट धर्मनिरपेक्षता (Kemalist secularism)** से मौलिक रूप से भिन्न थी ।
- एरडोगन की सरकार ने सैन्य अदालत के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने और समाज एवं देश में सेना के प्रभाव को कमजोर करने के लिए वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति को असैनिक नियंत्रण में लाने जैसे कदम उठाए थे।
- **सरकार का कमजोर होना:** एरडोगन ने विभिन्न तरीकों से सरकार को कमजोर करने में अपना योगदान दिया है।

A. विनाशकारी विदेश नीति

सीरिया में संकट: जब 2011 में सीरिया संकट प्रारंभ हुआ, तब एरडोगन, सीरिया के राष्ट्रपति बशर-अल-असद के इस्तीफे की मांग करने वाले सर्वप्रमुख नेताओं में से एक थे। तब से वह सक्रिय रूप से सीरिया में इस्लामी विद्रोहियों का समर्थन करते रहे हैं।

- फलतः इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पहला, इसके कारण जहां एक ओर सीरियाई संकट और अधिक गंभीर बन गया वहीं दूसरी ओर तुर्की में शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या का आगमन भी हुआ।
- दूसरा, इस सीरियाई संकट से इस्लामिक स्टेट (IS) जैसा संगठन और मजबूत हो गया। अब IS कभी-कभी तुर्की पर भी हमला करता है।
- सीरिया में तुर्की की भागीदारी ने रूस को इसके के खिलाफ कर दिया। रूसी प्रतिबंधों से तुर्की की मध्य एशिया योजना पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

B. इस्लामीकरण

- जबरन इस्लामीकरण ने इस्लामिक और धर्मनिरपेक्ष वर्गों के बीच अंतर्विरोध को बढ़ा दिया।
- सेना का एरडोगन की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (AKP) के राजनीतिक इस्लामवाद के मुद्दे पर विरोध है।

C. संविधान को फिर से लिखना

- स्वयं को अधिक शक्तियां प्रदान करने के प्रयोजन से संविधान को फिर से लिखे जाने के लिए प्रयास करना।
- राष्ट्रपति ने स्वतंत्र मीडिया पर कड़ी कार्यवाही भी की है और कई लोगों द्वारा इसे सत्तावादी रुख के रूप में देखा जा रहा है।

तख्तापलट के प्रयास का प्रभाव

- हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया या असफल तख्तापलट के बाद से बर्खास्त कर दिया गया है।

VISION IAS

- अधिकार समूहों का मानना है कि तख्तापलट-षड्यंत्रकारियों का सहयोग करने या कथित मास्टरमाइंड मौलवी फेथुल्लाह गुलेन के समर्थकों के बहाने राजनीतिक विरोधियों को घेरा जा रहा है।
- तुर्की के राष्ट्रपति ने तीन महीने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है।

तुर्की में सेना की भूमिका

ऐतिहासिक दृष्टि से तुर्की में सेना का राजनीति में काफी प्रभाव रहा है।

- यह सापेक्षिक स्वायत्तता प्राप्त एक लोकप्रिय संस्थान है, जो खुद को देश की स्थापित विचारधारा अर्थात केमलिज्म (Kemalism) और धर्मनिरपेक्षता का समर्थक मानती है।
- सेना स्वयं को केमलिज्म के रक्षक के रूप में देखती है। केमलिज्म लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता का एक रूप है जिसकी शुरुआत नवीन तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा 1923 में की गयी थी।

धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में तुर्की

प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत ऑटोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात 1923 में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई।

- इसके संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क 1938 में अपनी मृत्यु तक राष्ट्रपति थे। उनके उत्तराधिकारी इस्मेत इनोनु ने 1946 में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की।
- तुर्की ने 1960, 1971 और 1980 में दमनकारी सैन्य तख्तापलट को देखा।
- 1997 में तुर्की सेना ने वर्तमान राष्ट्रपति रिसेप तईप एरडोगन के दिवंगत गुरु नेक्मेत्तीं एर्बकन (Necmettin Erbakan) को भी प्रधानमंत्री का पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया था।

2.7. अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन संगठन

(International Organisation For Migration - IOM)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन संगठन को संयुक्त राष्ट्र का अंग (अर्थात इससे संबंधित संगठन के तौर पर) बनाने के लिए एक समझौते के अनुमोदन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

- IOM, जिसने एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2015 में लगभग 20 मिलियन प्रवासियों को सहायता प्रदान की, दुनिया भर में 9,500 से अधिक कर्मचारियों और 450 कार्यालयों वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए इसकी स्थापना की गयी थी।
- IOM को 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में **स्थायी पर्यवेक्षक** का दर्जा प्रदान किया गया था।
- IOM और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक सहयोग समझौते पर 1996 में हस्ताक्षर किया गया।

2.8. कोलंबियाई क्रांतिकारी सशस्त्र बल

(Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC))

- कोलंबिया सरकार और FARC विद्रोहियों ने गृह-युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्धविराम और निरस्त्रीकरण संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह समझौता " द्विपक्षीय युद्ध विराम, शत्रुता की समाप्ति तथा अस्त्रों को निर्णायक रूप से त्यागे जाने" संबंधी प्रावधानों सुनिश्चित करता है।

- इस समझौते में किसी लैटिन अमेरिकी देश में सबसे लंबे समय तक चले गृह युद्ध को अंतिम रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव है।
- कोलम्बियाई संघर्ष, भूमि अधिकारों के लिए 1960 में एक ग्रामीण विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था जो कम्युनिस्ट FARC के रूप में बढ़ता गया। दशकों से जारी इस संघर्ष में विभिन्न वामपंथी विद्रोही समूहों, दक्षिणपंथी अर्द्धसैनिक बलों और ड्रग्स गिरोह इसमें शामिल होते रहे हैं।

2.9. दक्षिण सूडान में सशस्त्र संघर्ष

(Armed conflict in South Sudan)

सरकार और विपक्ष के बलों के बीच दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में सशस्त्र संघर्ष भड़क उठा, जिससे गृह युद्ध की वापसी की संभावना बढ़ गई है।

हाल के संघर्ष

- दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सेल्वा कीर और उपराष्ट्रपति रिएक माचर अंदरूनी कलह के लिए प्रमुखतया जिम्मेदार हैं।
- दोनों नेता 2013 के उत्तरार्द्ध से सत्ता संघर्ष में उलझे हुए हैं, जब राष्ट्रपति द्वारा तख्तापलट के माध्यम से उसे बेदखल करने की कोशिश का आरोप उप राष्ट्रपति पर लगाया गया।
- वर्त्तमान संघर्ष श्री कीर, जो दिनका जनजाति के सदस्य हैं, के वफादार सैनिकों और श्री माचर जोकि एक नुएर (a Nuer) हैं, के समर्थकों के बीच एक चौकी पर हुए एक घातक विवाद के साथ शुरू हुआ।

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन (UNMISS)

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन (UNMISS) में 2,500 भारतीय सैनिक हैं।

दक्षिण सूडान के बारे में

- 2011 में, दक्षिण सूडान अपने पड़ोसी उत्तरी सूडान से अलग हुआ, यह विभाजन अंतरराष्ट्रीय राजनयिकों की मध्यस्थता से दुनिया के सबसे लंबे सिविल युद्धों में से एक को समाप्त करने के लिए एक विवादास्पद समाधान था।
- विभाजन के साथ दक्षिण सूडान, जो मुख्य रूप से ईसाई है और उसके मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश सूडान के बीच दशकों से जारी रक्तपात और हिंसा का दौर समाप्त हो गया।

VISION

2.10. ऑपरेशन संकट मोचन

(Operation Sankat Mochan)

- केंद्र सरकार ने दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी हेतु ऑपरेशन **'संकट मोचन'** शुरू किया है।
- ऑपरेशन संकट मोचन पिछले एक वर्ष में पहला बड़ा निकासी प्रयास है जो जुलाई 2015 में यमन से सैकड़ों भारतीय और दूसरे देशों के नागरिकों को निकालने के एक वर्ष बाद हो रहा है।

2.11. 'फीड द फ्यूचर' पहल

(Feed the Future Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कृषि मंत्रालय और यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने अफ्रीका और एशिया में 1,500 कृषि पेशेवरों के लिए विशेष कृषि प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु, "फीड द फ्यूचर" इंडिया त्रिकोणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

- पहले चरण में केन्या, लाइबेरिया और मलावी से 200 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया था।

'फीड द फ्यूचर' के बारे में

- अमेरिकी सरकार द्वारा वर्ष 2010 में वैश्विक भूख और खाद्य असुरक्षा का समाधान करने के लिए इसकी शुरूआत की गयी थी।
- प्राथमिक तौर पर USAID द्वारा इसे संचालित किया जाता है।
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य वैश्विक कृषि विकास, संवर्धित खाद्य उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा (विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर पोषण) को बढ़ावा देना है।
- इसने तीन क्षेत्रों अर्थात लैटिन अमेरिका एवं कैरेबिया, अफ्रीका और एशिया के 19 देशों जैसे- इथोपिया, घाना, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, बांग्लादेश, कंबोडिया और नेपाल पर प्रमुख ध्यान केंद्रित किया है।

VISION IAS

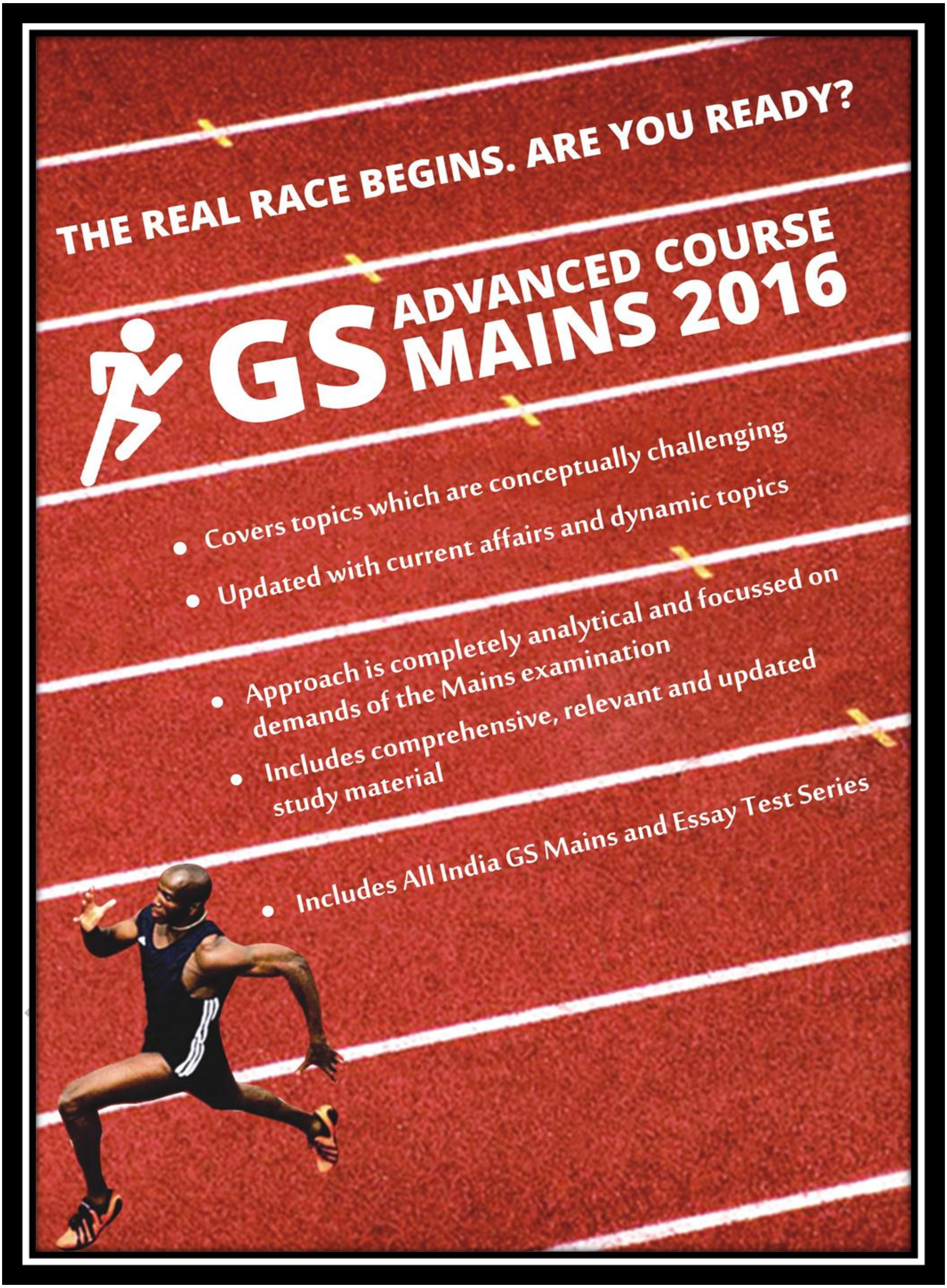
THE REAL RACE BEGINS. ARE YOU READY?
GS ADVANCED COURSE MAINS 2016
Covers topics which are conceptually challenging
Updated with current affairs and dynamic topics
Approach is completely analytical and focussed on demands of the Mains examination
Includes comprehensive, relevant and updated study material
Includes All India GS Mains and Essay Test Series

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

(Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले चार वर्षों (2016-2020) के लिए एक करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 12000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) को मंजूरी दे दी।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की प्रमुख योजना है।
- इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं की एक बड़ी संख्या को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें एक बेहतर आजीविका हासिल करने में सक्षम बनाने हेतु मदद करना है।
- पूर्व शिक्षा अनुभव या कौशलयुक्त व्यक्तियों के मामले में भी पूर्व शिक्षा की पहचान (Recognition of Prior Learning (RPL) के अधीन अर्जित लोगों के अनौपचारिक कौशल को भी प्रमाणित किया जाएगा।

योजना के बारे में

- राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) और उद्योग पर आधारित मानकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत, बाह्य आकलन निकायों (third party assessment bodies) द्वारा प्रशिक्षुओं के आकलन और प्रमाणन के बाद उन्हें मौद्रिक इनाम दिया जाता है।
- औसत मौद्रिक इनाम प्रति प्रशिक्षु 8000 के आसपास होगा।

पात्र लाभार्थी

इस योजना के उद्देश्यों के अनुरूप, यह योजना भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए लागू है, जो :

- एक पात्र प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा एक पात्र क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करे।
- अनुमोदित मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा इस योजना के शुभारंभ की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान प्रमाणित हो।
- इस योजना के संचालन के दौरान लाभार्थी को मौद्रिक पुरस्कार दिया जा रहा है।

कार्यान्वयन

- योजना NSDC प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से लागू की जाएगी। वर्तमान में NSDC के 187 प्रशिक्षण सहयोगी हैं जिनके 2300 से अधिक केंद्र हैं।
- इसके अलावा, केंद्र / राज्य सरकार के संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- PMKVY के तहत उन्नत पाठ्यक्रम, बेहतर अध्यापन और बेहतर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों पर फोकस होगा।
- प्रशिक्षण में सॉफ्ट स्किल, व्यक्तित्व विकास, साफ-सफाई के लिए व्यवहार में परिवर्तन तथा अच्छी कार्य नैतिकता को शामिल किया जाएगा।
- सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के रिकार्ड का विवरण, प्रशिक्षण केन्द्रों और पाठ्यक्रम की निश्चित गुणवत्ता को सत्यापित और दर्ज करने के लिए कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (SDMS) शुरू की जाएगी।
- जहाँ संभव होगा, बॉयोमीट्रिक प्रणाली और प्रशिक्षण की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाएगी।
- कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली योजना लायी जाएगी।

VISION IAS

- राज्य सरकारों, नगर निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संगठनों की भागीदारी के साथ स्थानीय स्तर पर आयोजित कौशल मेलों के माध्यम से गतिशीलता लायी जाएगी।

मूल्यांकन

- कौशल प्रशिक्षण की मुख्य विशेषता यह होगी कि यह अवधि 2013-17 के लिए NSDC द्वारा किए गए कौशल अंतराल के अध्ययन के आधार पर मूल्यांकित मांग के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
- केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों, उद्योग और व्यापार की मांग के आकलन के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।
- इस उद्देश्य के लिए एक मांग समूहक मंच बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा।
- कौशल विकास के लिए लक्ष्यों को मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर मिशन और स्वच्छ भारत अभियान जैसे हाल के समय में शुरू किये गए अन्य प्रमुख कार्यक्रमों की मांग के अनुरूप संरेखित किया जाएगा।
- नई योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण में मुख्य रूप से श्रम बाजार में प्रथम बार प्रवेश करने वालों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और कक्षा 10 और कक्षा 12 में पढ़ाई छोड़ने वाले प्राथमिक लक्ष्य होंगे।

आगे की राह

इस योजना की सफलता जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच सहयोग और समन्वय की जरूरत है। प्रमाणित होना बस पहला कदम है, असली समाधान, रोजगार सृजन और कुशल नागरिकों के रोजगार में निहित है। अगर इसे व्यवहार में नही लाया गया तो हम जिस जनसांख्यिकीय लाभांश के लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा रखते हैं, वह जनसांख्यिकीय आपदा में बदल जाएगा।

3.2. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना

(The National Apprenticeship Promotion Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) को मंजूरी दे दी है। 2019-20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महत्व

- भारत में 3 लाख से भी कम प्रशिक्षु हैं। भारत में करीब 48 करोड़ श्रमिक हैं और हर साल एक करोड़ से अधिक श्रमिक श्रम बल में शामिल होते हैं, इस हिसाब से प्रशिक्षुओं की संख्या बहुत कम है।
- **युवाओं के लिए**: यह उनके रोजगार की स्थिति के साथ-साथ उनके बाजार मूल्य को भी काफी हद तक बढ़ा देगा और साथ ही उनके स्वरोजगार अपनाने की क्षमता में सुधार करेगा।
- **उद्योगों के लिए:** प्रशिक्षुओं के कार्यबल में शामिल होने से उद्योगों को इनके उच्च कौशल, उच्च उत्पादकता और बेहतर व्यावसायिकता से लाभ होगा।
- **सरकार**: सभी कौशल योजनाओं में प्रशिक्षु प्रणाली की प्रभावकारिता सबसे अधिक है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- एक प्रशिक्षु को देय कुल राशि (stipend payable) का 25 प्रतिशत तथा उनके बुनियादी प्रशिक्षण हेतु वहन किए जाने वाले कुल खर्च के 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार द्वारा सीधे नियोक्ताओं को प्रदान किया जाएगा।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा।

- एमएसएमई क्षेत्र के लिए: यह योजना आंतरिक प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता की स्थिति में थर्ड पार्टी एजेंसियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति (2015) में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए NAPS को तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति (2015) के एक प्रमुख घटक के रूप में प्रशिक्षुता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- NAPS श्रम सुधारों का एक हिस्सा है: सरकार 2014 में ही कारखाना अधिनियम, प्रशिक्षु अधिनियम और श्रम कानूनों में संशोधन कर चुकी है।
- प्रशिक्षु (संशोधन) अधिनियम: इसके द्वारा व्यापार के लिहाज से और इकाई वार प्रशिक्षुओं के नियमन की पुरानी प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया है। अब प्रशिक्षुओं का न्यूनतम लक्ष्य 2.5% और अधिकतम लक्ष्य 10% है।
- इसके अलावा कारावास और अन्य देनदारियों जैसे दंड संबंधी प्रावधानों को भी हटा दिया गया है।
- स्टाइपेंड: देय कुल राशि को सीधे राज्य स्तर पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी से जोड़ा गया है।
- प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रशिक्षु पोर्टल को शुरू किया है जो कंपनियों, प्रशिक्षुओं और सरकार के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
- करीब 70% सीटों वाले प्रमुख प्रशिक्षुता पाठ्यक्रमों को और अधिक उद्योग प्रासंगिक और योग्यता के आधार पर बनाने के लिए उनमें संशोधन किया गया है।

आगे की राह

इस प्रकार की योजना और सुधारों से एक स्वयं विनियमित शासन पद्धति की शुरुआत होगी, जो स्वेच्छा से उद्योगों द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि करेगा।

3.3. भुगतान और निपटान प्रणाली - भारतीय रिजर्व बैंक

(Payment and Settlement-RBI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक ने "भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विज़न – 2018" जारी किया है।
- यह दस्तावेज़ भारत को **कम नकदी व अधिक डिजिटल समाज** की ओर ले जाने पर केंद्रित है।
- विज़न-2018 की व्यापक रूपरेखा इन पांच बिंदुओं (5Cs) - कवरेज, सुविधा, विश्वास, अभिसरण और लागत के इर्द-गिर्द घूमती है।

मुख्य विशेषताएं

- "कम-नकदी" समाज की प्राप्ति के लिए समाज के सभी वर्गों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
    - ✓ इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मोबाइल बैंकिंग, व्हाइट लेबल एटीएम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर (एनईएफटी) और प्रीपेड उपकरणों जैसे M-पर्स, प्रीपेड कार्ड और कागज वाउचर से संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा करेगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक एक मजबूत ई-भुगतान और निपटान अवसंरचना के निर्माण में मदद करेगा।
- मौजूदा भुगतान प्रणाली का सुदृढीकरण किया जाएगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न भुगतान और निपटान चैनलों के संचालन संबंधी नियमों की समीक्षा करेगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी तंत्र को और विकसित करेगा और नई प्रणाली के लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण ढांचे की स्थापना करेगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल काउंटर पार्टीज (CCPs) के अधिक निरीक्षण और उनके दिवालियापन जैसे मुद्दों के समाधान में मदद के लिए भुगतान और निपटान अधिनियम (पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट) में आवश्यक संशोधन करेगा।
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस अन्तरसंक्रियता (interoperability) (ग्राहकों द्वारा सेवा प्रदाताओं को बदलना) को सक्षम बनाएगा और यह ग्राहकों के लिए डिजिटल चैनलों का उपयोग सुविधाजनक बनाएगा; जिसके द्वारा ग्राहक मोबाइल बिल से लेकर रेस्तरां बिल तक के भुगतान जैसे कई गतिविधियों को अपना पाएंगे।
- प्रमाणीकरण के लिए आधार के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लाभ

- समय की बचत और सुविधा।
- पैसे की खोने, चोरी, लूट आदि से सुरक्षा।
- पैसे के प्रवाह को दर्ज किया जा सकेगा; जिससे काले धन में कमी आएगी।
- उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल भुगतान विकल्प भी उपलब्ध होंगे।
- सभी लेन-देन को कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है।

सीमाएं

- हैक किये जाने का खतरा।
- भारत में इंटरनेट का उपयोग अभी भी काफी कम है।
- इंटरनेट कनेक्शनों की गुणवत्ता: अगर गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान / निपटान का उपयोग नहीं कर सकता है।
- अलग भुगतान प्रणालियों के बीच पैसे के हस्तांतरण की समस्या। (आम तौर पर अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करती हैं।)
- अनामिता (anonymity) की कमी

3.4. एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस

(Unified Payment Interface)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्मार्टफोन के माध्यम से स्वदेशी भुगतान प्रणाली को जल्द ही प्रारंभ करके एक 'लेस-कैश' भारत की ओर बढ़ने में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।

VISION IAS

UPI क्या है?

- यह एक साझा मंच है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाते से पैसे का हस्तांतरण तुरंत देश के किसी भी अन्य बैंक खाते में सिर्फ अपनी UPI ID के उपयोग द्वारा कर सकता है।
- यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित की गयी है।
- इंटरफेस, तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service- IMPS) प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा।

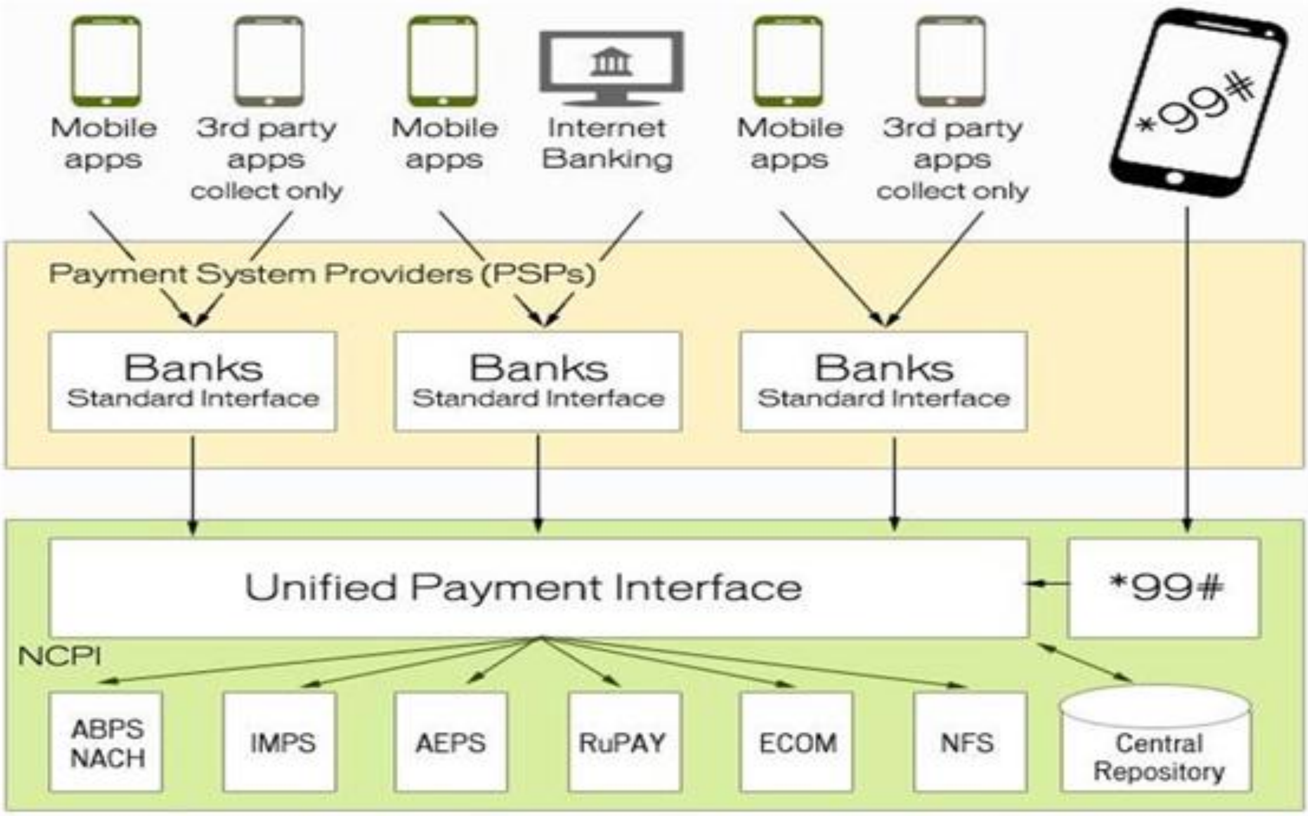

यह कैसे कार्य करेगा?

- ग्राहक किसी विशिष्ट वर्चुअल एड्रेस, मोबाइल नंबर या आधार संख्या के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धन का हस्तांतरण कर सकते हैं। इसलिए, ग्राहकों को प्राप्तकर्ता के IFSC कोड, बैंक खाते का विवरण आदि पता करने की जरूरत नहीं है और इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
- एक ग्राहक के विभिन्न बैंकों में एक से अधिक खातों के लिए कई वर्चुअल एड्रेस हो सकते हैं। इसमें ग्राहक के स्वयं के बैंक के अलावा अन्य कहीं भी कोई अकाउंट नंबर मैपर नहीं है। यह ग्राहक को स्वतंत्र रूप से दूसरों के साथ वित्तीय वर्चुअल एड्रेस को साझा करने की अनुमति भी देता है।

यह मौजूदा भुगतान के तरीके की तुलना में बेहतर कैसे है?

- खाते के विवरण की आवश्यकता समाप्त करने के अलावा इससे व्यक्ति भुगतान के लिए अनुरोध कर सकते हैं और पैसे के लिए पूछताछ भी कर सकते हैं। इसलिए, यह उम्मीद की जा रही है कि उपभोक्ताओं के अतिरिक्त व्यापारियों और कंपनियों द्वारा भी व्यापक रूप से इस मंच का उपयोग किया जाएगा।

महत्व

- भारत में नकद का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 12 फीसदी से अधिक है और भारत अभी भी नकदी गहन अर्थव्यवस्था है। अनुमानों के अनुसार, भारत में 95 प्रतिशत उपभोक्ता लेन-देन (मात्रा में) और 65 प्रतिशत (मूल्य में) नकद में किया जाता है।

- भारत में मुद्रा परिचालन की अनुमानित वार्षिक लागत 21,000 करोड़ रुपये है। कम नकदी अर्थव्यवस्था की ओर जाने से, इस लागत को काफी कम किया जा सकता है।
- हालांकि बैंक बड़ी संख्या में मोबाइल बैंकिंग सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं, परन्तु ये पूरी तरह से इंटर-ऑपेरेबल नहीं हैं, खास तौर पर व्यापारी लेनदेन के लिए। इसने व्यापारी या P2B (person-to-business) लेनदेन के लिए मोबाइल भुगतान के उपयोग को प्रभावित भी किया है। अतः UPI का पूर्ण संचालन P2B भुगतान में अंतर-परिचालन की सुविधा प्रदान करेगा।

3.5. भारत में थ्री जॉब डेफिसिट

(The Three Jobs Deficit in India)

पृष्ठभूमि

- भारत में 2005 और 2012 के बीच गरीबी में तेजी से गिरावट मुख्य रूप से उच्च श्रम आय से प्रेरित थी। इस अवधि के दौरान, अकुशल श्रमिकों की मजदूरी में तेजी से वृद्धि हुई। तथा गैर कृषि रोजगार के अवसर की दिशा में भी उल्लेखनीय बदलाव आया था।
- लेकिन रोजगार के सृजन की मात्रा और गुणवत्ता ने गरीबी में कमी की सततता और मध्यम वर्ग के विस्तार की संभावनाओं के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है।
- अधिकांश लोग जिन्हें गरीबी से निकाल कर गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर ले जाया गया, लेकिन जिन्होंने मध्यम वर्ग में प्रवेश प्राप्त नहीं किया था। वे पुनः गरीबी में जाने के लिए सुभेद्य स्थिति में हैं।
- 2005 के बाद, नौकरियों की संख्या और उनकी गुणवत्ता में कमी, इस सुभेद्यता को प्रदर्शित करती है।

1. नौकरियों में समग्र कमी

- 2005 और 2012 के बीच प्रत्येक वर्ष कार्यबल में 13 लाख संभावित लोगों का प्रवेश हुआ परंतु केवल 3 लाख को ही नौकरी मिली।
- नौकरियों की कमी के लगातार बने रहने से जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसांख्यिकीय अभिशाप या आपदा में बदल जाएगा।

2. अच्छी नौकरियों में कमी

- इस अवधि में, अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्रों में काफी गतिशीलता थी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- 2005 और 2012 के बीच लगभग 34 लाख कृषि रोजगार की कमी के साथ कृषि क्षेत्र में रोजगार में काफी गिरावट आई है।
- इस दौरान निर्माण कार्य में रोजगार में उछाल था, जो गैर-कृषि रोजगार के लगभग आधे के बराबर का योगदान करता था। हालांकि, निर्माण कार्य सामयिक प्रवृति का होता है।
- इन नौकरियों ने लोगों को गरीबी से ऊपर उठने में तो मदद की लेकिन उन्हें मध्यम वर्ग में शामिल नहीं कर सकीं। मध्यम वर्ग में शामिल होने के लिए नियमित रूप से वेतनभोगी रोजगार का होना आवश्यक है।
- जब तक छोटे शहरों और बड़े गांवों में, जहां भारत के गरीब और कमजोर लोग सबसे अधिक हैं, नियमित रोजगार का सृजन सुनिश्चित नहीं हो जाता, एक बड़े मध्यम वर्ग का निर्माण करना मुश्किल है।
- शहरी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के बीच नियमित नौकरियों की हिस्सेदारी अधिक से अधिक हो सकती है, लेकिन कार्यशील जनसंख्या के सापेक्ष नियमित नौकरियाँ कम हैं।

3. महिलाओं के लिए उपयुक्त नौकरियों में कमी

- ऐतिहासिक दृष्टि से, शहरी क्षेत्रों में भारत की महिला श्रम शक्ति की भागीदारी दर कम रही है, जो कि 20% के आसपास ही रही है।
- 2005 के बाद से बड़ी मात्रा में महिलाओं की ग्रामीण श्रम शक्ति में कमी हुई है।

VISION IAS

- महिलाएँ अक्सर ऐसा रोजगार करना चाहती हैं जो उनके अपने घरों के करीब स्थित हों तथा उन्हें अन्य कई-कार्य करने की स्वतंत्रता हो। कृषि इसका एक उदाहरण है।
- वे ऐसी नौकरियां भी करना चाहती हैं जो नियमित वेतन प्रदान करे, उदाहरण के लिए विनिर्माण।
- अथवा जब नौकरी में सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक प्रशासन जुड़ा हुआ हो।
- दुर्भाग्य से, इस तरह के रोजगार के अवसर काफी सीमित है।

3.6. नियामकों की भूमिका पर पुनर्विचार

(Rethinking the Role of Regulators)

निरंतर विकसित होती दुनिया में, सबसे नई प्रौद्योगिकियाँ डिजिटल-भौतिक मिश्रण (digital-physical mix) में काम करती हैं। यह हमें नियामकों की भूमिका पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है।

भारत में विनियमन

- क्षेत्रीय नवाचारों के लिए नियामक दृष्टिकोण लगातार 'वेट एंड सी' की नीति अपनाने का रहा है।
- उद्योग गैर-विनियमित क्षेत्र में उपभोक्ता आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं और नियामक कैच-अप की भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा NBFC का और बाद में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का नियमन।
- इसके लिए एक संभावित व्याख्या यह है कि किसी भी नवीन समस्या से उठी चिंताएँ- इसको सुलझाने की पहल, और लोगों पर इसका वास्तविक प्रभाव, केवल बाद में निर्धारित किया जा सकता है।
- यह अक्सर नियामक के लिए भविष्य की प्रत्याशा से बचने साथ ही उद्योग के साथ रचनात्मक परियोजना में सहायक भूमिका का निर्वहन नहीं करने का बहाना रहा है।

सुविधाप्रदाता राज्य मॉडल

- वर्तमान में, विनियमन काफी हद तक एक कानूनी मुद्दे के रूप में देखा जाता है।
- एक गतिशील विनियामक वातावरण के लिए परिवर्तन करने की आवश्यकता है जहां नियामक समान रूप से अपने क्षेत्रक में संभावित नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करें और एक अलग नियामक संरचना, जहां क्षेत्रक नवाचारियों को प्रोत्साहित किया जाए।
- नियामक और विनियमित के बीच संबंध को 'उद्योग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए' तक सीमित न होकर आपसी सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
- इस तरह, नियामक विचारों को सुविधा प्रदान करेगा तथा साथ ही उन्हें विनियमित भी करेगा।

लाभ

- यह नियामकों को उनके क्षेत्र में नवाचारों के लिए संवेदनशील बनाता है और नीति निर्माण की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है।
- यह नियामकीय कैच-अप को कम कर देता है क्योंकि नियामक को पता है कि उद्योग किस दिशा में जा सकता है और जनता के लिए कौन सी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- यह मौजूदा नियमों, जो कि प्रौद्योगिकी की प्रगति में बाधा डालते हैं, के प्रारंभिक संशोधन पर विचार करने के लिए राज्य को फीडबैक दे सकता है।
- उद्योग, पायलट प्रोजेक्ट से बढ़कर बिजनेस मॉडल बनने से पहले प्रत्यक्ष नियामक इनपुट प्राप्त कर लेता है।
- नए विनियमनों पर सहमति बन जाने के बाद उद्योग नवाचारी चरण के बाद के चरणों में अनुपालन लागत में कमी ला सकते हैं।

आवश्यक परिवर्तन

- एक प्रक्रिया का निर्माण जिसके माध्यम से उद्योग नवाचारी नवाचार के प्रारंभिक चरण में नियामक सहभागिता प्राप्त कर सकें।
- एक निष्पक्ष प्रक्रियात्मक तंत्र जिसके माध्यम से विनियामक प्रस्तावित नवाचार के मार्गदर्शन का निर्णय करे।
- व्यापार के प्रति संवेदनशील जानकारी लीक न हो इसके लिए उपयुक्त गैर-प्रकटीकरण सुरक्षा उपाय अपनाये जाएँ।
- पायलट प्रोजेक्ट के दौरान लक्षित लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सुरक्षा के उपाय किये जाएँ।
- नौकरशाहों और नियामकों में व्यवहारगत परिवर्तन हों।

गुणवत्तापूर्ण समाधान और अंतिम व्यक्ति तक पहुँच के दबाव के सन्दर्भ में भारत में सुविधाप्रदाता राज्य मॉडल विशेष रूप से उपयोगी होगा।

3.7. किसानों के लिए ब्याज छूट योजना

(Interest Subvention Scheme for Farmers)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2016-17 के लिए किसानों के लिए ब्याज में छूट संबंधी योजना (इंटरेस्ट सब्वेन्शन स्कीम) को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके लिए 18,276 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- केन्द्र सरकार वर्ष 2016-17 के दौरान किसानों के लिए एक वर्ष की अल्पावधि वाले 3 लाख रुपए तक के फसल ऋण पर 5% की ब्याज सहायता प्रदान करेगी। किसानों को इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर के रूप में केवल 4% का भुगतान करना होगा।
- उन छोटे और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए, जिन्हें अपनी उपज की कटाई के बाद भंडारण के लिए 9% की ब्याज दर पर उधार लेना पड़ता है, केन्द्र सरकार ने 2% की ब्याज सहायता को मंजूरी दी है; अर्थात् 6 महीने तक के ऋणों के लिए 7% की प्रभावी ब्याज दर।
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, पहले वर्ष के लिए पुनर्गठित राशि पर बैंकों को 2% की ब्याज सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
- अगर किसान अल्पावधि फसल ऋण समय पर न चुका पाएं तो वे उपरोक्त उपलब्ध 5% की जगह 2% की ब्याज सहायता के पात्र होंगे।

3.8. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने पहला हरित/ग्रीन बांड जारी किया

(New Development Bank (NDB) Issues First Green Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), जिसे ब्रिक्स के उभरते देशों द्वारा पिछले वर्ष स्थापित किया गया था, ने चीन के अंतर बैंक बांड बाजार में अपने पहले वैश्विक बांड की बिक्री प्रक्रिया पूर्ण की।
- साथ ही यह एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्था द्वारा चीन में बेचा जाने वाला पहला युआन-नामित ग्रीन बांड भी था।
- इसने विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए तीन अरब युआन ($450m) जुटाए। हरित बांड को 5 वर्ष की अवधि के साथ जारी किया जाएगा।
- इसके अलावा, बैंक वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने और स्थानीय मुद्रा कोष जुटाने के लिए बाजार विकसित करने में मदद के लिए अन्य सदस्य देशों की मुद्राओं में भी बांड जारी करेगा।

महत्व

- बांड से प्राप्त आय का ब्रिक्स देशों में हरित परियोजनाओं के वित्तीयन में उपयोग किया जाएगा।
- यह सतत विकास को बढ़ावा देने और ब्रिक्स देशों में पूंजी बाजार के समर्थन के लिए संकेत के रूप में मदद करेगा।
- बांड से प्राप्त आय का पात्र परियोजनाओं जैसे कि अक्षय ऊर्जा, प्रदूषण की रोकथाम और स्थायी जल प्रबंधन के क्षेत्रों में निधि के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

हरित/ग्रीन बांड क्या है?

- हरित बांड किसी भी अन्य प्रचलित बांड की तरह है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जारीकर्ता द्वारा जुटाए गयी निधि 'हरित' परियोजना के प्रयोजन के लिए खर्च की जाती है।

इसके लाभ क्या हैं?

- ग्रीन बांड, प्रदाता की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, क्योंकि यह सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दर्शाता है।
- यह जारीकर्ता को वैश्विक निवेशकों का विशिष्ट समुच्चय प्रदान करता है जो केवल हरित उपक्रमों में निवेश करते हैं।

ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ इन निधियों का निवेश किया जा सकता है?

- भारत में, सेबी की सांकेतिक सूची में अक्षय और टिकाऊ ऊर्जा जैसे कि पवन और सौर ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ऊर्जा दक्षता, सतत कचरा प्रबंधन और भूमि उपयोग तथा जैव विविधता का संरक्षण शामिल है।

भारत को लाभ

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) हरित परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए रूस और भारत में भी बांड बेचने की योजना बना रहा है।
- भारत ने सौर मिशन के तहत 2022 तक 100GW सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए $100 बिलियन के निवेश की आवश्यकता होगी।
- NDB की हरित बांड पहल में राष्ट्रीय सौर मिशन के लिए पर्याप्त लंबी अवधि की निवेश जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है।

3.9. आंध्र प्रदेश में परमाणु बिजली उत्पादन

(Nuclear Power Generation in Andhra Pradesh)

- आंध्र प्रदेश में छः परमाणु केन्द्रों का निर्माण किया जा सकता है, जिससे परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में हजारों मेगावाट की वृद्धि होगी। यह अमेरिका और रूस दोनों देशों की भागीदारी से किया जाएगा।
- यदि रूस, अमेरिका और NPCIL के द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट वास्तव में शुरु हो जाता है तो आन्ध्र प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केन्द्रों से सरकार के 63,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के 2031 तक के लक्ष्य में से 30000 मेगावाट से अधिक को प्राप्त किया जा सकता है।
- गुजरात में 777 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण अमेरिकी भागीदारी वाली तोशिबा वेस्टिंगहाउस 1100 मेगावाट क्षमता के 6 AP 1000 रिएक्टर जिसकी स्थापना गुजरात के मीठी विर्दी में योजनाबद्ध थी, आंध्रप्रदेश में की जा सकती है।
- राज्य ने कोव्वद में एक परमाणु पार्क की योजना बनाई है। जहाँ एक और अमेरिकी कम्पनी GE-Hitachi को 1594 मेगावाट के छः इकोनॉमिक सिम्प्लीफाइड बॉयलिंग वाटर रिएक्टर (ESBWRs) लगाने के लिए स्थान निर्धारित किया गया, जिसकी प्रगति टेक्नोलॉजी पर उत्पन्न हुए सन्देह के कारण धीमी हो गयी है।
- रूसी स्वामित्व वाली रोसाटम भी आंध्र मे छः रिएक्टरो के अपने अगले चरण का निर्माण कर सकती है। माना जा रहा है कि अगले छः रूसी रिएक्टर का निर्माण नेल्लोर जिले के कवाली में होगा जिसकी घोषणा राष्ट्रपति पुतिन के अक्टूबर दौरे के समय की जा सकती है।

- 1000 MW के 6 VVER (Water-Water Energy) रिएक्टर की एक और रूसी परियोजना को भी पश्चिम बंगाल के हरिपुर में हुए स्थानीय विरोध प्रदर्शन के कारण आंध्र में ले जाया जा सकता है।
- इस प्रकार तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल की हानि जल्द ही आंध्रप्रदेश के लिए लाभ बन सकती है। हालाँकि आगे कई चुनौतियाँ है जैसे- सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर कोव्वद में कुडनकूलम, मिठी विर्दी एवं हरिपुर की तरह के कुछ विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं।

3.10. परमाणु संयंत्रों का बीमा

(World Bank's Logistics Performance Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की पहली बीमा पॉलिसी, जो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के ऑपरेटर के लिए सार्वजनिक देयता को कवर करती है, न्यूक्लिअर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) को जारी की गयी है।

मुद्दे

- NPCIL की बीमा पॉलिसी में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र सम्मिलित हैं। 1,500 करोड़ रुपये के जोखिम को कवर करने के लिए प्रीमियम की कुल राशि 100 करोड़ रुपये की है।
- यह बीमा पॉलिसी सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लिअर डैमेज एक्ट (परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम) के अनुरूप है।
- पॉलिसी के तहत NPCIL को उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध वसूली का अधिकार (right of recourse) होगा।
- इसके तहत संयंत्र में किसी भी परमाणु दुर्घटना के परिणामस्वरुप जनता के प्रति दायित्व को भी शामिल किया गया है।
- यह पॉलिसी देश की सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा कंपनी - न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - द्वारा जारी की गयी है।

- न्यूक्लिअर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- NPCIL परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन, निर्माण, स्थापना और संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- यह वर्तमान में 5780 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 21 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन कर रहा है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने परमाणु क्षति के लिए पूरक क्षतिपूर्ति अधिनियम (कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन-CSC) को अनुसमर्थित किया गया है।
- जून 2015 में सरकार के स्वामित्व वाली जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन-रिइंस्युरर (GIC-Re) और अन्य भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा इंडिया न्यूक्लिअर इंश्योरेंस पूल आरंभ किया गया।
- यह पूल सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लिअर डैमेज एक्ट 2010 के प्रावधानों के तहत ऑपरेटर के दायित्व को कवर करने के लिए NPCIL को एक बीमा उत्पाद प्रदान करता है।
- इसमें परमाणु क्षति के लिए अधिकतम दायित्व के रूप में 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

महत्व

- NPCIL को वर्तमान में गुजरात और राजस्थान में अपने निर्माणाधीन स्वदेशी रिएक्टर प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं के लिए उपकरण सोर्सिंग की कमी का सामना करना पड़ रहा है
- उपकरण विक्रेताओं के प्रतिनिधियों ने सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लिअर डैमेज एक्ट 2010 में अंतर्निहित दायित्व के मुद्दे को चिंतनीय विषय बताकर इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की थी।
- इससे जीई, वेस्टिंगहाउस और अरेवा जैसी कंपनियों के लिए भारत में परमाणु संयंत्रों की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

VISION IAS

3.11. स्टार्ट-अप इंडिया: नए मानक

(Start-up India: New Norms)

- सरकार ने मानकों में ढील दी है जिससे स्टार्ट-अप्स स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- स्टार्ट-अप पहले की अंतर-मंत्रालयी बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया की तुलना में अब केवल औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) से एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लाभ के लिए पात्र हैं।

लाभ

- नए मानक से अधिक स्टार्ट-अप लाभ प्राप्त करेंगे, जबकि सरकार एक स्केलेबल मॉडल का निर्माण कर अर्थव्यवस्था में विकास को प्रोत्साहित करने में सक्षम होगी।
- प्राप्त होने वाले लाभों में तीव्र और सस्ता पेटेंट परीक्षण तथा 10,000 करोड़ रुपये के 'फंड ऑफ फंड्स' के लिए पात्र होना शामिल है।
- हालांकि, इन शिथिल मानदंडों में कर लाभ में छूट प्रदान नहीं की गयी हैं।

स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना

- यह तीन वर्ष के लिए कठोर श्रम कानूनों से छूट, तीन वर्ष के लिए लाभ पर आयकर छूट और नियामक अनुपालन के लिए स्व-प्रमाणीकरण जैसे अन्य प्रोत्साहन प्रदान करती है।

इन्क्यूबेशन

- DIPP से कर लाभ की इच्छा रखने वाले स्टार्ट-अप्स में से बहुत कम के पास मांगे गए आवश्यक दस्तावेज थे, जिसमें से एक अभिनव व्यापार पर इनक्यूबेटर का प्रमाणपत्र है।
- अब तक केवल एक स्टार्ट-अप कर लाभ के लिए अंतर-मंत्रालयी बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने में कामयाब हो सका है।
- प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी और इन्क्यूबेटरों का अभाव इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। अतः, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उद्यमियों को यह पता चल सके कि लाभ के लिए आवेदन कैसे करें, DIPP द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- अब तक केवल 278 सरकार द्वारा स्वीकृत इन्क्यूबेटर ही स्टार्टअप्स का प्रमाणन और उनकी सिफारिश कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के तहत DIPP द्वारा नैसकॉम (Nasscom) और iSprit सहित 20 निजी संगठनों को इन्क्यूबेटरों के रूप में प्रमाणित किया गया है।
- इस कदम से आने वाले स्टार्ट-अप्स के लिए इन्क्यूबेटरों की पहुंच बढ़ने में मदद मिलेगी।
- विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए देश के संभावित इन्क्यूबेटर केन्द्रों का खाका बनाने के अतिरिक्त, DIPP ने राज्यों से इस उद्देश्य के लिए शैक्षणिक संस्थानों के नाम सुझाने को कहा है।

इस समय भारत स्टार्ट-अप्स की संख्या के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। यहाँ फ़िलहाल चार हजार से अधिक प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्ट-अप हैं, जिनकी संख्या 2020 तक 12,000 तक पहुंचने की उम्मीद की गई है।

3.12. विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (FCNR) पर आरबीआई के कदम को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की मंजूरी

(RBI's Steps on FCNR Get FSDC NOD)

पृष्ठभूमि

- 2013 में रुपया डॉलर के मुकाबले 68.85 पर अपने सबसे निचले स्तर पर था और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा क्वांटीटेटिव इजिंग की आशंका से मुद्रा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव की संभावना विद्यमान थी।
- इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को विदेशी मुद्रा जमा (FCNR, अपतटीय कॉर्पोरेट ऋण आदि) में बढोत्तरी करने को कहा ताकि विदेशी मुद्रा भंडार में और वृद्धि हो जाए।

VISION IAS

- बैंकों ने FCNR के माध्यम से लगभग 34 अरब डॉलर जुटाए।
- इसके बाद रिज़र्व बैंक ने वायदा डॉलर की खरीदारी कर आगे की रणनीति के लिए खुद को तैयार किया।

FCNR खाता क्या है?

यह एक प्रकार का टर्म डिपॉज़िट (सावधि जमा) खाता है जो विदेशी मुद्रा में अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों द्वारा खोला जाता है। इस प्रकार FCNR बचत खाता नहीं होते हैं बल्कि सावधि जमा खाता होते हैं।

इस खाते में कौन-सी विदेशी मुद्राओं को रखा जा सकता है?

स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय किसी भी विदेशी मुद्रा को इसमें रखा जा सकता है, जैसे- अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, जापानी येन, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोना आदि।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी): वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और अंतर- नियामक समन्वय बढ़ाने के लिए और तंत्र को संस्थागत रूप देने और मजबूत बनाने के लिए इसका गठन किया गया था।

इस परिषद् के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं और सेबी, इरडा, भारतीय रिजर्व बैंक, पीएफआरडीए जैसी वित्तीय नियामक संस्थाओं के मुख्य अधिकारी, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, आदि इसके सदस्य होते हैं।

मुद्दे

- 2013 के अधिकांश FCNR वाले जमा इस साल देय हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि इन जमाओं की परिपक्वता से करीब 20 मिलियन डॉलर का बहिर्प्रवाह होगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वैप तथा फॉरवर्ड (विनिमय और वायदा) की व्यवस्था की है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर रह सके।
- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने इस कदम को मंजूरी दे दी है।

प्रभाव

- अचानक बहिर्प्रवाह के कारण बैंकों की जमाओं में कमी आ सकती है।
- रूपए की तुलना में विदेशी मुद्राओं की माँग में वृद्धि से तरलता में कमी आएगी।
- चूंकि स्वैप तथा फॉरवर्ड की व्यवस्था सही समय पर नहीं हुई, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़े समय के लिए कुछ कमी दिख सकती है।

3.13. भारत का 13वां प्रमुख पत्तन

(India's 13th Major Port)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **तमिलनाडु में कोलाचेल के पास इनायम** में एक प्रमुख पत्तन की स्थापना के लिए अपनी 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है। पूरा होने पर यह देश का 13वां प्रमुख पत्तन बन जाएगा।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख और 187 छोटे या मझोले पत्तन हैं।
- वर्तमान में, भारत के पूर्वी तट के पत्तनों से समुद्री यातायात का लगभग 78% कोलंबो, सिंगापुर और क्लांग (मलेशिया) में हस्तांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि भारत में केवल कुछ ही बंदरगाह हैं जिनके पास पर्याप्त भारवहन क्षमता है और जो वैश्विक माल निर्वहन कुशलताओं की बराबरी कर सकते हैं।

इनायम पत्तन

- भारत को वैश्विक पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्ग के लिए एक ट्रांस-शिपमेंट गंतव्य बनाना इसका लक्ष्य है।
- यह पत्तन वर्तमान में देश के बाहर ट्रांस-शिप किये जाने वाले भारतीय कार्गो के लिए प्रमुख गेटवे कंटेनर पोर्ट के रूप में काम करेगा।
- इनायम पत्तन के विकसित होने के बाद दक्षिण भारत में उन निर्यातकों और आयातकों के लिए माल लाने और भेजने का खर्च घट जाएगा जो अभी ट्रांस-शिपमेंट के लिए अन्य बंदरगाहों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उन्हें वहां के बंदरगाहों को भी अतिरिक्त खर्च देना पड़ता है।
- अन्य देशों को ट्रांस-शिप किये जाने पर भारत को प्रतिवर्ष करीब 1,500 करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी पड़ती हैं। इस पत्तन के तैयार होने के उपरांत ऐसे राजस्व की भी बचत होगी।
- इनायम पत्तन की प्राकृतिक गहराई करीब 20 मीटर होगी, जो इसे बड़े जहाजों के लिए भी सुगम बनाएगा।
- इसकी क्षमता 10 मिलियन टीईयू (बीस फुट समकक्ष इकाइयाँ) है और बाद में इसे 18 मिलियन टीईयू तक बढ़ाया जा सकता है।

इनायम पत्तन परियोजना

- इस पत्तन के विकास के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) का गठन किया जाएगा जिसमें प्रारंभिक निवेश हिस्सेदारी तमिलनाडु के तीन प्रमुख पत्तनों से होगी। ये हैं – वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और कामराजार पोर्ट लिमिटेड।
- एसपीवी इस पत्तन के बुनियादी ढांचे को विकसित करेगा जिसमें तलनिकर्षण, भूमि-सुधार, बांध निर्माण और कनेक्टिविटी लिंक आदि सुनिश्चित करने का काम शामिल होगा।

IAS

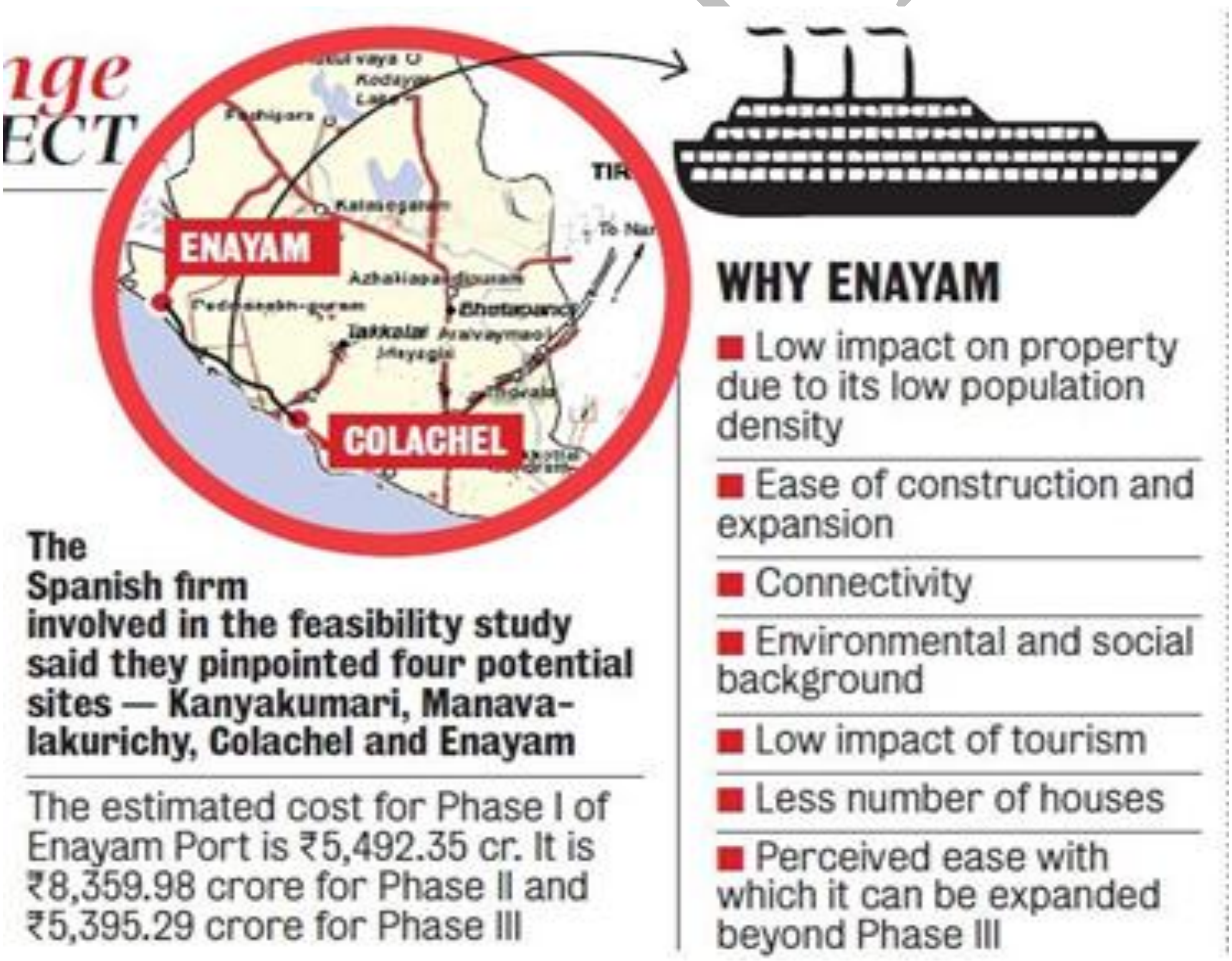

प्रमुख पत्तन क्या होते हैं?

- पत्तन संविधान की समवर्ती सूची में हैं।
- सभी प्रमुख पत्तन केंद्र सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रशासित होते हैं।
- ये भारत के लगभग 75% कार्गो ट्रैफिक को संभालते हैं।
- पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर भारत के प्रमुख पत्तन हैं: हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर (निजी), चेन्नई, तूतीकोरिन, इनायम, कोच्चि, पानाम्बुर पोर्ट (मंगलौर), मर्मागोवा, न्हावा शेवा - महाराष्ट्र, मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट- गुजरात और पोर्टब्लेयर- अंडमान।

पत्तन क्षेत्रक भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- 2015 में 1052 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो यातायात दर्ज किया गया था; इसके 2017 तक 1758 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है।
- पोत परिवहन मंत्रालय के अनुसार, बाई वॉल्यूम (मात्रा के तौर पर) भारत के व्यापार का 95 प्रतिशत और बाई वैल्यू (मूल्य के रूप में) 70 प्रतिशत के आसपास व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है।
- इस क्षेत्रक की "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम की सफलता में और अपने व्यापार भागीदारों के साथ अधिक से अधिक वैश्विक जुड़ाव और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है।

अन्य घटनाक्रम जो इनायम बंदरगाह के लिए लाभकारी होंगे

1. **सागरमाला परियोजना:** सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य पत्तन आधारित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देना है।
   - ✓ इस पहल के तहत, भारत सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में 12 प्रमुख पत्तनों में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है।

2. सरकार ने बंदरगाहों और पत्तनों के निर्माण और रखरखाव के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

3. सरकार ने पत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों और अंतर्देशीय बंदरगाहों को विकसित, रखरखाव और परिचालन करने वाली संस्थाओं के लिए 10 साल के कर-अवकाश की घोषणा भी की है।

3.14. सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह-रेल संपर्क परियोजनाएं

(Port-Rail Connectivity Projects under Sagarmala)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रेल मंत्रालय ने सागरमाला परियोजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 21 बंदरगाह-रेल संपर्क परियोजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सागरमाला परियोजना पोत-परिवहन मंत्रालय के अधीन है और इसके तहत बंदरगाहों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जानी है।
- इसके अतिरिक्त छह अन्य परियोजनाएं इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IPRCL) के तहत विचाराधीन हैं।

उद्देश्य

- निकासी नेटवर्क को मजबूत बनाना और देश के बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना।
- माल की आवाजाही के लिए बंदरगाहों पर प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- माल की आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक्स लागत और समय को कम करके भारतीय व्यापार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना।
- यह जानकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के उपयोग को बढ़ावा देकर माल की त्वरित, कुशल, परेशानी से मुक्त और सहज आवाजाही को सुगम बनाता है।

- प्रमुख बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत **इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन (IPRC)** नामक एक स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) बनाया गया है, जो पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।
- इसमें 90% हिस्सेदारी प्रमुख बंदरगाहों की और 10% हिस्सेदारी रेल विकास निगम लिमिटेड की है।

पृष्ठभूमि

- सागरमाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम वस्तुतः 4 प्रमुख उद्देश्यों के तहत परियोजनाओं को निर्धारित करता है - i) बंदरगाह आधुनिकीकरण एवं नए बंदरगाहों का विकास, ii) बंदरगाह कनेक्टिविटी संवर्धन, iii) बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण, iv) तटीय सामुदायिक विकास।

3.15. विश्व बैंक का लाजिस्टिक्स कार्य-निष्पादन सूचकांक

(World Bank's Logistics Performance Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक समूह ने हाल ही में अपनी छमाही रिपोर्ट: "'कनेक्टिंग टू कम्पीट 2016: ट्रेड लॉजिस्टिक्स इन ग्लोबल इकॉनमी" जारी की।

लॉजिस्टिक्स कार्य-निष्पादन सूचकांक (LPI) क्या है?

LPI वस्तुतः किसी देश में तथा उसके भीतरी भागों में उत्पादों की आवाजाही की सुगमता और समर्थता की तुलनात्मक स्थिति को मापता है।

मुख्य बिंदु

- भारत की रैंकिंग में 19 स्थानों का सुधार हुआ है, जो 2014 के अपने 54वें स्थान से बढ़ कर 2016 में 35वें स्थान पर आ गई है।
- ब्रिक्स समूह में केवल चीन भारत से आगे है, चीन 27वें स्थान पर है।
- सूचकांक में सबसे ऊपर जर्मनी और सिंगापुर हैं।
- LPI देश के भीतर माल की आवाजाही की लागत और अक्षमता को दर्शाता है, विशेष रूप से राज्यों के आर-पार जहां आंतरिक बाधाएं अधिक होती हैं।
- LPI यह नहीं बताता कि दूरदराज के इलाकों में माल ले जाना कितना आसान या मुश्किल है। भारत के लिए घरेलू LPI अभी भी न्यून स्थिति में है और इसे और बेहतर बनाने की संभावना है।

VISION IAS

INDIA'S LPI

	2014	2016
Overall LPI	54	35
The efficiency of customs and border management clearance	65	38
The quality of trade and transport infrastructure	58	36
The ease of arranging competitively priced shipments	44	39
The competence and quality of logistics services	52	32
The ability to track and trace consignments	57	33
The frequency with which shipments reach consignees within scheduled or expected delivery times	51	42

Source: World Bank report

- ट्रैकिंग और ट्रेसिंग वस्तुतः किसी वस्तु के वर्तमान और पिछले स्थानों (और अन्य जानकारी) का निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है।
- किसी वस्तु की अवस्थिति का पता लगाने के लिए रेडियो आवृत्ति पहचान और बार कोड दो सामान्य प्रौद्योगिकी तरीके हैं।

महत्व

- भारत की रैंकिंग में सुधार उन नीतियों में संतुलित सुधार को दर्शाती है जो कनेक्टिविटी बढ़ाने (उदाहरण के लिए, सीमा शुल्क) और व्यापार और परिवहन संबंधी मुश्किल अवसंरचना में सुधार से संबंधित हैं।
- क्षमता: 2016 में भारत की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला दक्षता जर्मनी की दक्षता की 75% थी, जबकि 2014 में यह 66% ही थी।
- 'मेक इन इंडिया' और व्यापार के लिए बेहतर संभावनाएं सामने आएंगीं।
- बेहतर संस्थागत संरचना: कुशल पेशेवर और तकनीकी सुधार ने ट्रैक एंड ट्रेसिंग जैसी सेवाओं के माध्यम से शीर्ष देशों और भारत के बीच के अंतर को पाटने में मदद की है।

3.16. कौशल बैंक द्वारा वैश्विक बाजारों के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण

(Skill Banks to Train Workers for Global Markets)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उत्तरप्रदेश और बिहार में सरकार 50 वैश्विक कौशल बैंक (प्रशिक्षण केंद्रों) की स्थापना कर रही है। इनमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार 110 प्रकार की नौकरियों के लिए संभावित अप्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

उद्देश्य

- ये प्रशिक्षण केन्द्र औषधि और स्वास्थ्य देखभाल, आतिथ्य, आईटी, निर्माण, ऑटोमोबाइल और खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रदान करेंगे, जहां रोजगार के अवसर मौजूद हैं या बढ़ने की संभावना है।
- उत्प्रवास से पहले, इन कौशल बैंकों में प्रशिक्षित युवाओं को संबंधित स्थानीय संस्कृति, कार्य नैतिकता और देश की भाषा से परिचित कराया जाएगा।
- भारत को विश्व की "मानव संसाधन राजधानी" बनाना है।

मुख्य विशेषताएं

- यद्यपि लोग इन बैंकों में प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन यह **मांग संचालित** भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी खाड़ी देश में 100 मिस्त्री की आवश्यकता है तो ये प्रशिक्षण केंद्र इस हिसाब से युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और रोज़गार दिलवाएंगे।

VISION IAS

- **उत्तर प्रदेश और बिहार को उसके उच्च जनसंख्या और विदेशों में रोजगार के लिए अधिकतम प्रवास के रिकॉर्ड की वजह से पहले चयनित किया गया है।**
- लोगों को औपचारिक रूप से प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रमाणपत्र दिया जाएगा ताकि उन्हें विदेशों में एक बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति मिले।
- दक्षिण-पूर्व एशिया, जर्मनी, स्वीडन, नार्वे और कनाडा में रोज़गार के कई अवसर हैं। दीर्घावधि में जापान जैसे देशों में वृद्ध जनसंख्या के बढ़ने से उन्हें बुढ़ापे में देखभाल करने वालों की जरुरत होगी और भारतीय नर्सें विश्व स्तर पर अपने कौशल के लिए लोकप्रिय हैं।

3.17. नेटवर्क तैयारी सूचकांक

(Network Readiness Index)

- जेनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी 2016 के नेटवर्क तैयारी सूचकांक में भारत को 91वें स्थान पर रखा गया है।
- यह डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज की तरफ जाने के लिए अनुकूल स्थिति बनाने में विभिन्न देशों की सफलता को मापता है।
- सामर्थ्य के मामले में भारत का स्थान बहुत उच्च (8वां) है।
- ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने और ई-भागीदारी की अनुमति के मामले में अब तक भारत का प्रदर्शन समकक्ष देशों के समान ही है, लेकिन दुनिया के श्रेष्ठ देशों से बहुत पीछे है (क्रमशः 57वां और 40वां)।
- राजनीतिक और विनियामकीय वातावरण के मामले में भारत का प्रदर्शन अच्छा है (78वां स्थान), लेकिन व्यापार और इनोवेशन एनवायरनमेंट (110वां) तथा बुनियादी ढांचे (114वां) में प्रदर्शन अच्छा नहीं है।

विश्व आर्थिक मंच के बारे में

इसका गठन 1971 में एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है तथा किसी भी विशेष हितों से बंधी नहीं है।

वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग संबंधी एजेंडे को आकार देने के लिए यह महत्वपूर्ण राजनीतिक, व्यापारिक और समाज के अन्य नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है।

3.18. मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक 2016

(Model Shops and Establishment Bill 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन) विधेयक 2016 को मंजूरी दी है।

उद्देश्य

- श्रमिक कल्याण हेतु और अधिक विकल्प उपलब्ध करना,
- महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना, तथा
- कारोबार करने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करना।

मुख्य बिंदु

- यह विधेयक विनिर्माण इकाइयों को छोड़कर केवल उन्हीं दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को कवर करता है, जहां दस या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं।
- यह विधेयक प्रतिष्ठानों के खुलने या बंद होने से संबंधित समय की किसी बाध्यता के बिना वर्ष में 365 दिन इन्हें संचालित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- विधेयक विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की कोशिश करता है; यह महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा प्रावधानों के साथ, रात की पाली में काम करने के लिए अनुमति देगा।
- यह प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए शौचालय, क्रेच, प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल और कैंटीन जैसी सुविधाओं के लिए प्रावधान बनाएगा।
- यह कानून जैव प्रौद्योगिकी और आईटी के अत्यधिक कुशल श्रमिकों को दैनिक काम के घंटे (9 घंटे) और साप्ताहिक काम के घंटे (48 घंटे) से संबंधित नियमों के अनुपालन से भी छूट प्रदान करता है।

प्रभाव

- काम के ज्यादा घंटों की वजह से, रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होगा। इसके अलावा दुकानों और प्रतिष्ठानों में इस तरह की नौकरियां महिलाओं के अनुकूल बनेंगी।
- देश के खुदरा बाजार को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहक किसी भी समय खरीदारी कर पाएंगे।
- विभिन्न राज्यों के कानूनी प्रावधानों में एकरूपता आने से नियोक्ता एक समान मानव संसाधन और अवकाश नीति बना पाएंगे।
- मॉडल विधेयक राज्यों के बीच शासन में सुधार और इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।

3.19. पनामा: बहुपक्षीय कर सूचना साझा कन्वेंशन

(PANAMA: Multilateral Tax Information Sharing Convention)

- एक लोकप्रिय टैक्स हेवन देश पनामा ने कर प्रशासन में सहयोग के लिए, कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता हेतु बहुपक्षीय कन्वेंशन (MAC) पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया है।
- हालांकि, पनामा सूचना के आदान-प्रदान के दायित्वों को स्वचालित तौर पर नहीं करेगा। यह केवल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों को अनुरोध करने पर जानकारी प्रदान करेगा।
- इसके अलावा, यह सिर्फ उन देशों के साथ स्वचालित रूप से जानकारी साझा करेंगे जिन्होंने इसके साथ द्विपक्षीय सूचना साझा समझौता संपन्न किया है।

पनामा हाल ही में 'पनामा पेपर लीक' के लिए सुर्खियों में रहा है। पनामा पेपर्स में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अपतटीय कानूनी फर्म, मोस्सैक फ़ोनसेका (Mossack Fonseca) के डेटाबेस से 11.5 मिलियन फ़ाइलों के दस्तावेज लीक हो गए।

भारत पर प्रभाव

- लीक हुए पनामा पेपर में करीब 2000 भारतीय नामों का उल्लेख है।
- भारत MAC पर हस्ताक्षर करने वाला देश है, इसलिए अब अनुरोध करके पनामा से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

- यह टैक्स पारदर्शिता को लागू करने और सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान में एक महत्वपूर्ण अग्रगामी कदम होगा।

कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता पर कन्वेंशन (MAC) के बारे में

- कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता पर कन्वेंशन 1988 में OECD और यूरोपीय परिषद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया और 2010 में इसमें एक प्रोटोकॉल द्वारा संशोधन किया गया था।
- यह कन्वेंशन कर चोरी और परिहार से निपटने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के कर सहयोग के लिए सबसे व्यापक बहुपक्षीय साधन है और करदाताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों की गारंटी देता है।
- इस कन्वेंशन को 2010 में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अनुरोध पर सूचना के आदान-प्रदान और सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को सम्मिलित करने हेतु संशोधित किया गया था।
- वर्तमान में 98 देश इस कन्वेंशन में भाग लेते हैं। यह सभी G-20 देशों, सभी ब्रिक्स, सभी OECD देशों, प्रमुख वित्तीय केंद्रों और विकासशील देशों की बढ़ती संख्या सहित देशों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है।

3.20. दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल

(2nd Generation Ethanol)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल के लिए मसौदा नीति की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि

- दिसंबर 2014 में ही कैबिनेट ने मोलासेस (molasses) के अतिरिक्त अन्य गैर-खाद्य फीडस्टॉकों (feedstocks) को इथेनॉल के स्रोत के रूप में ईंधन में सम्मिश्रित कर उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी थी।

महत्व

- यह नीति इथेनॉल उत्पादन के लिए मोलासेस के अतिरिक्त अन्य संसाधनों का उपयोग करने के लिए बनायी गयी है, क्योंकि देश में मोलासेस की कमी है।
- नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय बायोमास, बांस, धान के पुआल , गेहूं के पुआल, और कपास के पुआल आदि से वाहनों के ईंधन के लिए दूसरी पीढ़ी इथेनॉल के उत्पादन का तरीका विकसित करेंगे।
- दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार पेट्रोल में 22.5 प्रतिशत और डीजल में 15 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण की योजना बना रही है।
- सरकार उद्योग द्वारा उत्पादित दूसरी पीढ़ी इथेनॉल की पूरी मात्रा को खरीदने के लिए तैयार है।
- तेल विपणन कंपनियों को एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, इथेनॉल की खरीद की नीति में संशोधन किया गया है। इससे इथेनॉल की आपूर्ति श्रृंखला सुगम होगी और इथेनॉल का लाभकारी मूल्य मिलेगा

लाभ

- रोजगार: बांस से इथेनॉल बनाने से पूर्वोत्तर में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और इटली के सफल उद्योगों की तर्ज पर कई नए उद्योग स्थापित होंगे। यहाँ 40,000 लीटर दूसरी पीढ़ी इथेनॉल के निर्माण की क्षमता है।
- पर्यावरण अनुकूल: उदहारण के लिए- ब्राजील में फ्लेक्स ईंधन कारें अब इथेनॉल से चलती हैं और प्रदूषण भी कम होता है।
- इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि से भारत के लगभग 7 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के विशाल कच्चे तेल के आयात बिल में भी कमी आएगी।

3.21. भारतीय निर्यात रूझान

(Indian Exports Trend)

- भारत का निर्यात 1.27 प्रतिशत बढ़कर साल-दर-साल आधार पर जून में $ 22.57 बिलियन हो गया तथा इस प्रकार इसने दिसम्बर 2014 से प्रारम्भ हुई घटने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई।

VISION IAS

- जून में इस प्रवृत्ति को निम्न-आधार प्रभाव (low-base effect) से मदद मिली है क्योंकि जून 2015 में निर्यात जून 2014 से 16 फीसदी कम था।
- कमजोर वैश्विक मांग और तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से दिसंबर 2014 के बाद से निर्यात गिर गया है।

3.22. वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर (WTOI)

[World Trade Outlook Indicator (WTOI)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक व्यापार की प्रवृत्तियों पर "रियल टाइम" में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नया वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर (WTOI) प्रारंभ किया है।

- WTOI प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए एक हैडलाइन आंकडें प्रदान करता है।
- इसमें 100 की रीडिंग हालिया प्रवृत्तियों के अनुरूप व्यापार वृद्धि का संकेत देती है, 100 से ऊपर की रीडिंग प्रवृत्ति से अधिक वृद्धि का संकेत देती है, जबकि 100 से नीचे की रीडिंग प्रवृत्ति से निम्न वृद्धि को इंगित करती है।
- WTOI को तिमाही आधार पर अपडेट किया जाएगा।

मानदंड

WTOI की गणना करते समय, विश्व व्यापार संगठन व्यापार से संबंधित छह प्रमुख सूचकांकों पर ध्यान केंद्रित करता है:

- प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों और राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसियों द्वारा सूचित निर्यात ऑर्डर।
- इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) द्वारा प्रदत्त अंतरराष्ट्रीय माल-भाड़ा टन प्रति किलोमीटर की जानकारी।
- एक दर्जन प्रमुख शिपिंग बंदरगाहों से कुल कंटेनर प्रवाह क्षमता twenty-foot equivalent (TEU) इकाइयों में।
- मोटर वाहन वाहनों की बिक्री और / या प्रमुख बाजारों में उत्पादन के आंकड़े।
- भौतिक इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के व्यापार पर सीमा शुल्क के आंकड़े।
- कृषि कच्चे माल के व्यापार के प्रवाह पर सीमा शुल्क के आंकड़े।

प्रभाव

- WTOI विश्व व्यापार की वर्तमान दिशा का प्रारंभिक संकेत देने के लिए बनाया गया है।
- WTOI विश्व में माल व्यापार की मात्रा में परिवर्तन का संकेत देगा।
- यह इस तरह विश्व व्यापार संगठन के लंबी अवधि के व्यापार अनुमान और अन्य सांख्यिकीय निर्गमन के रूप में मौजूदा उपकरणों का पूरक है।

3.23. एंट्रिक्स-देवास मामला

(Antrix-Devas Case)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हेग में स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) ने देवास मल्टीमीडिया और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक अनुबंध के रद्द होने के मामले में भारत सरकार के खिलाफ निर्णय दिया है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर के रूप में चुकानी पड़ सकती है।
- न्यायाधिकरण का फैसला एंट्रिक्स-देवास विवाद में दूसरा ऐसा मध्यस्थता परिणाम है। इंटरनेशनल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स (ICC) न्यायाधिकरण ने 2015 में समझौता रद्द करने को 'अवैध' माना था और एंट्रिक्स को लगभग 4,400 करोड़ रुपये हर्जाने के रूप में देवास को देने को कहा था।
- भारत ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय किया है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- 2005 में, इसरो की व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स निगम ने देवास के साथ उपग्रह स्पेक्ट्रम लीज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 2011 में लीक हुई एक मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया कि समझौते में बड़ी संख्या में अनियमितताएँ संभावित हैं।
- विवाद के तुरंत बाद, इसरो ने समझौते को रद्द करने का फैसला किया।

निर्णय (The Award)

- हेग स्थित PCA ने निर्णय दिया है कि 2011 में सरकार की कार्रवाई स्वामित्वहरण का मामला है।
- अनुबंध को रद्द करते समय देश ने संधि प्रतिबद्दताओं का उल्लंघन किया है, इसलिए देवास के विदेशी निवेशकों के लिए उचित और न्यायसंगत उपचार प्रदान किया जाए।
- यह सरकार को वित्तीय मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।

3.24. 51 कंपनियों में हिस्सेदारी की बिक्री

(Stake Sale in 51 Firms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध 51 कंपनियों में अपनी अल्पांश हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है, और अगले 3 वर्षों में पूरी हिस्सेदारी भी बेच सकती है। इन कंपनियों में आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एलएंडटी आदि शामिल हैं।

मुद्दे

- **स्पेसिफाएड अंडरटेकिंग ऑफ़ यूटीआई (SUUTI)** के माध्यम से सरकार इन कंपनियों में अल्पांश हिस्सेदारी रखती है।
- अल्पांश हिस्सेदारी का मतलब है किसी कंपनी की इक्विटी पूंजी में 50% से कम की हिस्सेदारी, जो कि उक्त कंपनी में नियंत्रक हिस्सेदारी वाली स्थिति नहीं होती है।
- SUUTI का गठन तत्कालीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) की एक शाखा के रूप में 2003 में किया गया था।
- SUUTI स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से OFS, ब्लॉक डील, थोक डील या नियमित बिक्री के माध्यम से ऐसे निवेश को बेचने की योजना बना रही है।

पृष्ठभूमि

- सरकार ने 2016-17 के लिए 56,500 करोड़ रुपये के विनिवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
- इसमें से 36,000 करोड़ रूपए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में <u>अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री</u> से आयेंगे और शेष 20,500 करोड़ रुपये लाभ अथवा घाटे, दोनों में चल रही कंपनियों की रणनीतिक बिक्री से आने की संभावना है।
- नीति आयोग ने 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (बहुमत हिस्सेदारी वाली) की एक सूची प्रस्तुत है जिसमें प्राथमिकता के आधार पर <u>रणनीतिक विनिवेश</u> (प्रबंधन नियंत्रण के साथ-साथ इक्विटी विनिवेश) की सिफारिश की गयी है।
- निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) का गठन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में <u>निवेश के प्रबंधन</u> और हिस्सेदारी-बिक्री प्रक्रिया की निगरानी के लिए की गई थी।

प्रभाव

- यह बिक्री सरकार को अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी।
- इससे समग्र आर्थिक दक्षता में सुधार आएगा।

VISION IAS

3.25. पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना

(Pattiseema Lift Irrigation Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने के लिए पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है।
- यह दक्षिण भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है।

आवश्यकता

- रायलसीमा में पानी और वर्षा की कमी है तथा यह दक्षिण भारत के गंभीर सूखा पीड़ित स्थानों में से एक है।
- दूसरी ओर, गोदावरी नदी दक्षिण भारत में सर्वाधिक जलाधिक्य वाली नदी है।
- प्रति वर्ष, 3000 TMC की अनुमानित जलराशि गोदावरी नदी से बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है।
- इस अपव्यय की एक छोटी सी मात्रा का उपयोग रायलसीमा को सूखे से मुक्त कर देगा।

परियोजना के बारे में

- परियोजना की आधारशिला 29 मार्च, 2015 को रखी गई थी और इसे एक वर्ष के रिकॉर्ड निर्धारित समय में पूरा किया गया।
- यह भारत में निर्मित अभी तक की सबसे तेज नदी जोड़ो मेगा परियोजना है।
- परियोजना की लागत 1300 करोड़ होने का अनुमान है।
- इसके द्वारा 7 लाख एकड़ के लिए सिंचाई पानी उपलब्ध होगा जो कृष्णा-गोदावरी क्षेत्र और रायलसीमा क्षेत्र के किसानों को करोड़ों की अतिरिक्त कृषि उपज प्रदान करेगा।
- सरकार का लक्ष्य 80 TMC पानी को 24 अत्यधिक टिकाऊ पम्पों द्वारा पट्टीसीमा पंप हाउस पर गोदावरी नदी से लेकर पोलावरम राईट नहर में छोड़ा जाना है।
- पट्टीसीमा परियोजना से पानी लगभग 160 किमी की यात्रा करेगा और प्रकाशम बैराज के ऊपरी जल में विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में शामिल हो जाएगा।
- वृहद् पोलावरम परियोजना के अलावा सरकार नागवली और वंसधारा नदियों को जोड़ने पर भी विचार कर रही है।

VISION IAS

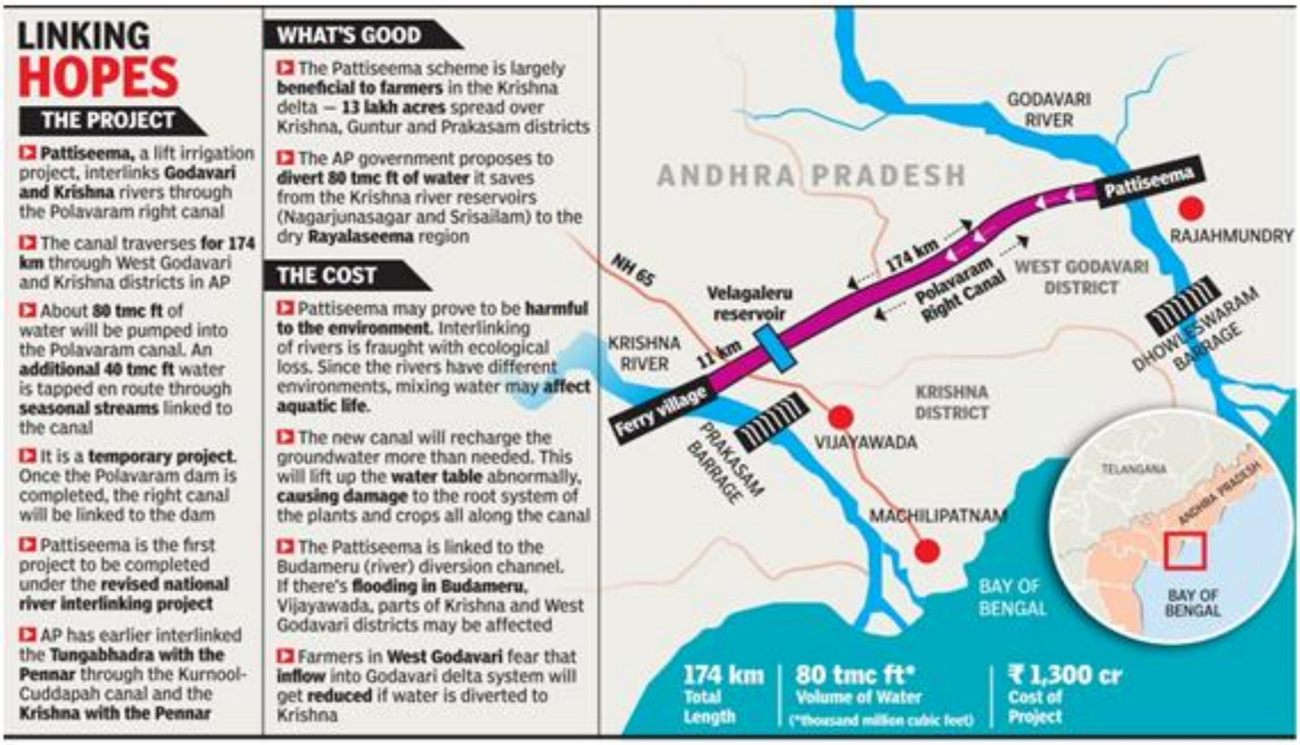

3.26. NATRIP परियोजना

(Natrip Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने NATRIP के लिए 3,727.30 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है।

NATRIP क्या है?

- यह परियोजना 1998 के WP-29 के तहत 'यूएन रेगुलेशन ऑन हार्मनाइजेशन ऑफ व्हीकल स्पेसिफिकेशन (वाहन विनिर्देशों के सामंजस्यीकरण पर संयुक्त राष्ट्र नियमन)' पर हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
- भारतीय वाहनों से सुरक्षा के वैश्विक मानकों (यूएन ब्रासीलिया प्रस्ताव की तर्ज पर) का पालन करवाना ताकि सड़क दुर्घटनाओं और हताहतों की बड़ी संख्या को कम किया जा सके (2015 में यह संख्या क्रमशः 5.01 लाख और 1.46 लाख थी)।
- यह वाहन-पुर्जों (ऑटो-कॉम्पोनेन्ट) के विकास और प्रमाणन के लिए MSMEs को सहायता देने का लक्ष्य भी रखता है।
- यह देश में अत्याधुनिक परीक्षण, सत्यापन और शोध एवं विकास में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के बीच एक अद्वितीय संयुक्त पहल को प्रदर्शित करता है।
- यह ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016-26 के समर्थन हेतु भी आवश्यक है, जिसके तहत भारतीय मोटर वाहन और पुर्जा निर्माताओं के लिए अगले 10 वर्षों में निर्यात को अपने कुल उत्पादन के 35-40 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3.27. हिंद महासागर में प्राकृतिक गैस की खोज

(Natural Gas Discovery has been Made in the Indian Ocean)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों के एक दल ने, प्राकृतिक गैस हाइड्रेट- ईंधन के एक हिम सदृश्य रूप - की अत्यधिक समृद्ध भंडार की खोज बंगाल की खाड़ी में की है।
- यह हिंद महासागर में अपनी तरह की पहली खोज है जिसमें उत्पादन की संभावना विद्यमान है।

गैस हाइड्रेट्स क्या हैं?

- प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाले, प्राकृतिक गैस और पानी के बर्फ सरीखे संयोजन हैं जो महासागरों और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाये जाते हैं।
- विश्व में गैस हाइड्रेट संचयन में सभी ज्ञात पारंपरिक गैस संसाधनों की मात्रा से अधिक होने मात्रा में गैस होने का अनुमान है।
- इसे प्राकृतिक गैस के विशाल संसाधनों के रूप में माना जाता है और ये महाद्वीपीय शेल्फ सीमांत पर समुद्री तलछट में पाए जाते हैं।
- सागरीय ड्रिलिंग, पारंपरिक सेडीमेंट कोरिंग, प्रेशर कोरिंग, डाउनहोल लॉगिंग और विश्लेषणात्मक गतिविधियों के द्वारा वैज्ञानिकों ने भारत के अपतटीय भाग में गैस हाइड्रेट निक्षेप के भूगर्भिक रूप से पाए जाने, क्षेत्रीय संदर्भ और विशेषताओं का आकलन किया।

3.28. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

(Public Financial Management System- PFMS)

- सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत सभी भुगतानों या लेनदेन के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के उपयोग को सर्वव्यापी करने का फैसला किया है।
- सरकार समय पर धन जारी करने की सुविधा देना चाहती है और इसके अंतिम उपयोग पर जानकारी सहित निधियों के उपयोग की निगरानी करना चाहती है।
- व्यय विभाग द्वारा संचालित PFMS; भुगतान प्रसंस्करण, ट्रैकिंग, निगरानी, लेखा, सुलह और लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए एक शुरू से अंत तक समाधान है।
- यह योजना प्रबंधकों को धन को जारी किये जाने से लेकर उसके अंतिम उपयोग तक की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।
- सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को 31 अक्टूबर, 2016 तक PFMS को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है।

VISION IAS

ETHICS, INTEGRITY AND APTITUDE
with
Renowned Faculty
(Psychology related topics and Case-study discussions on behavioral aspects of decision making, ethics & human interface)
Senior Bureaucrat
(Public Administration related topics of the syllabus and case study approach from practical experience of Indian Administration)
Senior Bureaucrats for Case-Study Discussions
Syllabus will be covered in 25 classes
(5-6 classes per week)
LIVE/ONLINE Classes available
Includes
Classroom Mini-Test
Comprehensive Study Material
Vision IAS All India Mock Test on Ethics (GS Paper IV)

4. सामाजिक मुद्दे

(SOCIAL ISSUES)

4.1 यूनिसेफ: स्टेट ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्ट

(UNICEF: State of Children's Report)

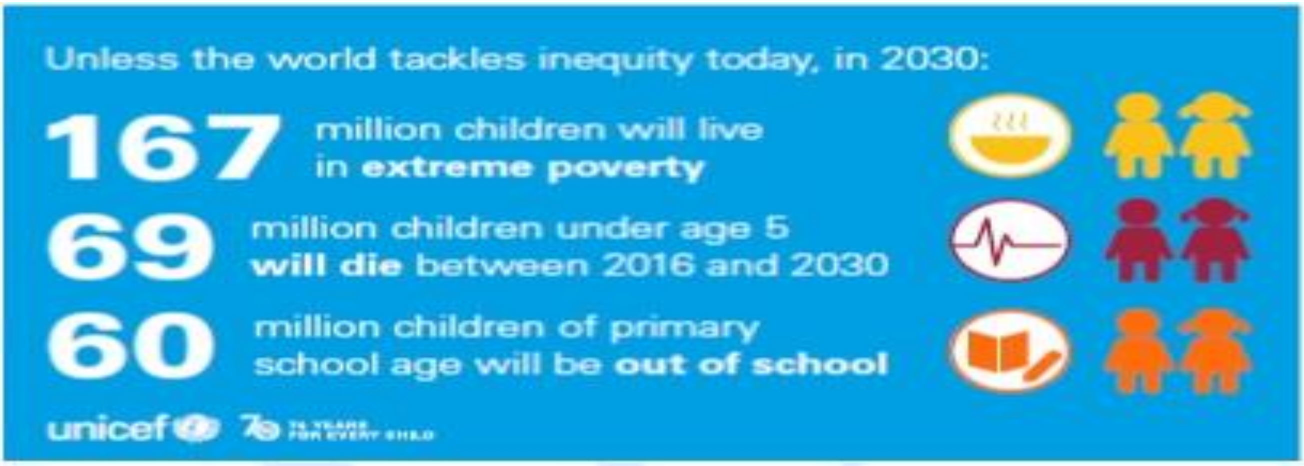

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यूनिसेफ ने बच्चों से सम्बंधित अपनी वार्षिक फ्लैगशिप **'स्टेट ऑफ चिल्ड्रेन्स' रिपोर्ट** (**State of Children's Report**) का विमोचन किया।
- यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में दुनियाभर में बच्चों की स्थिति, इस दिशा में किए गए प्रयास तथा भावी क़दमों पर प्रकाश डाला जाता है।

मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार,यदि वर्तमान स्थिति, वर्ष 2030 (सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निश्चित किया गया वर्ष) तक जारी रहती है तो :
    - 2016 से 2030 के बीच 5 वर्ष से कम उम्र के 69 मिलियन बच्चों की मृत्यु होने की संभावना है।
    - प्राथमिक स्कूल जाने की उम्र वाले 60 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर रह जाएंगे।
    - 750 मिलियन बच्चों का बाल-विवाह हो जाएगा।
- विभिन्न देशों और सरकारों द्वारा की गई अनेकों पहलों के बावजूद, वर्ष 2015 में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 5.9 मिलियन बच्चों की मृत्यु हुई, इनमें से ज्यादातर बच्चों की मृत्यु निवारक रोगों के कारण ही हुई है।
- यह रिपोर्ट 2000 से 2015 के बीच सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) की दिशा में हासिल की गई प्रगति की भी सराहना करती है।
    - जिन बच्चों का जन्म आज हुआ है उनकी गरीबी में जीने की संभावना नई सहस्राब्दी के प्रारंभ में पैदा हुए बच्चों की तुलना में कम है।
    - आज पैदा हुए बच्चों में 40 प्रतिशत से अधिक की 5 साल की उम्र तक जीवित रहने की संभावना है तथा उनके स्कूल जाने की संभावना भी अधिक है।
- रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि 1990 के बाद से साम्यता अंतरालों में भी कमी आई है। विश्व के चार प्रमुख क्षेत्रों ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता हासिल की है।
- 1990 के बाद से बच्चे के जीवित रहने के मामले में अंतर को काफी हद तक सीमित कर लेने के बावजूद भी अमीर और गरीब देशों के बीच की बड़ी विषमताएं अभी भी विद्यमान हैं।

क्या किए जाने की आवश्यकता है?

इस रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs, 2030) की प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों का आकलन किया गया है। इनमें से निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है:

- अधिक गरीब देशों को तेजी से प्रगति करने की आवश्यकता है ताकि गरीब और अमीर देशों के बीच की खाई को पाटा जा सके और वर्ष 2030 तक के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।
- उचित पोषण प्रदान करके और बचाव एवं संक्रामक रोगों के उपचार के माध्यम से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी।
- गर्भावस्था, प्रसव-वेदना, प्रसव-पूर्व और प्रसव उपरांत स्थितियों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल। विभिन्न गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में जागरूकता के माध्यम से अनचाहे गर्भधारण में कमी लाना।
- गरीबों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवा योजनाओं के लिए लक्षित वित्तपोषण तथा मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में गरीबों को शामिल करना। सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये दो महत्वपूर्ण रणनीतियां स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और साम्यता अंतराल में कमी लाने में सहायक होंगी।
- बाल विवाह को समाप्त करना और लड़कियों की शिक्षा पर बल। शिक्षा महिलाओं को देर से शिशु पैदा करने, दो बच्चों के जन्म के अंतराल को बढ़ाने तथा शिशु के जन्म के पश्चात मातृ एवं नवजात के स्वास्थ्य की सुरक्षित देखभाल में समर्थ बनाती हैं।
- प्रारम्भ से ही शिक्षा प्राप्ति के साधनों तक पहुँच।
- गरीबी से निपटना। गरीबी निवारण वस्तुतः बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन व उचित पोषण के साथ-साथ शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने में सहायक होती है।

4.2 भारत में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या पर डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट

(WHO Report on the Health Workforce in India)

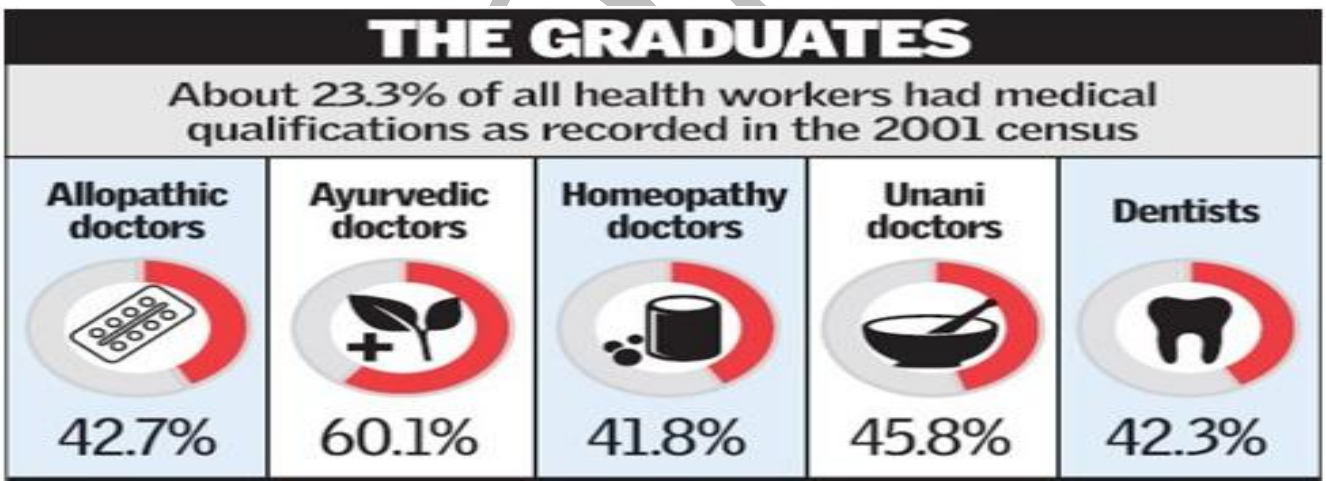

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, WHO ने 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत के स्वास्थ्य कार्यबल की स्थिति पर **'भारत में स्वास्थ्य कार्यबल' (द हेल्थ वर्कफ़ोर्स इन इंडिया)** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- वर्ष 2001 में 1.02 अरब की आबादी के लिए, भारत में सिर्फ 20 लाख स्वास्थ्य कर्मी थे।
- कुल डॉक्टरों में, 77.2% एलोपैथिक और 22.8% आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी (आयुष) डॉक्टर थे।
- 57% चिकित्सकों के पास कोई भी चिकित्सा योग्यता नहीं थी ।
- एलोपैथिक डॉक्टरों में से लगभग एक तिहाई डॉक्टर कक्षा 12 तक ही शिक्षित थे।

- 67.1% नर्स और दाईयां केवल माध्यमिक विद्यालय स्तर तक शिक्षित थीं।
- यह पाया गया कि केवल 18.8% स्वास्थ्य कर्मियों के पास ही चिकित्सा योग्यता थी।
- सभी स्वास्थ्य कर्मियों में से 59.2% शहरी क्षेत्रों (जहाँ भारत की केवल 27.8% आबादी निवास करती है) में कार्यरत थे और केवल 40.8% ग्रामीण क्षेत्रों (जहाँ शेष 72.2% आबादी निवास करती है) में कार्यरत थे।

4.3 राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)

[National Eligibility Cum Entrance Test (NEET)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लोकसभा ने वैधानिक दर्जा देते हुए विवादास्पद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) विधेयक को पारित कर दिया और यह अगले शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा।
- इस कदम की पृष्ठभूमि में निहित मुख्य उद्देश्यों में, अलग-अलग परीक्षाओं को समाप्त करना, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा और गैर-शोषक प्रक्रिया को अपनाना शामिल है।
- विधेयक के अस्तित्व में आने पर भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम-1956 और दंत चिकित्सक अधिनियम-1948 में संशोधन की जाएगी तथा इसी सत्र में एनईईटी परीक्षा को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश भी प्रतिस्थापित हो जाएगा।

एनईईटी से सम्बंधित मुद्दे

- **मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (एम.सी.आई):** एम.सी.आई. के कार्यपद्धति की हर जगह आलोचना की जाती है। उच्चतम न्यायलय ने एम.सी.आई. की कार्यपद्धति की देखरेख के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रवेश परीक्षाओं को संचालित करने की एम.सी.आई. की क्षमता के संबंध में भी शंकाएं व्यक्त की गई हैं।
- **शुल्क:** वर्तमान में छात्रों का कई प्रकार से शोषण किया जाता है, विशेष रूप से कैपिटेशन फीस के रूप में। विभिन्न राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर शुल्क संरचना एक समान नहीं है। सभी के द्वारा स्वीकार्य एक तर्कसंगत शुल्क संरचना बनाने की आवश्यकता है।
- **पाठ्यक्रम:** एक विचार यह भी है कि एनईईटी, जो मुख्यतः सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित है, को राज्य बोर्डों के पाठ्यक्रमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके माध्यम से सभी छात्रों के लिए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित हो सकेगा।
- **भाषा:** एनईईटी दो भाषाओं में ही आयोजित की जाती है, वैसे छात्र जो गरीब पृष्ठभूमि से हैं तथा जिन्होंने राज्य पाठ्यक्रमों के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन किया है, कुलीन वर्ग के छात्रों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे।
- **कोटा मुद्दा:** एनईईटी वस्तुतः भारत के विभिन्न मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए 15% के अखिल भारतीय कोटे के तहत छात्रों के चयन के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी। कुछ राज्य, विशेष रूप से तमिलनाडु, स्टेट कोटा और आरक्षण के प्रश्न पर चिंतित दिखायी दिए।
- एनईईटी के कार्यान्वयन के बाद भी कई अन्य मुद्दे अनुत्तरित रहेंगे, जैसे:
  - ✓ छात्रों को एनईईटी के लिए नए सिरे से अध्ययन करना होता है जिससे निजी कोचिंग संस्थान पैसा बनाते हैं।
  - ✓ छात्र एनईईटी की तैयारी को बहुत अधिक महत्व दे देंगे और उच्च माध्यमिक परीक्षा में उनके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा।
  - ✓ 2017 से राज्यों को एनईईटी अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा तथा यह राज्यों पर छोड़ दिया जाएगा कि वे तय करें कि चयन करने के लिए स्वयं परीक्षा लेना चाहते हैं या एक समान परीक्षण प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं।
  - ✓ एनईईटी आयोजित करने की प्रक्रिया यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं की तरह चूक रहित होनी चाहिए।

प्रस्तावित एनईईटी की विशेषताएं

- यह विधेयक सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू करने के लिए लाया गया है।
- यह स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं पर लागू किया जाएगा।
- यह प्रावधान सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकार की सीटों के लिए लागू होगा।
- एनईईटी हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर पिछले तीन वर्षों में स्थानीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी है ताकि केंद्र सरकार उसके अनुरूप योजना बना सके।
- विधेयक, एमसीआई को संचालन सम्बंधित नियमों को तैयार करने की शक्तियां प्रदान करता है: (i) परीक्षा के संचालन का अधिकार, (ii) परीक्षा का आयोजन किस प्रकार किया जाएगा, (iii) अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं जिनमें परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, को निर्दिष्ट करना ।
- एनईईटी एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर आयोजित किया जाएगा और अंडर ग्रेजुएट परीक्षा सीबीएसई और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।
- पाठ्यक्रम का मानकीकरण किया जाएगा ताकि ग्रामीण छात्रों के मुद्दों का ध्यान रखा जा सके।
- न्यायाधीशों की एक समिति निजी कॉलेजों के लिए फीस तय करेगी जबकि सरकारी संस्थानों के लिए यह कार्य सरकार करेगी।

आगे की राह

एनईईटी के कार्यान्वयन से कई तरह के लाभ होंगे जैसे - पूरे भारत में एमबीबीएस कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक समान परीक्षा, कई प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन करने से छुटकारा, तनाव के स्तर में कमी और माता-पिता तथा संरक्षकों के लिए पर्याप्त वित्तीय बचत आदि। पुनः एनईईटी के संबंध में उठाए गए विभिन्न मुद्दों को संबोधित किए जाने की भी आवश्यकता है।

4.4 वैश्विक पोषण रिपोर्ट

(Global Nutrition Report)

रैंकिंग

- 38.7% Stunting (वृद्धि अवरुद्धता) के मामलों के साथ भारत 132 देशों की सूची में 114 वें स्थान पर है।
- Wasting (बल और पेशियों का क्रमिक रूप से कमजोर होना) (15.1 %) की दृष्टि से भारत 130 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है,
- प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता (48.1 %) की दृष्टि से भारत 185 देशों की सूची में 170वें स्थान पर है।

मुख्य बिन्दु

- पिछले दशक की तुलना में हाल के 10 वर्षों में भारत में Stunting की कमी की दर दोगुनी हो गई है। ध्यातव्य है कि भारत में दुनिया के एक तिहाई से अधिक stunted (वृद्धि अवरुद्ध) बच्चे रहते हैं।
- भारत को लोगों में वजन की बढ़ती दर पर और विशेष रूप से मधुमेह पर ध्यान देना चाहिए।
- सभी राज्यों में से छह भारतीय राज्यों जहाँ एक स्वतंत्र राज्य पोषण मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है, उनमें से केवल दो राज्यों में पोषण परिणामों में सुधार के लिए स्पष्ट और समयबद्ध लक्ष्य का निर्धारण किया गया है।
- पोषण मिशन के लक्ष्यों के पूर्ण नहीं हो पाने का एक कारण यह है कि वे आम तौर पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग तक ही सीमित रह जाते हैं। जबकि अन्य विभागों के तहत आने वाले ऐसे मामलों को उक्त मिशन/योजना में शामिल नहीं किया जाता है।
- इसलिए, बहु-क्षेत्रक मिशन या एजेंसियों की जरूरत है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित लक्ष्यों के क्रियान्वयन की सभी क्षेत्रों में निगरानी कर सकें।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रमुख तथ्य :

- वैश्विक पोषण रिपोर्ट दुनिया में पोषण की स्थिति की एक स्वतंत्र और व्यापक वार्षिक समीक्षा है।
- यह एक बहुपक्षीय पहल है जो अंतर-सरकारी पोषण लक्ष्यों को पूरा करने में हमारी सफलताओं और असफलताओं के लिए एक दर्पण का कार्य करती है।
- यह वैश्विक मंच पर की गई प्रतिबद्धताओं के संबंध में हुई प्रगति का दस्तावेज तैयार करती है और प्रगति में तेजी लाने के लिए कार्रवाई की सिफारिश करती है।
- इस वर्ष की रिपोर्ट SMART प्रतिबद्धताओं के निर्धारण और संबंधित प्रगति के मापन पर केन्द्रित है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट 2030 तक अपने सभी रूपों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की पहचान पर भी आधारित है।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट का एक प्रमुख सहभागी विश्व स्वास्थ्य संगठन है।

4.5. सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑनलाइन लिंग चयन संबंधी विज्ञापनों पर पूर्ण पाबंदी हेतु अंतिम तिथि का निर्धारण

(Sc Sets Deadline for Blocking Online Sex Selection Ads)

- सुप्रीम कोर्ट ने लिंग चयन उपकरणों/किट्स के विक्रय वाले विज्ञापनों को रोक पाने में विफल होने के कारण सर्च इंजन गूगल, याहू एवं माइक्रोसॉफ्ट की आलोचना की तथा केंद्र सरकार एवं अंतर्मध्यस्थों से दैनिक सर्च के दौरान सामने आने वाले ऐसे विज्ञापनों को रोकने हेतु तुरंत तकनीकी हल खोजने को कहा|
- इसने कहा की यह विज्ञापन पूर्व गर्भाधान एवं पूर्व निदान तकनीक(लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम,1994 की धारा 22 का उल्लंघन करते हैं|
- कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सर्च इंजन से ऐसे विज्ञापनों को हटाने के सभी तरीकों पर चर्चा करने हेतु दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञों की तुरंत एक बैठक बुलाए|
- इन्टरनेट कंपनियों ने इस पर यह कहकर आपति जतायी है कि इन्टरनेट "प्रतिबन्ध-मुक्त-क्षेत्र" है तथा सरकार का मत "पूर्व-प्रतिबन्ध एवं सूचना अवरोधक(प्री-सेंसरशिप एंड इनफार्मेशन ब्लॉकिंग)" का समर्थन करने वाला है|

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के बारे में

- पूर्व गर्भाधान एवं पूर्व निदान तकनीक(लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम,1994 कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं घटते लिंगानुपात को रोकने हेतु लागू किया गया था| यह अधिनियम पूर्व निदान लिंग चयन पर प्रतिबन्ध लगाता है|
- लिंग चयन में प्रयुक्त तकनीकों के विनियमन में सुधार हेतु 2003 में इसे पूर्व गर्भाधान एवं पूर्व निदान तकनीक(लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के रूप में संशोधित किया गया|

4.6. केरल में फैट टैक्स

(Fat Tax)

केरल ने ब्रांडेड रेस्टोरेंटस द्वारा बेचे जाने वाले जंक फ़ूड आइटम जैसे पिज़्ज़ा एवं बर्गर पर 14.5% फैट टैक्स लागू किया है|

फैट टैक्स **क्यों**?

इस कर का लक्ष्य लोगो को खाद्य चयन के प्रति और अधिक सचेत करना है एवं मोटापे को रोकना है| राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब के बाद केरल में ही सर्वाधिक लोग मोटापे से पीड़ित है|

फैट टैक्स **के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव**

VISION IAS

- डेनमार्क ने 2011 में फैट टैक्स को लागू किया लेकिन जब उसने पाया की उपभोक्ता सीमा पार से उच्च वसा युक्त खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं तो 2013 में इसे हटा दिया गया|
- हंगरी ने शक्कर, नमक एवं वसा की उच्च मात्रा वाले खाद्य पदार्थों पर कर लगाया है| मेक्सिको ने मीठे पेय पदार्थों एवं मिठाईयों पर कर लगाया है|
- अमेरिका में मीठे पेय पदार्थों पर कर लगाने हेतु संघर्ष चल रहा है| फिलाडेल्फिया सोडा कर लगाने वाला अमेरिका का पहला मुख्य शहर बन गया है|

आलोचना

- वर्ष के प्रारंभ में समोसा और मिठाईयों पर 'लक्ज़री कर' लगाने वाले बिहार के विपरीत यहाँ केवल 'उच्चस्तरीय रेस्टोरेंट्स' में बिकने वाले खाद्य पदार्थों पर ही फैट टैक्स लागू होगा|
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन(एनएसएसओ) के अध्ययन से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार केरल की मोटापा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनमें हृदय संबंधी बीमारियाँ भी शामिल हैं के सन्दर्भ में कोई बड़ा ग्रामीण-शहरी विभाजन नही है|

4.7. अल्पसंख्यक विद्यालयों के साथ शिक्षा के अधिकार (आरटीई) की सुसंगति

(Harmonising RTE With Minority Schools)

- केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई एक्ट) की धारा 16, जो यह कहती है कि विद्यालय किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले नही रोक सकते हैं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होती है|
- कोर्ट ने यह दायित्व अधिनियम के आधार पर नही बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर आरोपित किया है जो जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है|
- इसने निर्णय दिया की गैर-निरोध नीति(एनडीपी) बच्चे के "सर्वाधिक हित" में है तथा स्वतंत्र रूप से इसे मूलभूत अधिकार समझा जा सकता है|

आरटीई को अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ सुसंगत बनाना

- शिक्षा के अधिकार का सामान्य प्रभावक्षेत्र अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासित करने के अधिकार के साथ विरोधाभासी है|
- अनुच्छेद 30 के तहत प्राप्त अधिकार असीम नही है| विद्यालय को 'प्रशासित' करने की स्वतंत्रता 'कुप्रशासन' को समाहित नही करती है|
- शैक्षणिक स्तरों का बनाये रखने, बेहतर अधिसरंचना को सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि से सम्बंधित विनियम अल्पसंख्यक विद्यालयों पर भी लागू होतें हैं|

4.8. MTPA 1971 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

(Supreme Court Decision on MTPA 1971)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- एक दुर्लभ आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से बलात्कार पीड़ित एक युवती को कानूनन निर्धारित 20 सप्ताह की अवधि के बाद भी उसके गर्भ को समाप्त करने के लिए अनुमति दी।
- अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि भ्रूण में कई जन्मजात विसंगतियों के कारण उसके जीवन को खतरा था।

पृष्ठभूमि

- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 वस्तुतः 1966 में शांतिलाल शाह समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर अस्तित्व में आया जिसमें कहा गया था कि गर्भपात और प्रजनन अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की आवश्यकता है।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अनुसार निर्धारित 20 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति नहीं है। हालांकि, यदि माँ के जीवन के लिए कोई चिकित्सीय खतरा है तो 24 सप्ताह के बाद भी भ्रूण को समाप्त किया जा सकता है।

महत्व

- एक नैतिक सवाल हमेशा खड़ा होता है कि 'जीवन कहाँ से शुरू होता है?' और उसके बाद गर्भवती मां के जीवन का अधिकार बनाम अजन्मे भ्रूण के जीवन के अधिकार का प्रश्न खड़ा होता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई, 2016 में दिए ऐतिहासिक फैसले के द्वारा इस विषय पर स्पष्टता प्रदान की है क्योंकि यहाँ सवाल "जीवन बनाम जीवन" पर था।
- सुप्रीम कोर्ट ने कानूनन अनिवार्य 20 सप्ताह से परे गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी है, क्योंकि यह उल्लेख किया गया था कि महिला का जीवन खतरे में था।
- अतः इस मामले में गर्भपात संबंधी कानून और नैतिकता के प्रश्नों पर विचार किया गया क्योंकि 20 सप्ताह का भ्रूण चिकित्सकीय परिभाषा के अनुसार जीवित होता है ।

VISION IAS

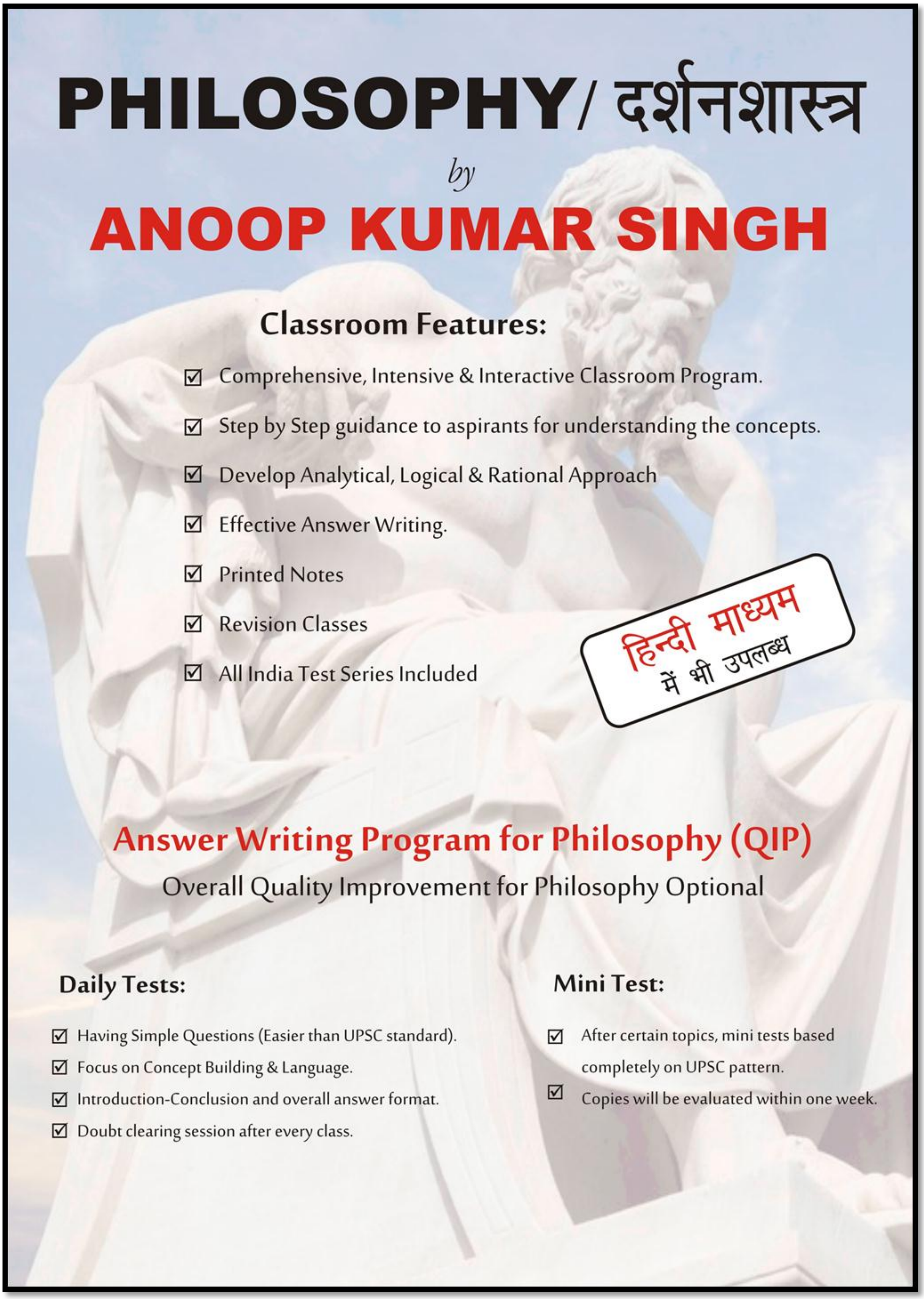
PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र
by
ANOOP KUMAR SINGH
Classroom Features:
☑ Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program.
☑ Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts.
☑ Develop Analytical, Logical & Rational Approach
☑ Effective Answer Writing.
☑ Printed Notes
☑ Revision Classes
☑ All India Test Series Included
हिन्दी माध्यम
में भी उपलब्ध
Answer Writing Program for Philosophy (QIP)
Overall Quality Improvement for Philosophy Optional
Daily Tests:
☑ Having Simple Questions (Easier than UPSC standard).
☑ Focus on Concept Building & Language.
☑ Introduction-Conclusion and overall answer format.
☑ Doubt clearing session after every class.
Mini Test:
☑ After certain topics, mini tests based completely on UPSC pattern.
☑ Copies will be evaluated within one week.

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

5.1. LUCA

सुर्ख़ियों में क्यों?

- Dusseldorf स्थित हेनरिक हेन विश्विद्यालय के वैज्ञानिकों के एक दल ने विलियम मार्टिन के नेतृत्व में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों के पूर्वज की खोज की है तथा उसका नाम LUCA है।

LUCA के बारे में?

- **LUCA** का आशय **Last Universal Common Ancestor** से है।
- यह सबसे हाल का जीव है जिससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का एक साझा वंश है। इस प्रकार यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों का 'सर्वाधिक नवीन साझा पूर्वज (most recent common ancestor-MCRA) है।
- हालांकि इसे प्रथम जीवित जीव नहीं माना जाना चाहिए।

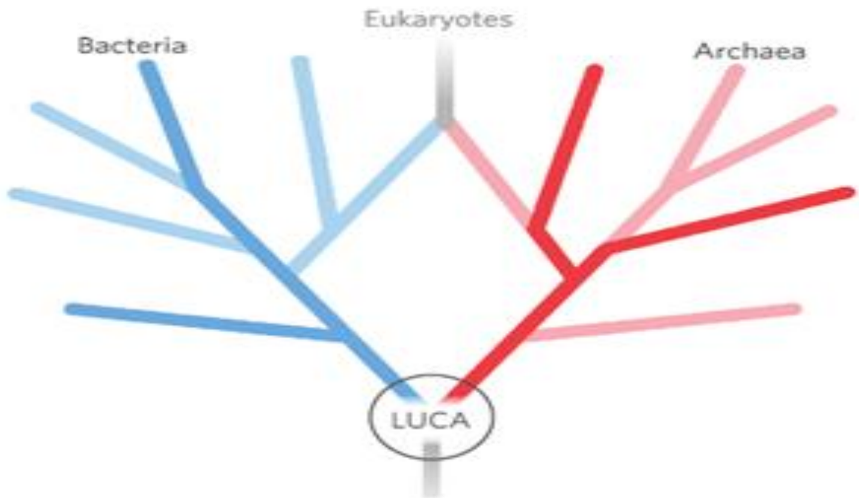

अध्ययन के प्रमुख बिंदु

- जीवन के तीन प्रमुख डोमेन में से दो जीवाणु और आर्किया के आनुवांशिक लक्षण लूका से मिलते हैं।
- वैज्ञानिकों ने 6.10 करोड़ प्रोटीन एनकोडेड जीन का अवलोकन किया तथा उनमें से फायलो जेनिटिक मापदंडों के आधार ऐसे 355 जीन्स को चिन्हित किया जिनका संबंध अंतिम पूर्वज से है।
- लूका 4 अरब वर्ष से कम पुराना नहीं है तथा एक कोशिकीय जीव है।
- यह अध्ययन सुझाता है कि लूका भू-रासायनिक सक्रिय वातावरण में रहता है, अर्थात इसे अपनी उत्तरजीविता के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, यह हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और लौह तत्व से भी अपनी जैविक आवश्यकताएं पूरी कर सकता है।
- लूका ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में जहां टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, समुद्री बेसिन व हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहते होंगे।
- अध्ययन यह भी सुझाव देता है कि ये स्वपोषी हैं या स्व-पोषक मूल के जीव हैं।
- यह अध्ययन चार्ल्स डार्विन की क्रमिक-विकास-संबंधी प्रक्रिया के माध्यम से सार्वभौमिक साझा वंश-क्रम सिद्धांत (universal common descent) की पुष्टि भी करता है।

 ©Vision IAS

स्वपोषी एक जीव है, जो सामान्यतः सूर्य के प्रकाश और अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं से ऊर्जा का प्रयोग करके अपने आस-पास उपस्थित साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है।

5.2. इन्सपायर पुरस्कार

(Inspire Awards)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इन्सपायर पुरस्कार का नाम बदल कर 'मानक' (MANAK - Million Minds National Aspirations and Knowledge) कर दिया गया है। इन्सपायर पुरस्कार वस्तुतः वृहत इन्सपायर योजना का एक हिस्सा है।

इन्सपायर पुरस्कार क्या हैं ?

- इन्सपायर पुरस्कार 'विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग' का एक कार्यक्रम है। नवोन्मेष के माध्यम से विज्ञान और शोध के प्रति बच्चों की रूचि को विकसित करने के लिए इसे वर्ष 2010 में प्रारम्भ किया गया था।
- प्रति वर्ष 10-15 वर्ष के आयु समूह के 2 लाख विद्यार्थियों को इन्सपायर पुरस्कार हेतु चिन्हित किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता विद्यार्थी को 5000 रुपये प्रदान किये जाते है।
- इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक कुल 13.85 लाख विद्यार्थियों को यह राशि जारी की जा चुकी है।
- वर्ष 2016 में इन बच्चों के 60 सर्वश्रेष्ठ विचारों (best ideas) पर उनके संभावित वाणिज्यिक विकास के लिए तथा बच्चों को इनके विचारों के बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए विभिन्न पेशेवर इंजीनियरों और डिजाइनरों द्वारा कार्य किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे विचारों को प्रोत्साहित करना है, जो कि विज्ञान और नवाचार का उपयोग कर समस्याओं का समाधान करते हों। ऐसा सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम के लिए 'राष्ट्रीय नवोन्मेष कोष (NIF)' का इस्तेमाल किया जाएगा। नवोन्मेष कोष यह सुनिश्चित करेगा कि पुराने और परिमार्जित विचारों की छंटनी कर नए विचारों को प्रोत्साहन दिया जाए।

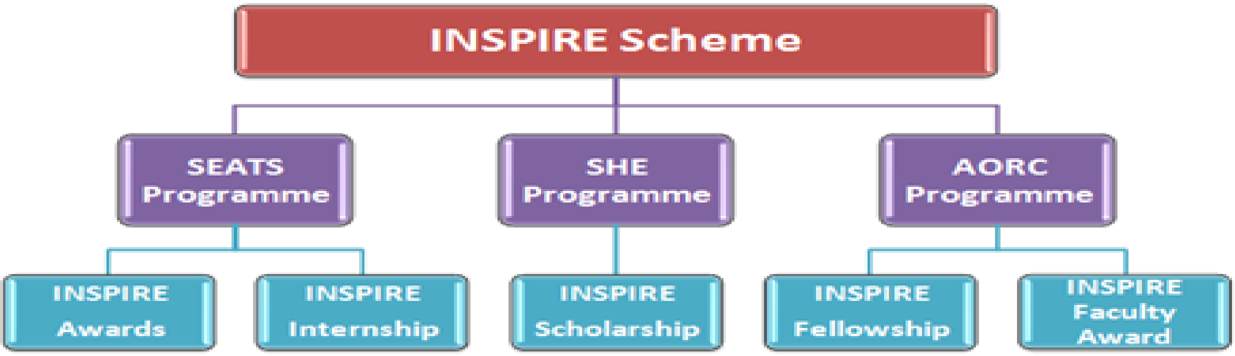

इन्सपायर पुरुस्कार के बारे और अधिक विवरण

इस कार्यक्रम का लक्ष्य कम उम्र में विज्ञान के रोमांच और अध्ययन की दिशा में प्रतिभाओं को आकर्षित करना है और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रणाली व अनुसंधान एवं विकास के आधार के विस्तार के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संसाधनों का सृजन करना है। इस कार्यक्रम के तीन घटक हैं:-

- कम उम्र में प्रतिभाओं को आकर्षित के लिए योजना,
- उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृति, और
- अनुसंधान के क्षेत्र में कैरियर हेतु सुनिश्चित अवसर।

5.3. अक्विला

(Aquila)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- फेसबुक ने अपने सौर ऊर्जा संचालित इंटरनेट ड्रोन अक्विला की प्रथम परीक्षण उड़ान सफलपूर्वक पूर्ण कर ली है।
- इसके अलावा, कंपनी को अक्विला के एक बेड़े को विकसित करने की उम्मीद है जो 60000 फीट की ऊंचाई पर कम से कम 3 महीने तक उड़ान भर सके और इंटरनेट तक पहुँच प्रदान कर एक दूसरे के साथ संचार स्थापित कर सके।

भारत में 'फ्री बेसिक्स' पर प्रतिबंध

- वर्ष 2015 में फेसबुक ने भारत में अपने कार्यक्रम 'फ्री बेसिक्स' का शुभारंभ करने के लिए रिलायन्स कम्युनिकेशन्स के साथ समझौता किया था।
- हालांकि 'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण' (ट्राई) ने वर्ष 2016 के प्रारंभ में 'नेट न्यूट्रलिटी' के पक्ष में और कंटेंट सेवाओं के लिए विभेदनकारी डेटा मूल्य निर्धारण के खिलाफ इस पर प्रतिबंध लगा दिया।

अक्विला के बारे में?

- अक्विला परियोजना फेसबुक के कनेक्टिविटी लैब का एक हिस्सा है। यह विभाग (कनेक्टिविटी लैब) नई तकनीकों जैसे वायुयानों, कृत्रिम उपग्रहों और बेतार संचार प्रणालीयों के निर्माण कार्य में संलग्न है।
- फेसबुक उन क्षेत्रों में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश में लगा हुआ है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी घटिया स्थिति में है या न के बराबर है।
- सभी तक इन्टरनेट की पहुँच को सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य के लिए कंपनी ने एक और पहल की है, जिसके अंतर्गत गरीब क्षेत्रों में इंटरनेट का संकुचित संस्करण उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसे फ्री बेसिक्स या internet.org का नाम दिया गया है।
- इसी प्रकार से गूगल की पैतृक कंपनी 'Alphabet Inc.' ने भी इंटरनेट की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में लून परियोजना द्वारा इन्टरनेट उपलब्ध करने के लिए निवेश किया है। इस परियोजना के अंतर्गत उच्च तुंगता वाले गुब्बारों का उपयोग कर हवाई वायरलेस नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है।

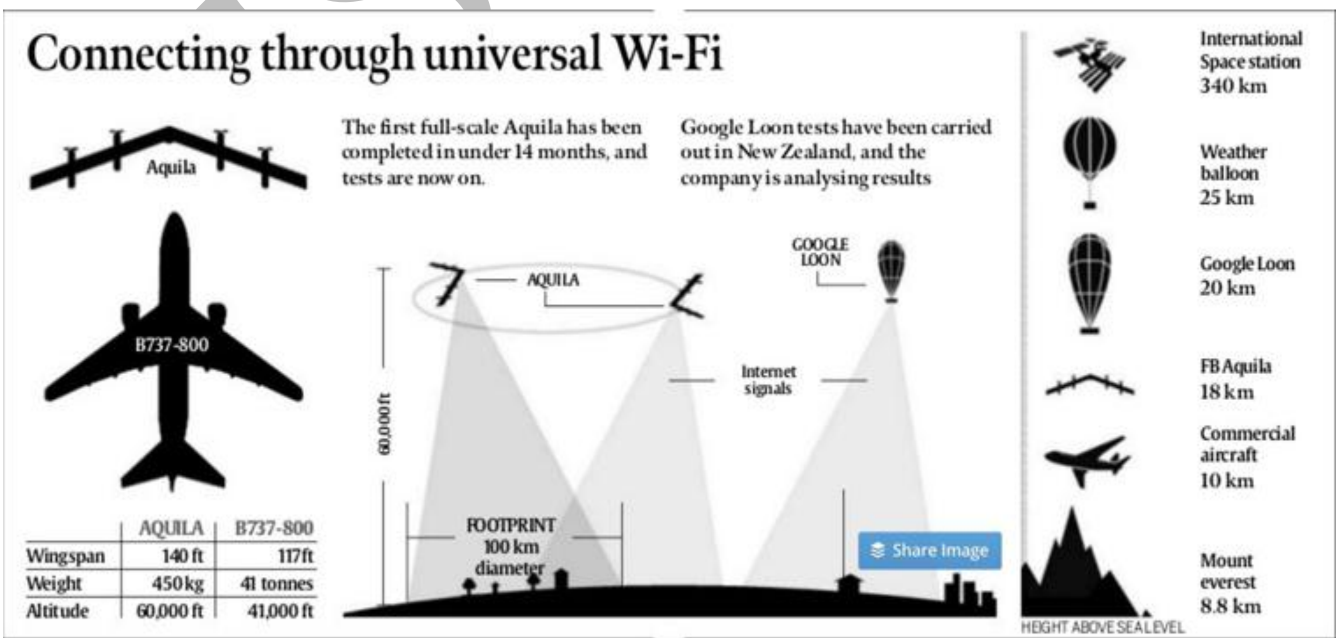

VISION IAS

5.4. न्यू होराइजन मिशन

(New Horizon's Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्लूटो की पहली ऐतिहासिक यात्रा के बाद, नासा का न्यू होराइजन मिशन अब क्विपर बेल्ट में आगे अवस्थित एक अन्य लक्ष्य की ओर रवाना होगा जो 2014 MU69 के रूप में जाना जाता है|
- 2014 MU69 सौर मंडल के प्रारंभिक निर्माण ब्लॉकों (early building blocks) में से एक माना जाता है

क्विपर बेल्ट क्या है?

- क्विपर बेल्ट नेपच्यून ग्रह की कक्षा से परे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले बर्फीले छोटे निकायों से निर्मित एक वलय है।
- इसमें उन बाह्य ग्रहो के निर्माण के हजारों-लाखों पिंड अवशेष के रूप में पाए जाते है जिनकी कक्षाएं सौर मंडल के समीप अवस्थित है|
- क्विपर बेल्ट अधिकांश पर्यवेक्षित लघु-अवधि के धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है, विशेष रूप से उन का जो 20 वर्ष से कम समय में सूर्य की परिक्रमा करते हैं|

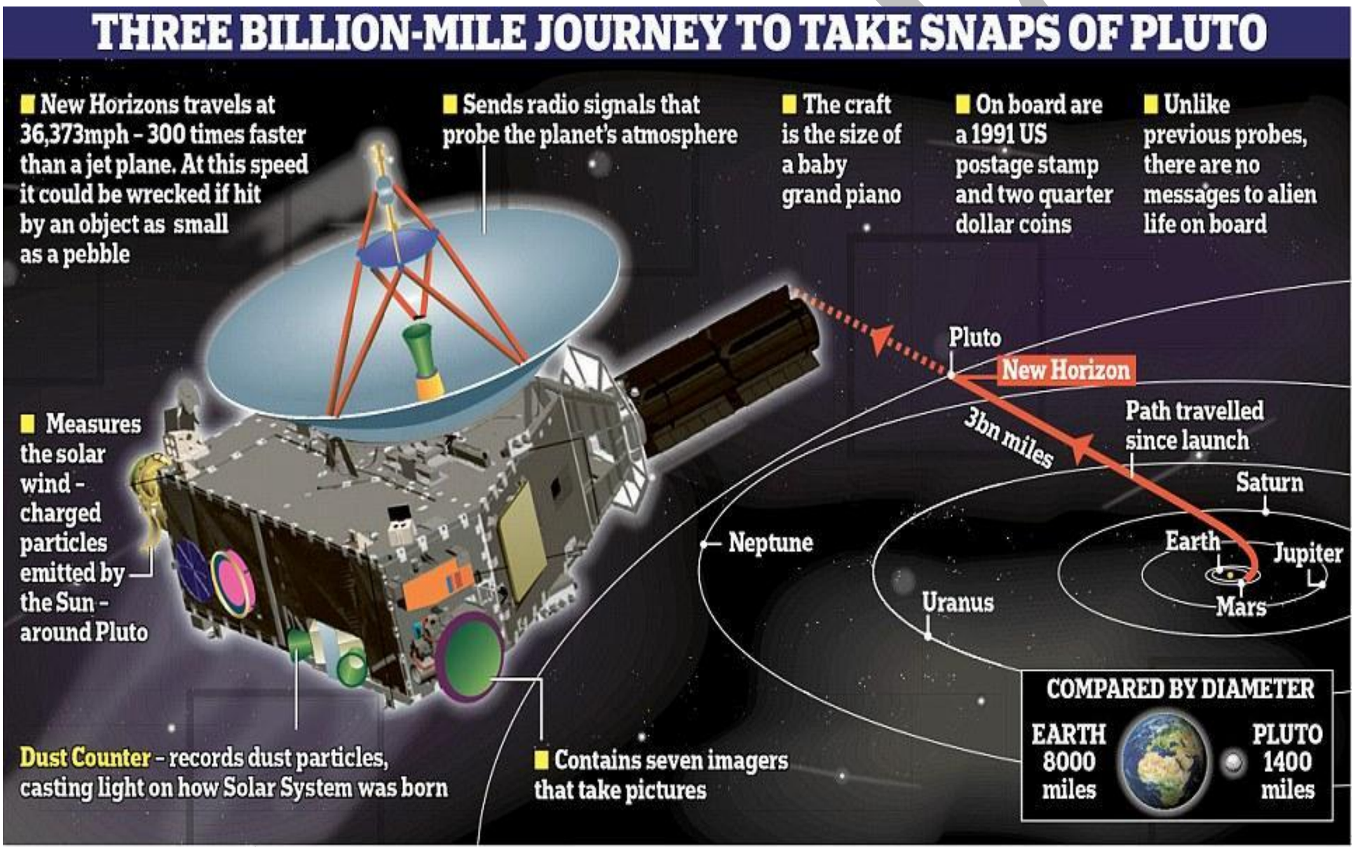

5.5. नासा के जूनो ने बृहस्पति ग्रह (जूपीटर) की परिक्रमा प्रारंभ की

(NASA'S JUNO BEGINS ORBIT OF JUPITER)

सुर्खियों में क्यों?

नासा के अंतरिक्ष यान जूनो ने बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और उसकी परिक्रमा प्रारंभ कर दी है।

मुख्य विशेषताएं

- अंतरिक्ष यान का नाम ग्रीक-रोमन पौराणिक कथाओं से लिया गया है।

- **लक्ष्य**
    - **<u>बृहस्पति की उत्पत्ति और विकास को</u>** समझने के लिए।
    - ग्रह के ठोस कोर के अस्तित्व की जाँच करना।
    - बृहस्पति के तीव्र चुंबकीय क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना,
    - डीप ऐट्मस्फियर में जल और अमोनिया की मात्रा को मापना और
    - ग्रह के ध्रुवीय ज्योति (aurora) का निरीक्षण करना|
- यह ग्रह के बादलों के शीर्ष से 5,000 किलोमीटर ऊपर से बृहस्पति के ध्रुव से ध्रुव तक की परिक्रमा करेगा।
- मिशन के अवधि : जूनो जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक 20 महीने तक कार्य करेगा ।
- गैलीलियो प्रोब ने 1995-2003 के बीच परिक्रमा की थी, उसके बाद यह बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान है।
- गैलीलियो प्रोब को अपने मिशन में बृहस्पति के चंद्रमाओं यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो पर उपसतही खारे पानी के सबूत मिले थे।

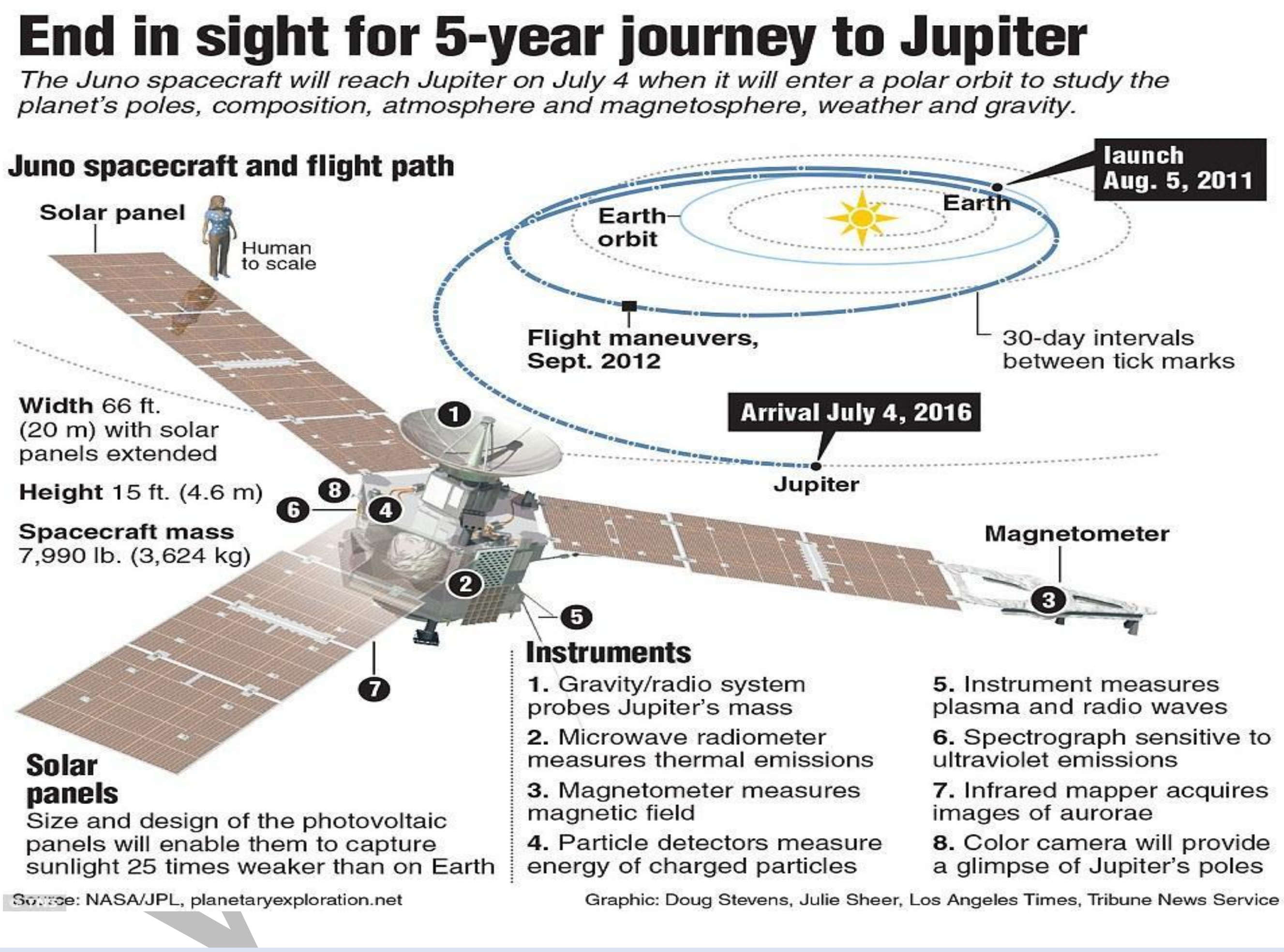

5.6. बौना ग्रह सीरीस

(The Dwarf Planet Ceres)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नासा के 'डॉन' मिशन से प्राप्त चित्र सीरीस के स्थायी छाया क्षेत्रों को दिखाते हैं।
- स्थायी छाया क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से सूर्यताप प्राप्त नहीं करते है और बेहद ठंडे क्षेत्र के रूप में पहचाने जाते हैं। वे इतने ठंडे हैं कि अरबों वर्षों तक जल बर्फ को संगृहीत करने में सक्षम हैं।
- चित्रों से संकेत मिलता है कि जल आज भी इन छाया खड्डो (shadowed crater) में मौजूद हो सकता है।

डॉन मिशन का महत्व

- डॉन मिशन का लक्ष्य विशाल प्रोप्लेनेट वेस्टा और बौने ग्रह सीरीस के आरंभिक इतिहास की स्थितियों और प्रक्रियाओं को चिह्नित करना है।
- मार्च, 2015 में डॉन अंतरिक्ष यान दो सौर इकाइयों की परिक्रमा वाला पहला खोजकर्ता (probe)बन गया है।
- इसने 2011-2012 में विशाल प्रोप्लेनेट वेस्टा का पता लगाया। अब यह सीरीस का अध्ययन कर रहा है।

सीरीस के बारे में अधिक जानकारी

- सीरीस एक बौना ग्रह है, केवल यही सौर मंडल की आंतरिक वलय में स्थित है, शेष सभी बाहरी किनारों पर स्थित हैं।
- यह क्षुद्रग्रह बेल्ट (**asteroid belt**) में स्थित सबसे बड़ा पिंड है।

5.7. भारत को याज मुक्त देश का दर्जा प्राप्त

(Yaws Free Status for India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारत ने डब्ल्यूएचओ और यूनीसेफ से याज (YAWS) मुक्त होने का सरकारी प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया है।
- भारत आधिकारिक तौर पर याज-मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है।
- भारत ने डब्ल्यूएचओ के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2020 से पहले ही याज-मुक्त देश का दर्जा प्राप्त कर लिया है जो एक बड़ी उपलब्धि है।

याज क्या है?

- याज मुख्य रूप से त्वचा, हड्डी और उपास्थि को प्रभावित करने वाला एक चिरकालिक संक्रमण (chronic infection) है।
- यह रोग गर्म, नम एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले मुख्य रूप से गरीब समुदायों में होता है
- यह मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है।
- यह जीवाणु - **Treponema pallidumm** के कारण होता है और त्वचा से संपर्क के माध्यम से प्रेषित होता है।
- याज भीड़-भाड़ वाले समुदायों में होता है, जहाँ स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ पानी और स्वच्छता रूपी बुनियादी सुविधाओं तक सीमित पहुँच होती है।

महत्व

- यह शिक्षा और सुभेद्य आबादी के प्रारंभिक उपचार की वजह से संभव हुआ है।
- इस सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान से प्राप्त सबक का अन्य कार्यक्रमों के मार्गदर्शन में प्रयोग करना चाहिए।
- यह वंचित समुदायों के स्वास्थ्य में सुधार करेगा और उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर को बढाएगा और भारत के व्यापक विकास में योगदान देगा।

5.8. सोलर पावर ट्री

(Solar Power Tree)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने हाल ही में 'सोलर पावर ट्री' का शुभारंभ किया।
- इसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की घटक प्रयोगशाला सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CMERI) द्वारा विकसित किया गया है।

सोलर पावर ट्री क्या है ?

- यह किसी सीमित स्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन करने का एक नवोन्मेषी तरीका है।
- इसकी संरचना एक वृक्ष की भांति होती है, तथा इसकी शाखाएं इस्पात से निर्मित होती हैं, जिन पर फोटोवोल्टिक पैनल लगे होते हैं।

VISION IAS

सोलर पावर ट्री के लाभ

- एक 5 किलोवाट सोलर पावर ट्री के लिए 4 वर्ग फुट से कम भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि इतनी ही मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु पारंपरिक सौर ऊर्जा के फोटोवोल्टिक पैनल के लिए लगभग 400 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है।
- सोलर पावर ट्री के पैनल पारंपरिक सौर ऊर्जा पैनलों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर होते हैं, अतः इनको लगभग 1 घंटे अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश मिलता है, साथ ही इनको प्रकाश की दिशा में घुमाया भी जा सकता है ताकि प्रकाश का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार सोलर पावर ट्री 10 से 15 प्रतिशत अधिक शक्ति का दोहन कर पाता है।
- सोलर पावर ट्री के ऊपरी हिस्से में स्वतः सफाई के लिए 'वाटर स्प्रिंकलर' लगे होते हैं।

5.9. चार्ज सिंड्रोम

(Charge Syndrome)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दिल्ली स्थित CSIR से संबद्ध 'इन्स्टिट्यूट ऑफ़ जीनोमिक्स एंड इंटिग्रेटिव बायोलॉजी ' के वैज्ञानिक 'चार्ज सिंड्रोम' (CHARGE syndrome) के साथ पैदा हुए बच्चों के लिए उम्मीद की किरण लाने के नजदीक हैं।
- हाल ही में इस अध्ययन का निष्कर्ष 'ह्यूमन मॉलिक्यूलर जेनिटिक्स' जर्नल में प्रकाशित हुआ।

चार्ज सिंड्रोम क्या है?

- यह एक दुर्लभ विकार है जो जीवन के लिए खतरनाक समस्याओं, जैसे कि अंधापन और बहरापन, हृदय विकार, यौन समस्याओं, शरीर के विकास में बाधा तथा मुंह की अस्थियों व तंत्रिका से सम्बंधित रोग जिससे श्वसन व निगलने में बाधा आती है आदि, को कई गुना बढ़ा देता है।
- लगभग 60-70 प्रतिशत मामलों में CHD7 जीन में उत्परिवर्तन सभी 'चार्ज डिफेक्ट्स' के लिए जिम्मेदार है। 2-4 कोशिकाओं से प्रारंभ होकर जीन की अधिकतम अभिव्यक्ति भ्रूण विकास के प्रारंभिक चरणों में होती है।
- 'चार्ज सिंड्रोम' के साथ जन्मे शिशुओं की उनके जीवन के प्रथम वर्ष में ही मृत्यु दर बहुत अधिक है।
- 'चार्ज सिंड्रोम' के साथ जन्म लेने की वैश्विक दर प्रति 20000 में 1 है, वहीं भारत में लगभग 50000 बच्चों में 1 शिशु चार्ज सिंड्रोम के साथ पैदा होता है।

अध्ययन के बारे में

- 'इन्स्टिट्यूट ऑफ़ जीनोमिक्स एंड इंटिग्रेटिव बायोलॉजी ' के वैज्ञानिकों ने 'चार्ज सिंड्रोम' को बेहतर तरीके से समझने के लिए जेब्राफिश के निषेचित अण्डे का अध्ययन किया।
- निषेचन के बाद, जेब्राफिश का भ्रूण पारदर्शी होता है। अतः यह वैज्ञानिकों को वास्तविक समय में भ्रूण के अंदर तथा अंगों के विकास के अवलोकन की सुविधा देता है।
- चूँकि समस्त अंगों का निर्माण भ्रूण बनने के 24 से 36 घंटे के अंदर प्रारंभ हो जाता है तथा 5 दिनों में यह पूर्ण निर्मित हो जाता है, अतः यह शोधकर्ताओं के लिए एक जीव के अंडे से लेकर उसके परिपक्वता तक के विकास का अध्ययन करने की अनुमति देता है।
- एक-कोशिकीय भ्रूण के भीतर RNA डालने से यह CHD7 प्रोटीन के निर्माण के साथ हस्तक्षेप करता है, इस प्रकार 'चार्ज सिंड्रोम' से पीड़ित मानव शिशुओं के समान जेब्राफिश के भ्रूण के निर्माण में भी इसी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- अनुसंधानकर्ताओं ने यह भी पाया कि CHD7 प्रोटीन दूसरे जीन sox10 में संशोधन कर चार्ज सिंड्रोम का कारण बनता है।
- हालाँकि 'चार्ज सिंड्रोम' बहुल-विकारों के साथ अत्यधिक जटिल है, फिर भी 'चार्ज सिंड्रोम' से पीड़ित व्यक्ति में sox10 प्रोटीन की मात्रा को कम करके उसकी पीड़ा को कम करने में सहायता मिल सकती है और इससे उनके जीवित बचने की संभावना में सुधार कर सकते हैं।

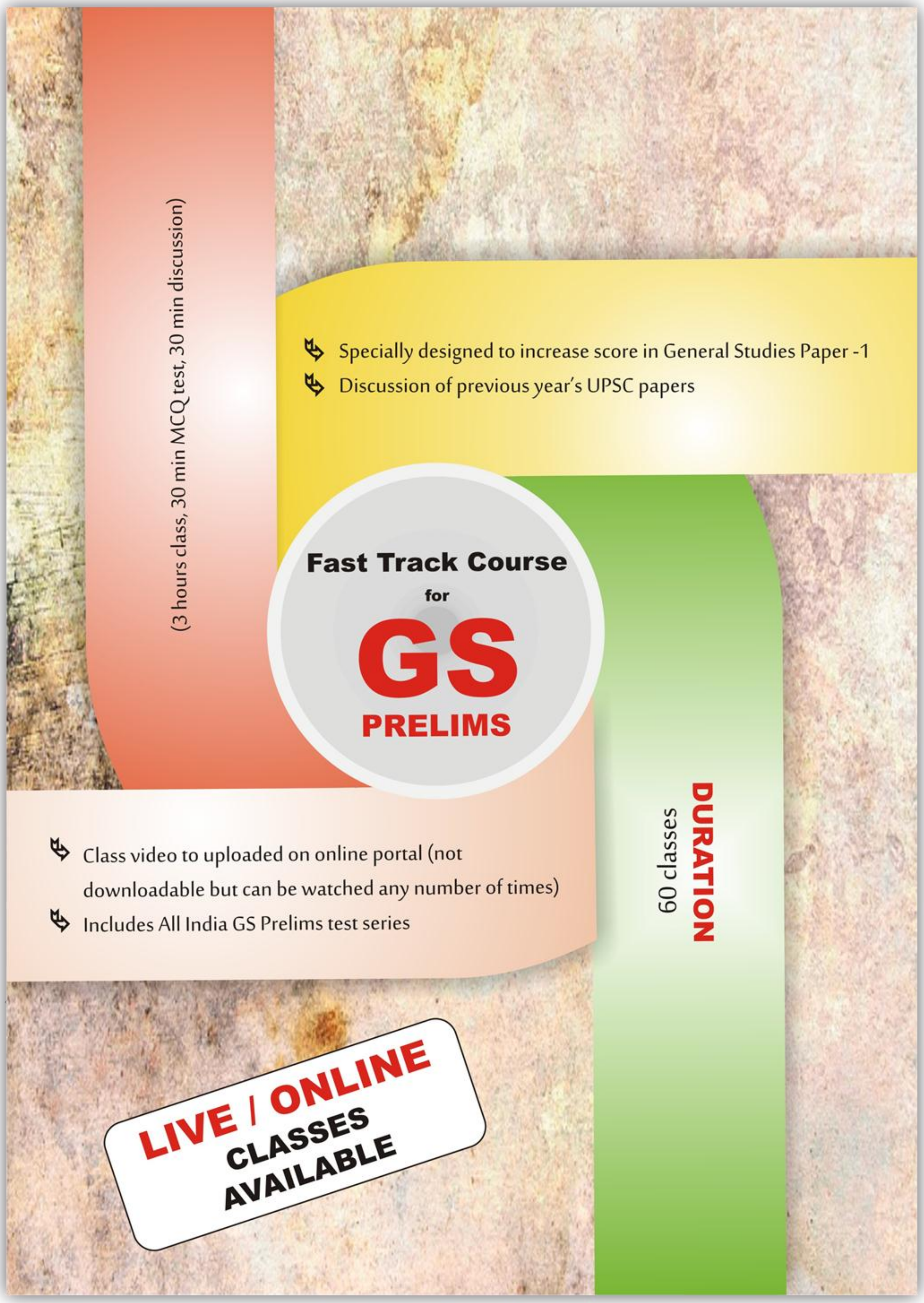
(3 hours class, 30 min MCQ test, 30 min discussion)
Specially designed to increase score in General Studies Paper -1
Discussion of previous year's UPSC papers
Fast Track Course
for
GS
PRELIMS
Class video to uploaded on online portal (not downloadable but can be watched any number of times)
Includes All India GS Prelims test series
DURATION
60 classes
LIVE / ONLINE
CLASSES
AVAILABLE

6. सुरक्षा

(SECURITY)

6.1. रेड कॉरिडोर (लाल गलियारा)

(Red Corridor)

रेड कॉरिडोर वस्तुतः भारत के पूर्वी भाग का एक क्षेत्र है जो नक्सलवाद-माओवाद उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित है।

- 10 राज्यों - बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ - के 106 जिले वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism- LWE) से प्रभावित हैं और ये जिले ही एकसाथ **'रेड कॉरिडोर'** के रूप में जाने जाते हैं।

रेड कॉरिडोर का पुनःनिर्धारण

केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या को लगभग इसके पांचवें भाग तक कम करने का निर्णय लिया है। इन LWE जिलों की संख्या में कमी करने के पीछे केंद्र सरकार के निहित तर्क निम्नलिखित हैं:

- उन जिलों में हिंसा की रूपरेखा
- उनके समर्थकों और "जमीनी कार्यकर्ताओं" द्वारा सशस्त्र माओवादी कैडरों को प्रदान किए जाने वाले सामग्रियों और अन्य तरह की सहायता का मूल्यांकन, और
- विकास कार्य के माध्यम से लाए गए सकारात्मक परिवर्तन, जो इन जिलों में देखे गए हैं।

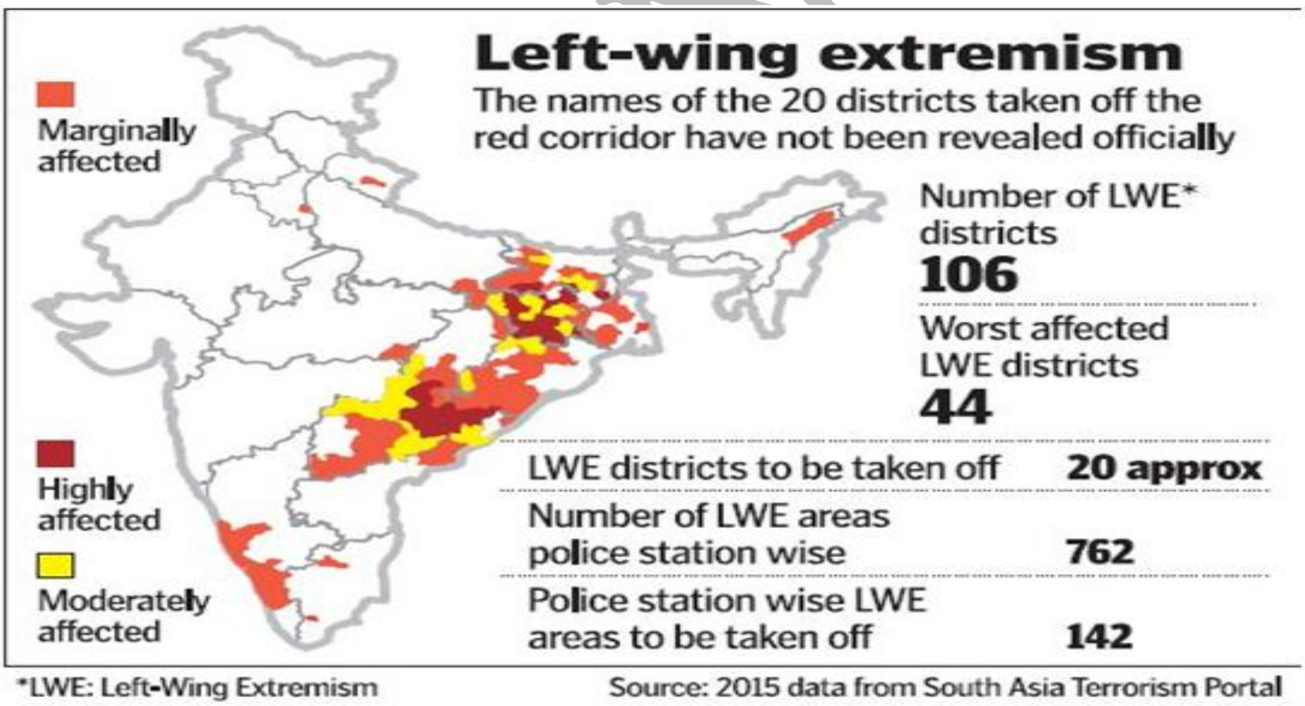

LWE जिलों के लिए वित्तीय और सुरक्षा सहायता

- LWE जिलों को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय और सुरक्षा से संबंधित सहायता उपलब्ध करायी जाती है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक जिले के लिए कम से कम 30 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत उपलब्ध करायी जाती है।
- अन्य योजनाएँ जैसे कि विशेष बुनियादी ढांचा योजना, एकीकृत कार्य योजना और नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम राज्य कोष में वृद्धि करते हैं।

इस प्रयोग का प्रभाव

- राज्य सरकारों को डर है कि एक बार यदि इन LWE जिलों को सूची से हटा दिया जाता है, उन्हें मिलने वाला वित्तीय सहयोग बंद हो जाएगा।

6.2. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय

(COMPREHENSIVE CONVENTION ON INTERNATIONAL TERRORISM)

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) 1996 में भारत द्वारा प्रस्तावित एक मसौदा है जिसे अभी तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत नहीं किया जा सका है।

मूल मसौदा जिसे 1996 में पेश किया गया और अप्रैल 2013 तक इस पर चर्चा की गई, में शामिल प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा होनी चाहिए, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी 193 सदस्य अपने स्वयं के आपराधिक कानून में अंगीकृत करेगें। अच्छे आतंकवादी या बुरे आतंकवादी की कोई संकल्पना नहीं होगी।
- सभी आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना और उनके घोषित उद्देश्यों की परवाह किए बिना आतंकी शिविरों को बंद करना,
- विशेष कानूनों के तहत सभी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाना, और
- पूरे विश्व में सीमा पारीय आतंकवाद को एक प्रत्यर्पणीय अपराध बनाना।

CCIT का विरोध

- **अमेरिका और उसके सहयोगी:**
  - ✓ आतंकवाद की परिभाषा को लेकर चिंता।
  - ✓ अमेरिका, विशेष रूप से अफगानिस्तान और इराक में हस्तक्षेप के संबंध में स्वयं के सैन्य बलों के लिए CCIT के अनुप्रयोग के बारे में चिंतित है।
- **लैटिन अमेरिकी देश:**
  - ✓ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानव अधिकार पर चिंता की अनदेखी की जा रही है।
- **OIC देश:**
  - ✓ OIC देश यह मानते हैं कि अभिसमय का इस्तेमाल पाकिस्तान को लक्षित करने के लिए किया जाएगा और फिलिस्तीन, कश्मीर एवं दुनिया में अन्य कहीं भी आत्मनिर्णय समूहों के अधिकारों को इसके माध्यम से सीमित किया जाएगा।

विभिन्न देशों की चिंताओं को समायोजित करने के लिए मसौदे में परिवर्तन

- भारत ने मसौदे में परिवर्तन किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि "सशस्त्र संघर्ष के दौरान सशस्त्र बलों की गतिविधियां" वर्तमान अभिसमय द्वारा शासित नहीं होगी।
- भारत अधिकारों की बात करने के उद्देश्य से "आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार करने" के लिए "peoples" शब्द जोड़ने के लिए सहमत हो गया है।

6.3. गैरन्यायिक हत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

(Supreme Court Judgment on Extrajudicial Killings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया है कि विभिन्न सशस्त्र बल **"अशांत क्षेत्र"** में भी अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान हुई ज्यादतियों के लिए जांच से बच नहीं सकते हैं।

VISION IAS

निर्णय

- उक्त निर्णय उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर के सैकड़ों परिवारों के एक याचिका के संदर्भ में आया है जिसमें सेना और पुलिस द्वारा **1,528 मामलों में कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच, विशेष जाँच दल** द्वारा कराने की मांग की गयी है।
- अदालत ने ऐसे 62 विशिष्ट मामलों में सारणीबद्ध जानकारी मांगी है जहां इस बात के कुछ सबूत हैं कि ऐसे मामलों में हुई मृत्यु वस्तुतः वास्तविक ऑपरेशनल जनहानि न होकर **गैरन्यायिक हत्याएं या फर्जी मुठभेड़** थे।
- अदालत ने स्वीकार किया है कि सशस्त्र बलों को अतिरिक्त शक्तियां **आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए** दी गयी है। हालांकि, इसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह गैरन्यायिक हत्याओं के लिए बहाना नहीं हो सकता।
- अशांत क्षेत्र में **"मुठभेड़" के चलते हुई हत्याओं** के लिए एक विस्तृत जांच आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि **"कथित दुश्मन हमारे देश के ही नागरिक हैं और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) सहित सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।"**

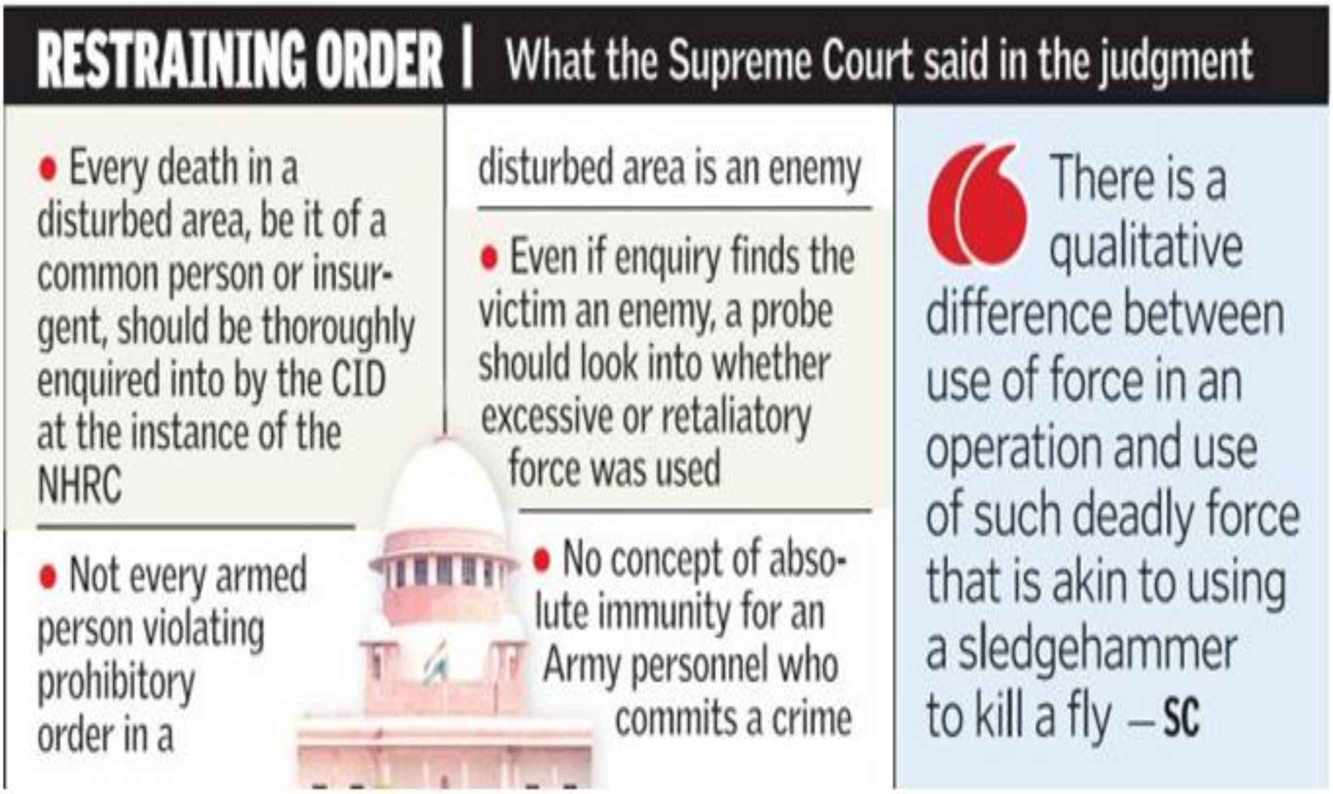

निर्णय का प्रभाव

- मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है।
- यह आवश्यक कदम दण्ड से मुक्ति को समाप्त करने के रूप में AFSPA को निरस्त करने की मांग को गति दे सकता है।

AFSPA के निरसन की मांग

- **न्यायमूर्ति वर्मा आयोग** ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सुरक्षा बलों के कुछ लोग, जो महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उन्हें भी सामान्य नागरिकों पर लागू होने वाले कानूनों के तहत सजा मिलनी चाहिए।
- 2005 में **जीवन रेड्डी समिति** ने कहा कि AFSPA को निरस्त कर दिया जाना चाहिए और जो उपबंध आवश्यक हैं उन्हें अन्य अधिनियमों में शामिल किया जाना चाहिए।
- **श्री आर एन रवि,** जो पूर्वोत्तर के लिए खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख थे, ने कहा है कि AFSPA क्षेत्र में शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा है।

(AFSPA के बारे में अधिक जानकारी के लिए जनवरी 2015 / मई 2015 महीने के विजन करंट अफेयर्स का सन्दर्भ लें)

6.4. रक्षा संचार नेटवर्क

(Defence Communication Network)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारत के पहले एकीकृत रक्षा संचार नेटवर्क का शुभारंभ किया गया, जो स्थितिजन्य जानकारी को साझा कर निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सेना, वायु सेना, नौसेना और विशेष बल कमान को सक्षम बनाएगा।

विशेषताएं

- यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख सहित अखिल भारतीय पहुंच के साथ एक रणनीतिक, अत्यधिक सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणाली है।
- इसमें उच्च गुणवत्ता वाली वॉइस, वीडियो और डाटा सेवाएँ होंगी और यह संचार के स्थलीय और उपग्रह विधा पर कार्य करने में सक्षम होगा और इसे विभिन्न सैन्य वाहनों पर पर भी स्थायी रूप से लगाया गया है।
- यह HCL द्वारा बनाया गया है जो भारतीय उद्योग की ताकत का एक प्रमाण है तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर सरकार के जोर की पुष्टि करता है।

VISION IAS

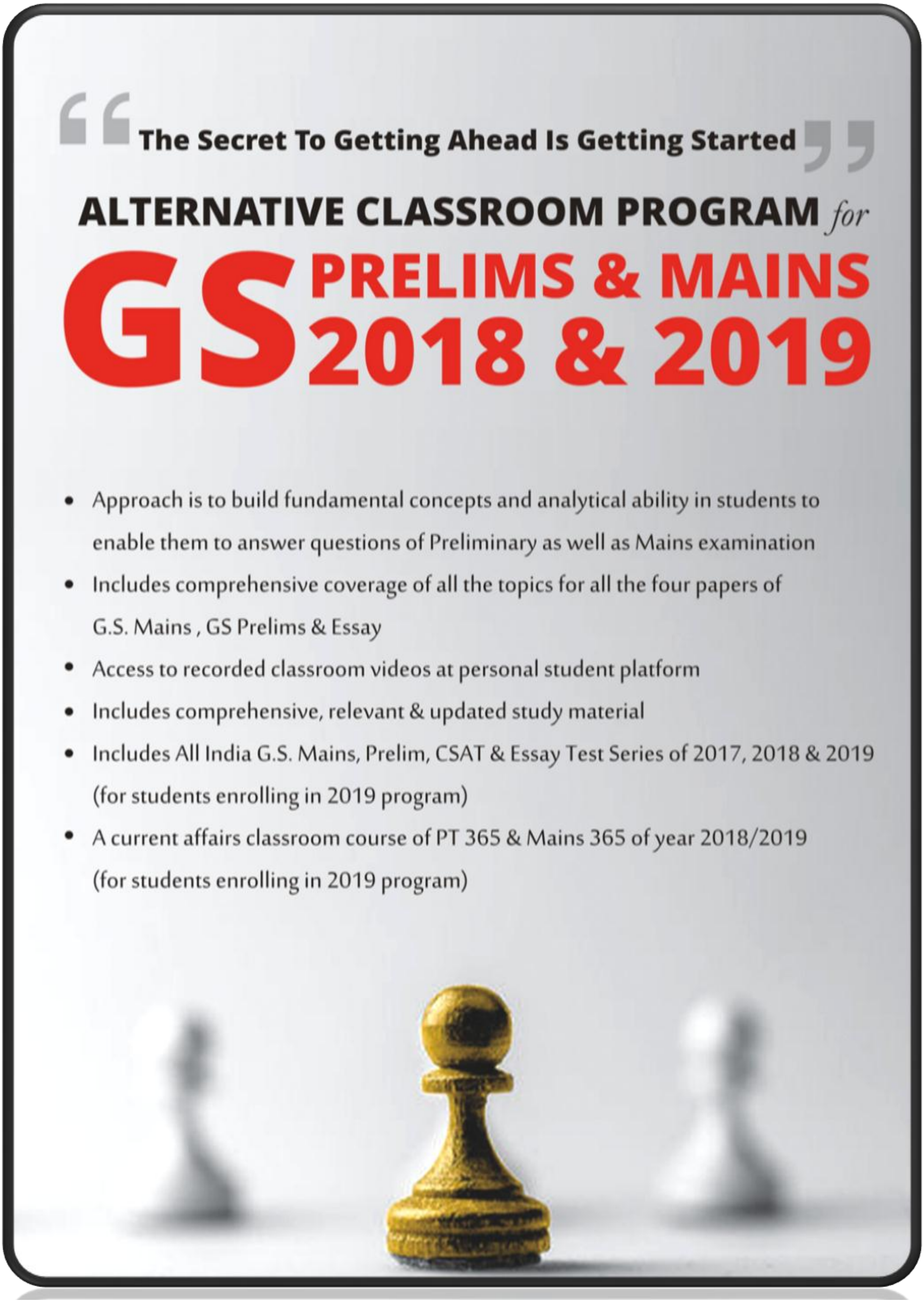
“The Secret To Getting Ahead Is Getting Started”
ALTERNATIVE CLASSROOM PROGRAM for
GS PRELIMS & MAINS 2018 & 2019
• Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
• Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of G.S. Mains , GS Prelims & Essay
• Access to recorded classroom videos at personal student platform
• Includes comprehensive, relevant & updated study material
• Includes All India G.S. Mains, Prelim, CSAT & Essay Test Series of 2017, 2018 & 2019 (for students enrolling in 2019 program)
• A current affairs classroom course of PT 365 & Mains 365 of year 2018/2019 (for students enrolling in 2019 program)

7. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

(ENVIRONMENT)

7.1. तेल क्षरणकारी बैक्टीरिया का फील्ड परीक्षण

(Oil Degrading Bacteria to Undergo Field Trials)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कोझीकोड अवस्थित द मालाबार बॉटनिकल गार्डन एंड इंस्टिट्यूट ऑफ़ प्लांट साइंसेज नामक संस्था ने बैक्टीरिया के तीन नए प्रकारों में तेल क्षरणकारी गुण स्थापित करने हेतु फील्ड परीक्षण के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के साथ हाथ मिलाया है।
- जीवाणु द्वारा उत्पादित प्रमुख हाइड्रोकार्बन क्षरणकारी एंजाइम को पृथक कर शुद्ध कर लिया गया है और इसके प्रयोगशाला परीक्षण सफल रहे हैं।
- यह सक्रिय एंजाइम (**catechol 2, 3-dioxygenase**) तेल क्षरणकारी बैक्टीरिया के तीन नयी नस्लों (Burkholderia की दो प्रजातियां और स्यूडोमोनास की एक प्रजाति) से उत्पादित है और शीघ्र ही कोच्चि में पायलट संयंत्र में इसका इस्तेमाल किया जाएगा।

जैव उपचार (Bioremediation) क्या है?

- इसका आशय सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने से है।

जैव उपचार के लाभ:

- कम खर्चीली
- परम्परागत तरीके जैसे यांत्रिक निवारण, भूमि में दबाना, वाष्पीकरण, फैलाव, और धावन महंगे हैं और अपूर्ण अपघटन का कारण बन सकते हैं, ये छोड़े गए अवशिष्ट दूषित पदार्थों मिट्टी और पानी को प्रदूषित करते हैं।
- ये ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं जहाँ खुदाई के बिना आसानी से पहुंचना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए: भूमिगत जल को प्रभावित करने वाले तेल रिसाव वाले क्षेत्र।
- ये पर्यावरण से पेट्रोलियम प्रदूषकों को साफ कर जैव-विविधता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना जलीय वन्य जीवन का संरक्षण करते हैं।

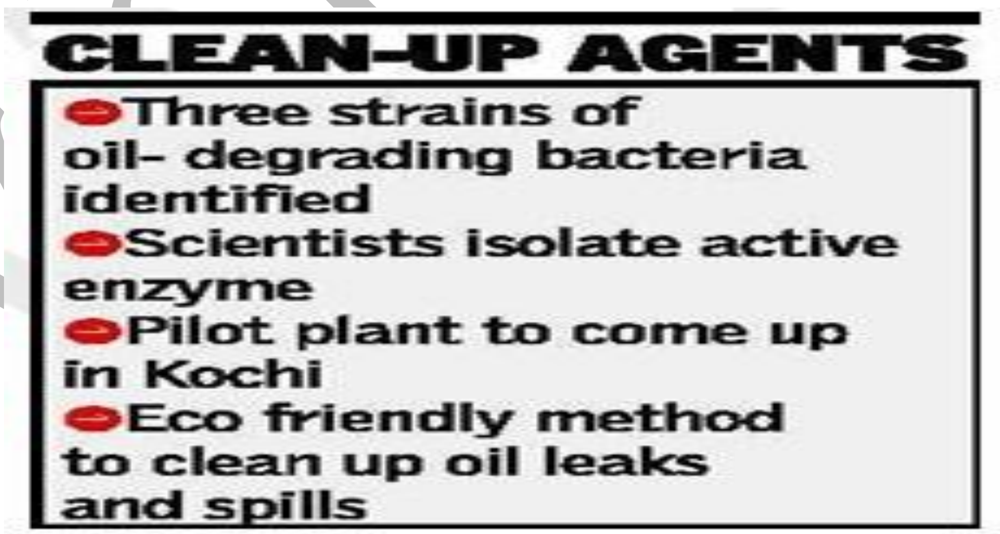
CLEAN-UP AGENTS

- Three strains of oil- degrading bacteria identified
- Scientists isolate active enzyme
- Pilot plant to come up in Kochi
- Eco friendly method to clean up oil leaks and spills

<u>जैव उपचार से संबंधित प्रौद्योगिकियाँ</u>

- **बायोवेंटिंग (Bioventing)**- सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर भूजल प्रणाली में उपस्थित जैविक घटकों के जैव अपघटन हेतु स्व-स्थाने उपचार की एक प्रौद्योगिकी।

VISION IAS

- **बायोलीचिंग (Bioleaching)**- अयस्कों से धातु निष्कर्षण के लिए हानिकारक रासायनिक पदार्थों जैसे साइनाइड आदि का उपयोग करने के स्थान पर जीवित जीवों का प्रयोग किया जाना।
- **लैंड फार्मिंग (Land farming)**- यह बहिः स्थाने अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसका प्रयोग ऊपरी मिट्टी के क्षेत्र में या बायोट्रीटमेंट कोशिकाओं में किया जाता है। दूषित मिट्टी, तलछट, या कीचड़ लैंड फार्मिंग स्थल तक ले जाया जाता है, उसे मिट्टी की सतह में शामिल किया जाता है और समय समय पर उसे पलटकर मिश्रण में वायु प्रसारित की जाती है।
- **खाद (Composting)**- एरोबिक बैक्टीरिया और कवक कार्बनिक पदार्थ को विघटित कर देते हैं जिसका उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- **बायो ऑग्मेंटेशन (Bio-augmentation)**- संदूषक की गिरावट की दर में तेजी लाने के लिए आवश्यक जीव या बैक्टीरियल कल्चर को शामिल किया जाना।
- **बायोस्टिमुलेशन (Bio-stimulation)**- जैव उपचार करने में सक्षम उपस्थित बैक्टीरिया को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण में संशोधन।

7.2. वायु प्रदूषण रिपोर्ट: IEA

(Air Pollution Report: IEA)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- "एनर्जी एंड एयर पोल्यूशन, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक स्पेशल रिपोर्ट" जून में जारी कर दी गई।

अवलोकन

- भारत की आबादी का 1% से भी कम हिस्सा उन क्षेत्रों में निवास करता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित हवा की गुणवत्ता संबंधी दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं। यदि कड़े वायु प्रदूषण विनियम लागू किया जाएं, तो इसे 2040 तक लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
- रिपोर्ट तीन बड़े प्रदूषकों के लिए स्रोतों की पहचान करती है :
    - NOx (नाइट्रेट)- परिवहन नाइट्रेट का प्रमुख स्रोत है।
    - SO2 (सल्फेट)- सल्फेट्स के लिए बिजली क्षेत्र (थर्मल पावर स्टेशन, बैक-अप जनरेटर) उत्तरदायी है।
    - PM2.5 (पार्टिकुलेट कण) - आवासीय क्षेत्र, खाना पकाने के लिए जल रहा बायोमास और हीटिंग।
- हालांकि विद्युत क्षेत्र के नए नियमों के अनुसार सल्फर डाई ऑक्साइड (SO2) को वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 10 प्रतिशत के दायरे तक सीमित किए जाने की संभावना है।
- नए यात्री वाहन मानकों (BS VI)के माध्यम से 2040 तक NOx के उत्सर्जन में वृद्धि को 10 फीसदी तक रोका जा सकता है।
- इसके अलावा गरीब परिवारों के लिए क्लीन कुकिंग सुविधाओं तक पहुँच को बढ़ावा देने के प्रयासों (सौर कुकर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) को जारी रखा जाएगा, जिससे कि PM2.5 की वृद्धि लगभग 7 प्रतिशत तक की मध्यम सीमा तक रहे।
- रिपोर्ट नए और मौजूदा संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों को मजबूत बनाने में पर्यावरण संरक्षण संशोधन नियम (EPA) 2015 की भूमिका को स्वीकार करती है।
- लेकिन फिर भी सभी मौजूदा नीतियों के साथ, उत्सर्जन में निरपेक्ष वृद्धि (विशेष रूप से PM2.5),जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के साथ युग्मित है, का अर्थ यह है कि आउटडोर वायु प्रदूषण के कारण समय से पूर्व हुई मौतों की संख्या अभी भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगी ।

चुनौतियां

- कमजोर मानदंड और उनका क्रियान्वयन।
- हालांकि नाइट्रेट और सल्फेट्स के लिए नियंत्रण प्रौद्योगिकियाँ स्थापित की गयी हैं, तथापि वे अक्सर या तो पर्याप्त अनुकूलित नहीं होती या अक्षम होती हैं।

VISION IAS

आगे की राह

- सर्वप्रथम WHO द्वारा निर्धारित बेंचमार्क के आधार पर एक दीर्घकालिक महत्वकांक्षी वायु गुणवत्ता लक्ष्य निर्धारित करना होगा।
- **ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक स्वच्छ वायु रणनीति:** प्रदूषकों के उत्सर्जन से बचना, प्रदूषण नियंत्रण लागत को कम करना और कम उत्सर्जन के लिए नवाचार को अपनाना।
- इसके अलावा, यह प्रभावी निगरानी, प्रवर्तन, मूल्यांकन और विश्वसनीय डेटा का उपयोग कर संचार की मांग करता है।
- वायु प्रदूषण से सफलतापूर्वक निपटने के लिए ऊर्जा क्षेत्र के हितधारकों को साथ मिलकर काम करना चाहिए।

7.3. गंगोत्री ग्लेशियर और गंगा नदी का प्रवाह

(Gangotri Glacier and Flow of River Ganga)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने कहा है कि गंगोत्री ग्लेशियर के पीछे हटने से गंगा नदी के प्रवाह पर गंभीर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि नदी अपने उद्गम स्थल में भी पानी के लिए पूरी तरह से ग्लेशियरों पर निर्भर नहीं है।

पृष्ठभूमि

- गंगोत्री ग्लेशियर पिछली 2 सदियों में लगभग 3 किमी तक पीछे खिसक गयी है। 1971 के बाद से इसके पीछे हटने की दर बढ़ कर प्रति वर्ष 22 मीटर हो गयी है, जो पिछले सदी तक प्रति वर्ष लगभग 12 मीटर हुआ करती थी।
- शीतकालीन वर्षा से ग्लेशियर खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में बर्फ प्राप्त करता है। पश्चिमी विक्षोभ के हिस्से के रूप में सर्दियों के हिमपात के 10-15 दौर ग्लेशियर की कमी पूरी कर देती हैं।
- यह देखा गया है कि इस क्षेत्र में वर्षा में वृद्धि के साथ हिमपात में कमी आई है और उच्च तापमान द्वारा ग्लेशियर तक ऊष्मा का स्थानांतरण बढ़ने से ग्लेशियर के पिघलने की दर तीव्र हो रही है।
- इसरो द्वारा उपग्रहों के उपयोग से हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों के मानचित्रण से पता चलता है कि हिमालय और पार हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र क्षेत्रों में लगभग 35000 ग्लेशियर उपस्थित हैं।
- 87% ग्लेशियरों में कोई परिवर्तन नहीं है, जबकि 12% पीछे हट रहे हैं और 1% आगे बढ़ रहे हैं।

गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में तथ्य:

- गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना एक गाय के मुंह के समान दिखाई देता है और इसे गोमुख कहा जाता है।
- रक्तवर्ण, चतुरंगी और कीर्ति गंगोत्री हिमनद की तीन सहायक हिमनदियाँ हैं।

7.4. केरल बर्ड एटलस प्रोजेक्ट

(Kerala Bird Atlas Project)

- केरल बर्ड एटलस वस्तुतः देश के सभी राज्यों में पक्षियों के वितरण और उनकी बहुलता के मापन के लिए एक महत्वाकांक्षी नागरिक विज्ञान परियोजना है।
- भारत में यह पहली बार है कि किसी राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में पक्षियों का मानचित्रण किया जा रहा है। इसी तरह का प्रयास कुछ साल पहले केवल मैसूर शहर में किया गया था।
- यह कार्यक्रम केरल के वयनाड जिले में स्थित एक संरक्षण संगठन ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्डलाइफ द्वारा बर्ड काउंट इंडिया और ई-बर्ड के सहयोग से समन्वित किया जा रहा है।
- केरल को छह महत्त्वपूर्ण पक्षी निगरानी योजनाओं को अपनाने का गौरव प्राप्त है जिनमें सामान्य पक्षियों, बगुलों के घोसले, जल पक्षियों, सागरीय पक्षियों और वन पक्षियों का अभिलेखन भी शामिल है।
- यह परियोजना वायनाड जिले में शुरू की गयी है।

VISION IAS

- इसकी परिकल्पना पांच साल की गतिविधि के रूप में की गई है। 25 साल या बाद की अवधि में इस प्रक्रिया को दोहरा कर हमारे लिए पक्षियों की बहुलता और वितरण में परिवर्तन का एक निश्चित समय की अवधि में वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण संभव हो जाएगा।
- यह प्रकृति संरक्षण पर गहरा प्रभाव डालेगा क्योंकि समेकित रूप से पक्षी बदलती पारिस्थितिक स्थिति के सही संकेतक होते हैं।

एटलस आउटपुट्स को कई देशों में नीति निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये प्रकृति के संरक्षण में इस्तेमाल किए जा रहे नागरिक विज्ञान के अच्छे उदाहरण हैं। वर्ष 2014 के आरएसपीबी मेडल से ब्रिटिश बर्ड एटलस 2007-11 के पीछे कार्यरत टीम को सम्मानित किया गया था और ब्रिटेन तथा आयरलैंड के पक्षियों के संरक्षण, उनके बारे में शोध करने या उन्हें समझने के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में इसकी भूमिका को स्वीकार किया गया था।

7.5. गंगा की सफाई

(Ganga Cleaning)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 231 परियोजनाओं का विभिन्न राज्यों (जिनसे होकर गंगा नदी बहती है) के कई स्थानों पर एक साथ उद्घाटन किया गया।

नदी को साफ करने के प्रयास

- नमामि गंगे:
  - ✓ यह निम्न प्रदूषण नियंत्रण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है, नामतः
    - खुले नालों के माध्यम से प्रवाहित अपशिष्ट जल का अवरोधन, मार्ग परिवर्तन और जैव उपचार
    - उचित स्व-स्थाने उपचार
    - अभिनव तकनीकों का उपयोग
    - सीवेज उपचार संयंत्र (STPs)
    - बहिःस्रावी उपचार संयंत्र (ETPs)
    - मौजूदा STPs के पुनर्सुधार और संवर्धन तथा सीवेज के अंतःप्रवाह आदि को रोकने के लिए नदी के निकास बिंदुओं पर निकलने वाले प्रदूषकों के अवरोधन हेतु तत्काल अल्पकालिक उपायों की वृद्धि।
  - ✓ गंगा के तट पर स्थित 1600 से अधिक पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य।
  - ✓ पहचानी गयी प्राथमिक प्रजातियों की बहाली के लिए गंगा के किनारे 8 जैव विविधता केन्द्रों को विकसित किया जाएगा।
  - ✓ यह न केवल मुख्य नदी पर अपितु सहायक नदियों पर भी केंद्रित है। इस परियोजना का सम्पूर्ण वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
  - ✓ इसरो के भुवन के साथ SMS आधारित प्रदूषण के स्तर की निगरानी के समन्वय जैसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग।
  - ✓ संरचना
    - कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्र स्तरीय समिति- जिसे NMCG (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन) से सहयोग प्राप्त होगा,
    - प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति- जिसे SPMG (स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप) से सहयोग प्राप्त होगा, और
    - जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति।
- **NRGBA:** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 20 फरवरी 2009 को गठित।

VISION IAS

✓ इसने गंगा को भारत की 'राष्ट्रीय नदी' के रूप में घोषित किया।

✓ इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं, जिनसे होकर गंगा बहती है।

7.6. अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत

(Ozone Layer over Antarctic)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- वायुमंडलीय वैज्ञानिकों को अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र के पुनर्भरण के संकेत दिखायी दिए हैं।
- वैज्ञानिक बिरादरी द्वारा यह जाँच कर पता लगाया गया कि यह पुनर्भरण 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने का एक प्रत्यक्ष परिणाम है।

ओजोन छिद्र के बारे में

- अंटार्कटिक ओजोन छिद्र अंटार्कटिक समताप मंडल में स्थित एक क्षेत्र है जहाँ हाल में ओजोन स्तर 1975 के पूर्व के स्तर की तुलना में 33 प्रतिशत तक गिर गया है।
- ओजोन छिद्र वस्तुतः सितंबर से दिसंबर के दौरान अर्थात अंटार्कटिक वसंत के दौरान दिखायी देता है क्योंकि इस दौरान मजबूत पश्चिमी हवाएँ महाद्वीप के चारों ओर चक्कर काटती हैं और एक वायुमंडलीय कंटेनर का निर्माण करती हैं। इस ध्रुवीय भंवर के भीतर, निचले समताप मंडलीय ओजोन की 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा अंटार्कटिक वसंत के दौरान नष्ट हो जाती है।
- ओजोन ह्रास का प्राथमिक कारण क्लोरीन युक्त स्रोत गैसों (मुख्य रूप से CFC और संबंधित हेलोकार्बन) की उपस्थिति है। पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, ये गैसें अपघटित होकर क्लोरीन परमाणु छोड़ती हैं जो ओजोन के विनाश को उत्प्रेरित करते हैं।
- क्लोरीन उत्प्रेरित ओजोन क्षरण गैस अवस्था में घटित हों सकती है, लेकिन ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति ने इसे नाटकीय रूप से बढ़ाया है। ये ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल सर्दियों के दौरान अत्यधिक ठंड में निर्मित होते हैं।
- समताप मंडलीय क्लोरीन, क्लोरीन नाइट्रेट और हाइड्रो क्लोरिक एसिड जैसे संग्रहक यौगिकों में संग्रहित होती है। तथापि अंटार्कटिक सर्दियों और वसंत के दौरान, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कणों की सतह पर प्रतिक्रियाओं से ये संग्रहक यौगिक प्रतिक्रियाशील मुक्त मूलकों (radicals-Cl और ClO) में परिवर्तित हो जाते हैं।
- अंटार्कटिक ओजोन ह्रास के वसंत ऋतु के दौरान होने के पीछे सूर्य के प्रकाश की भूमिका भी एक प्रमुख कारण है। सर्दियों के दौरान, भले ही समताप मंडलीय बादल अपनी अधिकतम मात्रा में होते हैं, परंतु ध्रुवों पर प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण रासायनिक प्रतिक्रियाएँ संभव नहीं हो पाती।
- अधिकांश ओजोन ह्रास समताप मंडल की ऊपरी परतों के बजाय इसकी निचली परतों में होता है।
- हाल के समय में एल नीनो और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने उपचार की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है।

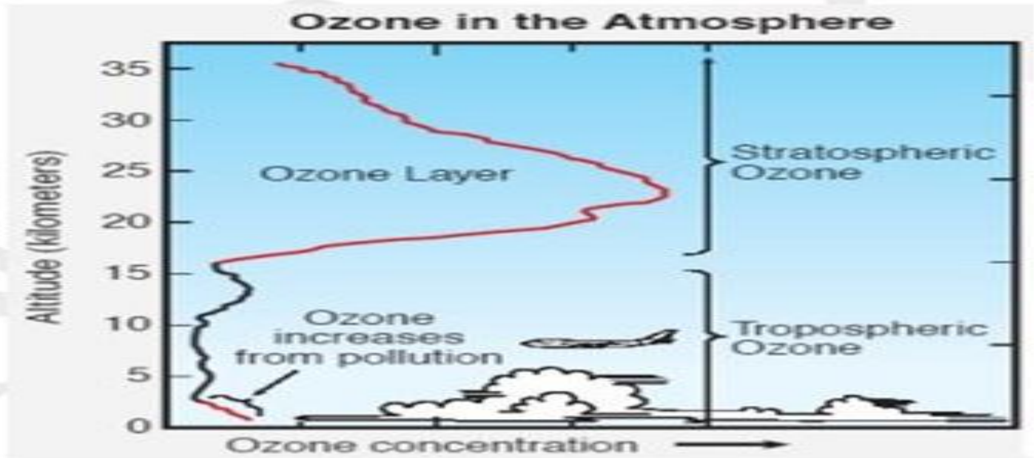

7.7. जंतु एवं पादप खोज रिपोर्ट 2015

(REPORT ON ANIMAL AND PLANT DISCOVERIES 2015)

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के अध्ययन की मदद से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है।

रिपोर्ट के उल्लेखनीय निष्कर्ष

- वर्ष 2015 में इस सूची में 445 नई प्रजातियों के जुड़ने से भारत की जैव विविधता में सुधार हुआ है।
- इन आंकड़ों में 262 जानवरों की प्रजातियां और 183 पौधों की प्रजातियां शामिल हैं।
- सूची में सरीसृपों (reptiles)की 4 प्रजातिया, उभयचरों की 6 प्रजातियां, मछलियों की 26 प्रजातियां आदि शामिल हैं।
- सर्वाधिक खोजें पूर्वी हिमालय क्षेत्र में हुई है, जिसकी कुल खोजों में 19% हिस्सेदारी है, इसके बाद क्रमशः पश्चिमी घाट (18%) और अंडमान और निकोबार द्वीप (15%) का स्थान है।

उल्लेखनीय अनुवृद्धि

- **जंतु**
  - रॉक छिपकली (Hemidactylus yajurvedi) कांकेर, छत्तीसगढ़ में पायी गयी|

  - नई मेंढक प्रजातियां (Fejervarya gomantaki) पश्चिमी घाट से प्राप्त हुई|
  - मछली की एक नई चमकदार प्रजाति (Barilius ardens) पश्चिमी घाट से प्राप्त हुई
- **पादप**
  - मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स में अदरक की एक नई प्रजाति जिंजिबर बिपिनियानम (Zingiber bipinianum) प्राप्त हुई
  - मशरूम (Bondarzewia zonata) की एक प्रजाति उत्तरी सिक्किम में 2829 मीटर की ऊंचाई से एकत्र की गई।

BSI और ZSI के बारे में

- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (**BSI**) एक संस्था है जिसे इस देश के पादप संसाधनों की पहचान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1890 में स्थापित किया गया।
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था (**ZSI**) को जंतुओ का सर्वेक्षण करने, पता लगाने और अनुसंधान करने के लिए 1916 में स्थापित किया गया।
- दोनों संस्थानों के मुख्यालय कई क्षेत्रीय केंद्रों के साथ कोलकाता में स्थित हैं।

VISION IAS

7.8. एनडीआरएफ द्वारा सामुदायिक जागरूकता

(Community Awareness by NDRF)

- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष पहल की।
- एनडीआरएफ के प्रशिक्षक और अनुदेशक 22 राज्यों में 482 गांवों, कस्बों और शहरों में पहुंचे और एक लाख से अधिक लोगों को आपदा प्रबंधन की बुनियादी समझ विकसित करने में और मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- यह अपनी तरह का पहला प्रयास आपदाओं के प्रति कमजोर वर्गों को संवेदनशील बनाने में मदद करने के साथ ही समुदाय की क्षमता निर्माण करेगा इसके परिणाम स्वरूप यह समुदाय को लचनशील (Resilient) तथा इसकी आपदाओं के खिलाफ बेहतर तैयारियों को सुनिश्चित करेगा।
- आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में समुदाय की क्षमता निर्माण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
- यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के साथ ही सेंडाइ फ्रेमवर्क के अनुकूल है।

7.9. हरित राष्ट्रीय राजमार्ग नीति

(Green Highways Policy)

यह क्या है?

- केंद्र सरकार ने पिछले साल हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) नीति 2015 प्रारंभ की।
- नीति का लक्ष्य पारिस्थितिक जरूरतों का ध्यान रखना, पर्यावरण एवं स्थानीय समुदायों की मदद करना और देश के सभी राजमार्गों के साथ पौधे लगा कर रोजगार पैदा करना है।

प्रमुख विशेषताऐं

- **वित्तपोषण**: राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल परियोजना लागत (टीपीसी) का 1% **हरित राजमार्ग फंड** में अलग रखा जाएगा जिसे वृक्षारोपण और इसके रखरखाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- **सख्त लेखा परीक्षा**: सूची में शामिल सिर्फ उन्ही एजेंसियों को धन दिया जाएगा जिन्होंने पिछले एक साल में 90% जीवित रहने(पौधों की) की दर को हासिल किया है।
- वृक्षारोपण का कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी इसरो द्वारा लिए गए चित्रों के माध्यम से की जाएगी और लेखा परीक्षा में आधुनिक आईटी उपकरणों का प्रयोग होगा|
- संविदा अच्छे रिकॉर्ड वाले गैर सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों और सरकारी संगठनों को दिया जाएगा।

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने हाल ही में **राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन** के तहत लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से 1,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की दूरी पर प्रारंभिक वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया।

लाभ

- वृक्षारोपण में समुदाय की भागीदारी से **पैदा होने वाले रोजगारों** से सीधे स्थानीय लोगों को फायदा होगा। यह अनुमान है कि राजमार्ग के एक किलोमीटर को हरा बनाने से दस लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार इसे मनरेगा से भी जोड़ने की योजना बना रही है।
- पेड़ों की प्राकृतिक सिंक के रूप में कार्य करने की गुणवत्ता के कारण यह वायु प्रदूषण, धूल के साथ ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं
- यह तटबंध के ढालों पर मिट्टी का कटाव को रोकने में मदद करेगा
- राजमार्ग की माध्यिका पट्टी और किनारों के साथ वाले पौधे आने वाले वाहनों की चमक को कम कर देते हैं जो कभी कभी दुर्घटनाओं का कारण बनती है|

7.10. राज्यों द्वारा ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के लिए निविदा की पेशकश

(States to Offer Tender For Green Corridor Project)

हरित गलियारा परियोजना क्या है?

- यह अंतराराज्यीय (intra-state) और अंतर-राज्यीय पारेषण बुनियादी ढांचे का निर्माण कर उत्पादन बिंदू से लोड केंद्रों तक अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक परियोजना है।
- परियोजना का अंतराराज्यीय (intra-state) ट्रांसमिशन घटक संबंधित राज्यों द्वारा और अंतर-राज्यीय घटक पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह दो भागों में लागू किया जा रहा है
    - पावर ग्रिड अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समृद्ध राज्यों को जोड़ने के लिए पहला गलियारा स्थापित कर रहा है।
    - दूसरा कारीडोर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात के सौर पार्कों को आपस में जोड़ेगा।
- देश की वर्तमान अक्षय उर्जा क्षमता 40,000 मेगावाट है। ग्रिड 30,000 मेगावाट संभाल सकता हैं। 10,000 मेगावाट हेतु एक अतिरिक्त प्रणाली को इस वर्ष सितंबर तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।

वित्त

- यह 40,000 करोड़ रुपये का पारेषण नेटवर्क परियोजना है। । अंतराराज्यीय (Intra-state) परियोजनाएँ 11,000 करोड़ रुपये मूल्य की हैं।
- प्रत्येक परियोजना का 40% जर्मन बैंक KfW और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष द्वारा प्रदान किया जाएगा और बाकी 20 प्रतिशत संबंधित राज्यों द्वारा देय होगा।
- ये परियोजनाएं आगामी सौर पार्कों हेतु संचरण में तेजी लाने के लिए पारदर्शी बोली के माध्यम से आवंटित की जाएगी।

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में आठ राज्यों ने परियोजनाओं के लिए 5000 करोड़ रुपये की निविदायें जारी करने का प्रस्ताव किया है।

महत्व

- भारत में बिजली के बुनियादी ढांचे में वितरण नेटवर्क सबसे कमजोर कड़ियों में से एक है। यह उसके सुधार की दिशा में एक कदम है।
- यह अक्षय स्रोतों से 175 GW (गीगावॉट) ऊर्जा प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है।
- अक्षय ऊर्जा ग्रिड के साथ पारंपरिक ग्रिड को एकीकृत करने में वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या का जर्मन तकनीक और सहयोग द्वारा ध्यान दिया जाएगा।

7.11. अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत के सुधरने के संकेत

(Ozone Layer over Antarctica Shows Signs Of Healing)

ओजोन छिद्र क्या है?

- ओजोन छिद्र अंटार्कटिक के ऊपर समताप मंडल में असाधारण रूप से क्षरित ओजोन का एक क्षेत्र है जो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत (अगस्त-अक्टूबर) में होता है।
- यह दुर्बलीकरण पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरणों की भेदन क्षमता को बढाता है जिससे त्वचा कैंसर के रूप में इसके प्रतिकूल प्रभावों का जोखिम बढ़ जाता है।

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही के पर्यवेक्षणों में इस ओजोन छिद्र में सुधार के लक्षण दिखाई दिए हैं।
- वायुमंडलीय शोधकर्ताओं ने पाया है कि ओजोन छिद्र वर्ष 2000, जब ओजोन क्षरण अपने चरम पर था, के बाद से चार लाख से अधिक वर्ग किलोमीटर तक सिकुड़ गया है ।

VISION IAS

सुधार के क्या कारण है?

- ओजोन परत के क्षरण में सर्वाधिक प्रभावी कारक सीएफसी अणुओं से क्लोरीन का मुक्त होना है। **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल** से वातावरण में सीएफसी के उत्पादन और निर्गमन में कमी आई है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, ओजोन पुनःप्राप्ति की प्रक्रिया में तीन चरण हैं:
  - ✓ कम होने की दर का घटना।
  - ✓ क्षरण को और बढने से रोकना।
  - ✓ ओजोन वृद्धि सीएफसी के स्तर में कमी से जुड़ी है|
  - एक बार सीएफसी के एक निश्चित स्तर तक कम हो जाने पर, पुनःप्राप्ति की प्रक्रिया की गति में स्वतः ही वृद्धि हो जाएगी।

महत्व

- UV विकिरणों की कमी से अत्यधिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभ है।
- यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वैश्विक प्रयासों की सफलता की ओर इशारा करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता को अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अन्य आम समस्याओं से लड़ने के लिए अधिक समर्पण, आशावाद और उत्साह के साथ एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

7.12. केंद्रपाड़ा भेड़

(Kendrapada Sheep)

यह क्या है?

- भेड़ की संकटापन्न नस्ल जो केवल ओडिशा के तटीय जिलों जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा में पायी जाती है।
- यह **'कुजी मेंधा (Kuji Mendha)'** के नाम से भी जानी जाती है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में इसे केंद्र सरकार द्वारा 'दुर्लभ और विलक्षण प्रजाति' टैग प्रदान किया गया है।
- इनमें कुछ दुर्लभ आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं जो इनमें बहुजन्म सिंड्रोम (multiple birth syndromes) के लिए उत्तरदायी है।

महत्व

- केंद्रपाड़ा भेड़ मुख्य रूप से मटन उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। आर्थिक महत्व के अन्य उत्पाद उसकी त्वचा है। इसलिए, वे एक आजीविका के लाभदायक स्रोत हैं।
- हालांकि, अनियंत्रित पालन से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, भेड़ किसानों को उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है।
- नया दर्जा उनके संरक्षण के प्रयासों की दिशा में प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

VISION IAS

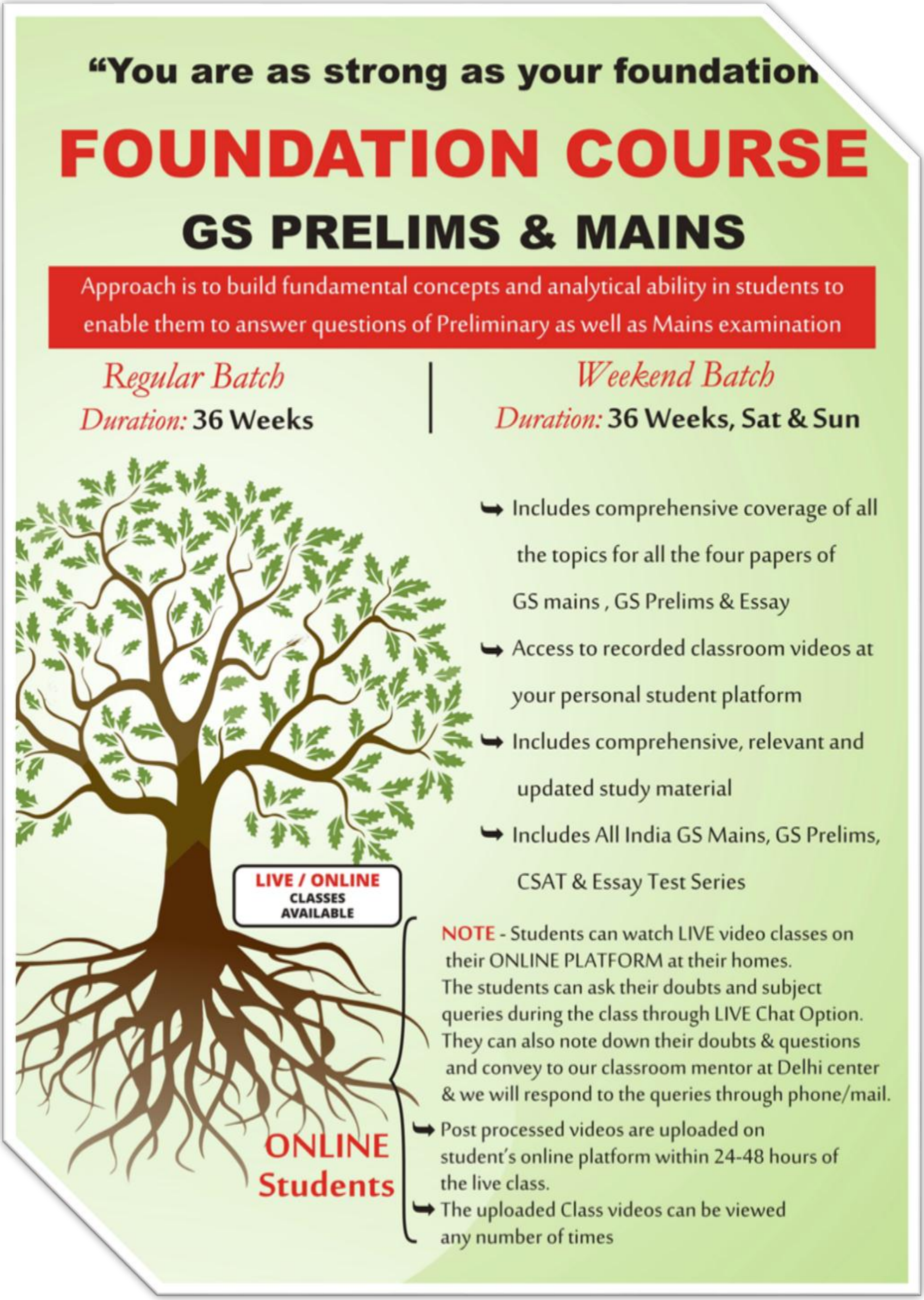
"You are as strong as your foundation
FOUNDATION COURSE
GS PRELIMS & MAINS
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
Regular Batch
Duration: 36 Weeks
Weekend Batch
Duration: 36 Weeks, Sat & Sun
Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS mains , GS Prelims & Essay
Access to recorded classroom videos at your personal student platform
Includes comprehensive, relevant and updated study material
Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE
NOTE - Students can watch LIVE video classes on their ONLINE PLATFORM at their homes.
The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option.
They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center & we will respond to the queries through phone/mail.
Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.
The uploaded Class videos can be viewed any number of times
ONLINE Students

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1. तीन भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल

(Three Indian Sites Gets Into World Heritage List)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने अपनी 40वीं बैठक में तीन भारतीय स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है।
- इन स्थलों में चंडीगढ़ में स्थित भव्य **कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कंचनजंघा पर्वत** और बिहार के **नालंदा महाविहार (नालंदा विश्वविद्यालय) में स्थित पुरातात्विक स्थल** शामिल हैं।
- ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में स्थित किसी मिश्रित श्रेणी वाले स्थल (मिक्स्ड साइट) को विरासत स्थल का दर्जा मिला है। एक मिक्स्ड साइट ऐसा स्थल होता है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व एक साथ धारण करता है।
- साथ ही यह भी पहली बार हुआ है कि किसी भी देश के तीन स्थलों को एक ही सत्र में विश्व विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किया गया हो।

भारत में अवस्थित विरासत स्थल

वर्तमान में भारत में कुल 35 विश्व विरासत स्थल हैं जिनमें से 27 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी के हैं।

विश्व विरासत स्थल क्या है?

- एक विश्व विरासत स्थल ऐसा स्थान (जैसे कि कोई इमारत, शहर, कॉम्प्लेक्स, रेगिस्तान, जंगल, द्वीप, झील, स्मारक, या पहाड़) होता है जिसे उसके सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा अधिसूचित किया गया होता है।
- विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के विषय में कन्वेंशन को यूनेस्को द्वारा 1972 में अपनाया गया था।
- विश्व विरासत स्थलों की सूची यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा अनुरक्षित की जाती है जो महासभा द्वारा निर्वाचित 21 सदस्य राज्यों से मिलकर बनती है।

कंचनजंघा नेशनल पार्क (केएनपी), सिक्किम (कंचनजंघा बायोस्फीयर रिजर्व)

- यह भारत में पहला और एकमात्र ऐसा मिश्रित स्थल है जिसे विश्व विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाना है।
- यह पार्क सिक्किम के 25 प्रतिशत हिस्से को शामिल करता है और विश्व के संरक्षित क्षेत्रों के सर्वाधिक दुर्गम तुंगता वाले क्षेत्रों में से एक है।
- यह बर्फ से ढकी पहाड़ों और खड़ी घाटियों की एक अद्वितीय स्थलाकृति है। यहाँ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कंचनजंघा स्थित है।
- यह दुर्लभ स्थानिक और संकटग्रस्त पौधों और पशु प्रजातियों का निवास स्थल है। यहाँ कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए और हिमालयी ताहर निवास करते हैं।
- यह बौद्ध धर्म की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए महत्त्वपूर्ण स्थल है तथा साथ ही इसका पारिस्थितिक महत्व भी है। इसीलिए इसे एक मिश्रित साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- यहाँ जेमू ग्लेशियर सहित कई ग्लेशियर भी मौजूद हैं।
- इस पार्क में कुछ लेपचा जनजातियों की बस्तियां भी उपस्थित हैं। लेपचा सिक्किम का एक स्थानीय आदिवासी समुदाय है। इनकी जनसंख्या 30,000 से 50,000 के बीच है।

चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स

- इस कैपिटल कॉम्प्लेक्स में तीन भवन, तीन स्मारक और एक झील सम्मिलित है।
- 1950 के दशक में फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजिए द्वारा इसका डिजाइन किया गया था।
- यह परिसर फ्रांस और भारत सहित 7 देशों में उपस्थित ली कार्बुजिए के उन 17 कार्यों में से एक है जिन्हें एकल प्रविष्टि के रूप में एक साथ सूची में शामिल किया गया है।
- कैपिटल कॉम्प्लेक्स में विधान सभा सचिवालय, उच्च न्यायालय, ओपन हैण्ड स्मारक, जियोमेट्रिक हिल और टॉवर ऑफ़ शैडो शामिल हैं।
- ली कार्बुजिए एक स्विस-फ्रेंच वास्तुकार और शहरी योजनाकार थे और उन्हें आधुनिक वास्तुकला के अग्रदूतों में से एक के रूप में जाना जाता है।
- उन्हें "आधुनिक वास्तुकला हेतु पांच बिंदु" के लिए जाना जाता है और उन्हें एक संचालनविद और तर्कविद भी कहा जाता है।

नालंदा महाविहार (नालंदा विश्वविद्यालय), बिहार

- यह भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है।
- यह 800 सालों तक निरंतर ज्ञान के संगठित प्रसारण में संलग्न रहा है।
- इस स्थापत्य में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तेरहवीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच निर्मित एक मठ और शैक्षिक संस्था के पुरातात्विक अवशेष शामिल हैं।
- इसमें स्तूप, धार्मिक स्थल, विहार तथा प्लास्टर, पत्थर और धातु की महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ भी शामिल हैं।
- इस स्थल का ऐतिहासिक विकास बौद्ध परंपरा के एक धर्म के रूप में विकास और मठवासी परंपराओं के उत्कर्ष को प्रमाणित करता है।

8.2. सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण

[Indus Valley Civilization (IVC) Age]

- भारतीय शोधकर्ताओं ने पशुओं के अवशेषों और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पर कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके यह निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता 8,000 वर्ष पुरानी हो सकती है, जबकि अभी तक इसे 5500 साल पुराना माना जाता है।
- अगर इस शोध के निष्कर्ष सही पाए गए तो सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटेमिया और मिस्र की सभ्यताओं से भी पुरानी हो जाएगी।

VISION IAS

अध्ययन की मुख्य विशेषताएं

- यह अध्ययन हरियाणा के भिर्राना में किया गया।
- इस स्थल पर प्राक हड़प्पा चरण (हाकरा चरण) व आरंभिक परिपक्व हड़प्पा से लेकर परिपक्व हड़प्पा चरण तक के सभी सांस्कृतिक स्तरों के संरक्षण का पता चलता है।
- शोधकर्ताओं ने **ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड लूमनेसन्स** नामक तकनीक का इस्तेमाल किया है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, जैसा कि पूर्व में माना जाता रहा है, उससे कहीं अधिक बड़े क्षेत्रफल में यह सभ्यता भारत में फैली हुई थी।

सिन्धु घाटी सभ्यता के पतन का कारण:

- शोधकर्ताओं ने इस सभ्यता के पतन के लिए एक नया कारण प्रस्तुत किया है।
- अध्ययन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि जलवायु परिवर्तन ने एक भूमिका निभाई, लेकिन फसल पद्धति और अनाजों के भंडारण के तकनीक में परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ।
- शोधकर्ताओं का कहना है कि आरंभ में गहन मानसून की अवधि में गेहूं और जौ जैसे बड़े-बीज वाले अनाजों की खेती की जाती थी।
- परंतु बाद में मानसून के दौरान बारिश कम होती गयी और इस अवधि में लोग छोटे दाने वाले मोटे अनाजों और चावल जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती करने लगे।
- अब चूंकि बाद में उगाए जाने वाले इन फसलों की पैदावार आम तौर पर कम होने लगी, अतः परिपक्व हड़प्पा काल की विशाल भंडारण व्यवस्था को त्याग दिया गया।
- इसके चलते छोटे-छोटे और अधिक संख्या में एकल परिवार आधारित फसल प्रसंस्करण और भंडारण व्यवस्था का जन्म हुआ।
- इसने हड़प्पा सभ्यता के वि-शहरीकरण में उत्प्रेरक के तौर पर कार्य किया, न कि इसके अचानक पतन का कारण बना।

ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड लूमनेसन्स (Optically Stimulated Luminescence) वस्तुतः एक डेटिंग तकनीक है जिसका उपयोग यह पता लगाने में किया जाता है कि क्वाट्र्ज या फेल्डस्पर अवसाद आखिरी बार किस कालावधि में प्रकाश के संपर्क में आए थे। इसका मापन आयनीकृत विकिरण के माध्यम से किया जाता है।

8.3. मेघालय की खासी जनजाति

(Khasi Tribe of Meghalaya)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्राक ऐतिहासिक काल से संबंधित महापाषाणिक पत्थर की संरचनाएं और लोहे की सामग्रियां मेघालय के री-भोई (Ri-Bhoi) जिले के 1.5 किमी क्षेत्र में फैले एक पर्वतश्रेणी में पायी गई हैं।

- इन महापाषाणिक पत्थर की संरचनाओं और उपकरणों के रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चलता है कि खासी जनजाति ने लगभग 1200 ई. पू. में मेघालय को अपना निवास स्थल बनाया।
- लुम्मावबुह (Lummawbuh) का यह खुदाई स्थल मेघालय का पहला नवपाषाण स्थल है।

खासी जनजाति

- खासी एक देशज जनजाति है, इनकी अधिकांश जनसँख्या मेघालय में निवास करती हैं।
- जो विशेषता इस जनजाति को अन्य जनजातियों से अलग बनाती है वह यह है कि इस जनजाति में संतति (वंशज) पिता से नहीं मां से होती है; अर्थात यह जनजाति मातृवंशीय प्रणाली का पालन करती है।
- खासी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है।
- वे अपने जीविकोपार्जन के लिए स्थानांतरित कृषि (झूम) करते हैं।

8.4 महाश्वेता देवी

(Mahasweta Devi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महाश्वेता देवी का 28 जुलाई, 2016 को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

परिचय

- महाश्वेता देवी 1926 में ब्रिटिश भारत के ढाका में पैदा हुईं और स्वतंत्र भारत के सबसे प्रमुख लेखकों में से एक थीं।
- उन्होंने लगभग 100 उपन्यास और 20 लघु कथाएँ लिखीं।
- उन्हें **खेरिया सबर** नामक अत्यंत पिछड़े आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए किये गए सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है।
- उन्हें **अरण्यर अधिकार** नामक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार (बंगाली में), ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे विभिन्न साहित्यिक सम्मानों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा भारतीय नागरिक पुरस्कार के रूप में पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
- उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से कुछ हैं: हजार चुराशीर मा (हज़ार चौरासी की माँ), रुदाली और अरण्येर अधिकार। हालांकि उन्होंने बंगाली में लिखा है, पर उनके कार्यों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है।

8.5. ज्ञानपीठ पुरस्कार

(Jnanpith Award)

- राष्ट्रपति ने गुजराती साहित्यकार रघुवीर चौधरी को 2015 के ज्ञानपीठ पुरस्कार (51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार) से सम्मानित किया।

ज्ञानपीठ पुरस्कार का महत्व

- ज्ञानपीठ पुरस्कार उन साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है जो भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी एक में लिखते हैं।
- नामांकन और पुरस्कार का निर्णय भारतीय ज्ञानपीठ फाउंडेशन द्वारा लिया जाता है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय ज्ञानपीठ संगठन साहू जैन परिवार के साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा 1944 में स्थापित किया गया था।
- इसकी स्थापना संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश ग्रंथों के व्यवस्थित अनुसंधान और प्रकाशन का कार्य करने के लिए की गयी थी।
- इसका उद्देश्य धर्म, दर्शन, तर्क, नैतिकता, व्याकरण, ज्योतिष और काव्यशास्त्र जैसे विषयों को समाविष्ट करना है।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची

- आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और 351 में हैं।

VISION IAS

- आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं विनिर्दिष्ट हैं।
- अनुच्छेद **344 (1)** में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग गठित करेंगे जिसमें एक अध्यक्ष होगा और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे। यह आयोग संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा।
- अनुच्छेद **351** में हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निदेश है। यह निदेश दिया गया है कि हिंदी भाषा का विकास उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना और उसमें भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए किया जाए।

8.6 मैग्सेसे पुरस्कार

(Magsaysay award)

बेजवाड़ा विल्सन

- विल्सन मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ कार्यरत एक प्रसिद्ध प्रचारक तथा सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक हैं।
- ये कर्नाटक में जन्में एक दलित कार्यकर्ता हैं तथा इन्हें मानव गरिमा के उन्नयन की दिशा में किये गए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, इनके प्रयासों की वजह से देश में कुल मैला ढोने वालों की संख्या 15 लाख से कम होकर 2013 में 2 लाख पर आ गयी है।
- इन्हें "गरिमापूर्ण मानव जीवन के अपृथक्करणीय अधिकार को बढ़ावा देने" के लिए सम्मानित किया गया।

टी एम कृष्णा

- ये चेन्नई के एक कर्नाटक संगीत गायक हैं।
- इन्हें "संस्कृति में सामाजिक समग्रता" लाने के लिए "प्रख्यात नेतृत्व (एमिनेंट लीडरशिप)" श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया।
- इन्हें अक्सर कर्नाटक संगीत की रूढ़ियों को चुनौती देने वाले के रूप में स्वीकार किया जाता है।

मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में

- रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे द्वारा अपनाए गए शासन में ईमानदारी, लोगों के लिए साहसी सेवा और लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यावहारिक आदर्शवाद जैसे मूल्यों के उदाहरण के रूप में प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है।
- यह पुरस्कार अप्रैल 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टी द्वारा फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया था।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

CSE 2013
CSE 2014
GAURAV AGRAWAL
AIR-1
NIDHI GUPTA
AIR-3
VANDANA RAO
AIR-4
SUHARSHA BHAGAT
AIR-5
AIR-1
TINA DABI
AIR-4
ARTIKA SHUKLA
AIR-6
ASHISH TIWARI
AIR-5
SHASHANK TRIPATHI
AIR-9
KARN SATYARTHI
Interview Guidance Prog
All India PRELIMS MAINS Test Series
PT 365: 1 year Current Affairs Prog
Foundation Course